23.2.88
FOR REFERENCE ONLY
LIBRARY

प्रेरणा

[दिसम्बर १९८७]

अनौपचारिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा निदेशालय, (उत्तर प्रदेश)

इलाहाबाद

संरक्षक— श्री गोविन्द नारायण मिश्र
शिक्षा निदेशक (बेसिक)

सम्पादन— डॉ० गोविन्द सिंह विष्ट
संयुक्त शिक्षा निदेशक (अनौ० शिक्षा)

रचना मण्डल— डॉ० गोविन्द सिंह विष्ट
डॉ० शशिप्रभा भदौरिया
श्रीमती हमीदा अजीज
श्री जगमोहन सिंह
श्रीमती प्रेमाराय
श्रीमती सावित्री दुबे
श्री दयानन्द मिश्र

प्रकाशन/मुद्रण व्यवस्था—श्री योगेन्द्र नाथ उपाध्याय—परामर्शी
श्री दयानन्द मिश्र—प्रवक्ता
श्री रमाकान्त पाण्डेय—पर्यवेक्षक

प्रेरणा

[दिसम्बर १९८७]

अनौपचारिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा निदेशालय, (उत्तर प्रदेश)

इलाहाबाद

NIEPA DC
D04083

सन्देश

यह हर्ष का विषय है कि अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत "स्मारिका" का प्रकाशन किया जा रहा है।

विकास का मूल शिक्षा है। लोकतंत्र की सफलता के लिये सुयोग्य नागरिकों के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये भारतीय संविधान में यह संकल्पना की गयी थी कि एक निश्चित अवधि में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि केवल औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था से देश के समस्त बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अनौपचारिक शिक्षा एक सम्पूरक व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण है।

अनौपचारिक शिक्षा के सम्यक् संचालन हेतु यह "स्मारिका" इस कार्यक्रम को उचित दिशा, विद्या एवं गति प्रदान करेगी ऐसी मुझे आशा है।

मेरी शुभ कामनायें।

(सिब्तेरज़ी)
शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 4083
Date 5.11.89

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित स्मारिका प्रकाशित की जा रही है। व्यक्ति के विकास हेतु शिक्षा एक महत्व-पूर्ण एवं अनिवार्य आवश्यकता है। प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता हमारी विकास यात्रा का प्रमुख लक्ष्य है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों के प्राप्त करने हेतु प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम-औपचारिक शिक्षा के सम्पूरक के रूप में संचालित किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा योजना द्वारा जनसंख्या के उस वर्ग हेतु शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक कारणों से शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं।

मुझे विश्वास है कि अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित यह स्मारिका अनौपचारिक शिक्षा में कार्य करने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी और उनका दिशा निदेशन का कार्य करेगी।

(जगदीश चन्द पन्त)
प्रमुख शिक्षा सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

आदेश

भारत के संविधान में यह संकल्पना की गयी थी कि एक निश्चित अवधि में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावेगा। कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा यही है अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी।।

बालक के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास तथा जीवन मूल्यों की सुरक्षा के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। अनौपचारिक शिक्षा योजना शिक्षा प्रसार का सार्थक प्रयास है।

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित स्मारिका इस वर्ष प्रकाशित की जा रही है। आशा है यह स्मारिका अपने लक्ष्य की पूर्ति में सम्यक् सफलतता प्राप्त करेगी

गोविन्द नारायण मिश्र
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश

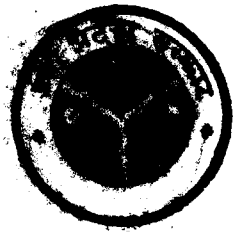

सन्देश

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य कोको पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर्वविदित है कि औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार द्वारा ही हम शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा को जीवन की तैयारी के रूप में समझना चाहिये इसलिये वह चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक उसका उद्देश्य केवल बौद्धिक न होकर शिक्षार्थियों के जीवन और उनके सामुदायिक सदस्यों की गुणता में सुधार होना चाहिए।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, की अनौपचारिक शिशक्षा इकाई सम्प्रति इस दिशा में कार्यरत है। यह अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषयवस्तु को तैयार करने, अध्ययन एवं प्रचार सामग्री का निर्माण करने, दीक्षा विशेषज्ञों को निर्देश देने, शिक्षक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक तथा अधिकारियों की अभिनवीकरण गोष्ठियों के आयोजन में संलग्न है।

नियोजन एवं कार्यान्वयन के अन्तराल को कम कर हम इक्कीसवीं सदी के भारत कोको साक्षर गणतंत्र के रूप में देख सकें, हमारा यही प्रयास है। अनौपचारिक शिक्षा इस दिदेशा में निर्णायक कदम होगी—आशा है स्मारिका इन कदमों के दिशा निर्देशन में सहहायक होगी।

(डॉ० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय)

सन्देश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष "प्रेरणा" का प्रकाशन किया जा रहा है।

शतप्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हमें समाज के पिछड़े एवं शिक्षा से वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकाधिक अवसर एवं साधन प्रदान करने में सफलता मिली है। इस योजना के भावी स्वरूप से हमें और अधिक अपेक्षायें हैं।

"प्रेरणा" सभी के लिए प्रेरणा दायक हो, यही मेरी शुभ कामना है।

डा० कृष्णावतार पान्डेय
अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०,
इलाहाबाद

सम्पादकीय

भारतीय संविधान की धारा ४५ में यह अपेक्षा की गयी थी कि संविधान लागू होने के दस वर्ष की अवधि में छः से चौदह वर्ष के सभी बालक / बालिकायें विद्यालय में प्रवेश लेकर अनिवार्य रूप से अध्ययन करेंगे तथा भारतीय प्रजातंत्रात्मक समाज का निर्माण शिक्षित एवं सुसंस्कृत समुदाय की आधारशिला पर होगा जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का परिचायक होगा। किन्तु अभी तक यह स्वप्न पूर्ण नहीं हो सका हैं। जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके, एतदर्थ अनौपचारिक शिक्षा योजना की संकल्पना की गयी।

शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनौपचारिक शिक्षा एवं सम्पूरक व्यवस्था के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस व्यवस्था में उन बच्चों की सम्मिलित किया जाना निश्चित किया गया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या किन्हीं और कारणों से शिक्षित नहीं हो सके। साक्षरता अभियान से इस योजना की उपादेयता को दृष्टि में रखते हुये यथेष्ट विस्तार किया जा रहा है।

यह हर्ष का विषय है कि अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित स्मारिका के रूप में "प्रेरणा" का प्रकाशन इस वर्ष किया जा रहा है। मुझे आशा है कि अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल मार्गदर्शक के रूप में "प्रेरणा" अपने में सफल प्रेरक श्रोत सिद्ध होगी।

मैं अपने उन सभी सहयोगी बन्धुओं के प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने सीमित अवधि में अथक परिश्रम कर प्रकाशनार्थ मुद्रण सामग्री उपलब्ध करायी है। साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव उ० प्र० शासन, एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) महोदय के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा जिनके शुभ सन्देश "प्रेरणा" के प्रकाशन सहज रूप में सुलभ हुये हैं।

डा० (गोविन्द सिंह विष्ट)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा),
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
१	अनौपचारिक शिक्षा	१
२	"साक्षरता प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना की तालिका"	२
३	अनौपचारिक शिक्षा—वर्तमान एवं नये कार्यक्रम	६
४	अनौपचारिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था	१७
५	अनौपचारिक शिक्षा—परीक्षाफल का समीक्षात्मक विवरण	२१
६	अनौपचारिक शिक्षा नये कार्यक्रम	२४
७	अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र निर्धारण	२७
८	प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम	३६
९	अनौपचारिक शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण—कार्य योजना	५२
१०	अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षिकाओं के प्रशिक्षण योजनान्तर्गत गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन	५५
११	अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	५९
१२	अनौपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की उपादेयता	६१
१३	अनौपचारिक शिक्षा में श्रव्य-दृश्य शिक्षा की उपादेयता एवं उपादानों का निर्माण	६८
१४	अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश	७१
१५	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम—प्रगति आख्या	७४
१६	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम—परीक्षाफल वर्ष (प्रपत्र—१)	७६
१७	अनौपचारिक शिक्षा मॉनिटरिंग प्रपत्र—'केन्द्र स्तर'	८०
१८	अनौपचारिक शिक्षा मानिटरिंग प्रपत्र—जनपद स्तर	८७

अनौपचारिक शिक्षा

(NON FORMAL EDUCATION)

शिक्षा मानव समाज के विकास की सतत् प्रक्रिया एवं आधारशिला है। राष्ट्रीय विकास की संकल्पना में नागरिकों का भौतिक कल्याण सन्निहित है। अपने परिवेश, पर्यावरण तथा समाज को समझने के लिए व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों को अपनी अन्तर्निहित क्षमता एवं शक्ति के विकास तथा व्यक्तित्व के प्रस्फुटन के लिए शिक्षा प्राप्त करने की जन्म-सिद्ध अधिकार है।

भारतीय संविधान की धारा 45 में यह अपेक्षा की गई थी कि संविधान लागू होने (1950) के दस वर्ष की अवधि में (1960) वय-वर्ग 6 से 14 के बालक-बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन करेंगे तथा भारतीय प्रजातन्त्रात्मक समाज की आधारशिला एक शिक्षित समुदाय पर रखी जा सकेगी। किन्तु संविधान रचयिताओं का यह स्वप्न अभी तक मुख्य रूप से संसाधनों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका है।

शिक्षा की सतत् प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए प्रमुख रूप से तीन विधाएँ हैं—

(1) औपचारिक शिक्षा (Formal Education)

(2) सहज-शिक्षा (Informal Education)

(3) अनौपचारिक शिक्षा (Non-Formal Education)

(1) **औपचारिक शिक्षा** (Formal Education)—औपचारिक शिक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में संचालित है। इस प्रणाली में निर्धारित समय के अन्तर्गत निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय के वातावरण के अन्तर्गत शिक्षा नियमित प्रदान की जाती है।

"Formal Education is heirachically Institutionalised and branded."

(2) **सहज-शिक्षा** (In-Formal Education)—सहज-शिक्षा एक असंगठित जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। जिसमें प्रत्येक ज्ञान अभिवृत्तियाँ, कौशल, आदि एक दूसरे के सम्पर्क से सीखता है।

Informal Education is an unorganised life long process by which every one acquires knowledge, skills and attitudes incidentally."

(3) **अनौपचारिक शिक्षा** (Non-Formal Education)—अनौपचारिक शिक्षा एक व्यवस्थित तथा नियमित प्रक्रिया है। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के पूर्ण बन्धनों से मुक्त है।

"Non-Formal Education is Organised and Systematic learning activity carried on out side the Formal Education."

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष की साक्षरता 36.23 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष की साक्षरता प्रतिशत 46.89 एवं स्त्री की साक्षरता का प्रतिशत 24.82 है। इस राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की दया और भी दयनीय है। 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत केवल 27.16 है। जिसमें पुरुष की साक्षरता 38.76 एवं महिला (स्त्री) की साक्षरता का प्रतिशत 14.04 है। जो राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे है।

उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित समस्त जनपदों की साक्षरता का प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

"साक्षरता प्रतिशत सम्बन्धी सूचना की तालिका"

"उत्तर प्रदेश में साक्षरता, 1981"

27.16→38.78 Male 14.04 Female प्रति 100 पर साक्षरता

क्रमांक	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	लखनऊ मण्डल	लखनऊ	40.32	49.33	29.71
2.		उन्नाव	25.28	36.78	12.34
3.		सीतापुर	19.44	28.79	8.38
4.		हरदोई	22.19	32.67	9.52
5.		लखीमपुरखीरी	17.70	26.24	7.61
6.		रायबरेली	23.08	34.94	10.47
7.	फैजाबाद मण्डल	फैजाबाद	25.61	38.19	12.15
8.		बहराइच	15.57	25.35	5.2?
9.		प्रतापगढ़	23.81	38.91	8.81
10.		सुल्तानपुर	22.44	35.14	9.37
11.		गोण्डा	16.32	25.99	5.45
12.		बाराबंकी	18.87	28.88	7.21
13.	गोरखपुर मण्डल	गोरखपुर	23.92	36.66	10.36
14.		देवरिया	23.20	37.16	9.07
15.		बस्ती	20.24	31.66	7.94
16.		आजमगढ़	25.10	38.27	12.20
17.	वाराणसी मण्डल	वाराणसी	31.85	45.95	16.25
18.		मिर्जापुर	22.85	35.10	10.62
19.		जौनपुर	36.30	41.86	10.89
20.		गाजीपुर	27.62	41.45	13.63
21.		बलिया	28.18	41.85	14.29
22.	इलाहाबाद मण्डल	इलाहाबाद	27.99	41.51	12.81
23.		फतेहपुर	25.97	38.07	12.48
24.		कानपुर नगर/देहात	43.67	53.40	31.95
25.		फर्रुखाबाद	32.02	42.00	19.08
26.		इटावा	37.29	48.69	23.58
27.	झाँसी मण्डल	झाँसी	37.06	50.67	21.38
28.		ललितपुर	21.34	31.11	9.96

क्रमांक	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
29.		हमीरपुर	26.31	38.94	11.57
30.		जालौन	35.95	50.16	18.96
31.		बांदा	23.30	35.99	8.61
32.	आगरा मण्डल	आगरा	34.45	44.65	19.92
33.		मथुरा	30.63	45.02	12.92
34.		मैनपुरी	33.30	45.56	18.49
35.		अलीगढ़	31.35	44.04	16.24
36.		एटा	27.10	38.69	13·18
37.	मेरठ मण्डल	मेरठ	34.68	46.73	20.30
38.		सहारनपुर	29.56	39.13	18.06
39.		मुजफ्फरनगर	30.10	40.72	17.50
40.		बुलन्द शहर	28.97	42.47	13.34
41.		गाजियाबाद	36.28	48.68	21.32
42.	मुरादाबाद मण्डल	मुरादाबाद	19.82	27.31	10.93
43.		बिजनौर	26.71	37.03	14.76
44.		रामपुर	16.34	22.63	8.88
45.	बरेली मण्डल	बरेली	22.04	30.11	12.33
46.		बदायूँ	16.10	23.02	7.54
47.		शाहजहाँपुर	21.44	30.10	10.79
48.		पीलीभीत	20.44	29.85	9.32
49.	नैनीताल मण्डल	नैनीताल	37.81	46.81	27.10
50.		अल्मोड़ा	37.76	56.66	20.27
51.		पिथौरा गढ़	39.08	58.12	20,30
52.	पौड़ीगढ़वाल मण्डल	पौड़ीगढ़वाल	41.06	56.26	27.13
53.		चमोली	37.46	57.40	18.14
54.		टिहरी गढ़वाल	27.89	47.99	9.42
55.		उत्तर काशी	28.92	46.32	9.17
56.		देहरादून	52.58	61.15	42.03

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (सर्वव्यापीकरण) (Universalisation of Primary Education) के लक्ष्य को प्राप्त करने में औपचारिक शिक्षा माध्यम द्वारा आ-प्रतिशत सफलता न प्राप्त होने की वजह से छठीं पंच-वर्षीय योजना काल में एक वैकल्पिक एवं सस्ती अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अपनाया गया है, जिसे अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया है। अनौपचारिक शिक्षा की संकल्पना के अनुसार शिक्षा पूर्णरूपेण व्यक्ति की आवश्यकता, रुचियों

और योग्यताओं पर आधारित होती है। अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसे माध्यम तथा रणनीति के रूप में संकल्पित की गई है। जिससे औपचारिक शिक्षा की सम्पूरक बन सके। दूसरे शब्दों में अनौपचारिक शिक्षा "औपचारिक शिक्षा" Formal Education) की पूरक है। इस कार्यक्रम को विस्तार देने की पृष्ठभूमि 26 अगस्त 1980 में पारित प्रस्ताव में सन्निहित है। Home to Home (घर से घर तक) Door to Door (दरवाजे से दरवाजे तक) तक शिक्षा पहुँचाने में अनौपचारिक शिक्षा एक सशक्त माध्यम के रूप में मुखरित है। पाठ्यक्रम स्थान, समय सीखने वालों के अनुकूल होने पर ही व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यह समय, स्थान एवं पाठ्यक्रम में लचीलापन केवल अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। भारत सरकार ने वयवर्ग 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को उच्च प्राथमिकता देने तथा आगामी दस वर्षों (1990 तक) में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय व्यक्त किया है। इसलिए यदि हमें साक्षरता का शत्-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना होगा तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक सहायक एवं सम्पूरक कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित तथा त्रियमित (Organised and Systematic) प्रक्रिया है तथा यह औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बन्धनों से पूर्णतया मुक्त शिक्षा व्यवस्था है।

अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था मूलतः देश की उस जनसंख्या के लिए की गई है, जो कि आर्थिक, सामाजिक व्यक्तिगत एवं अनाकारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहती है।

"योजना आयोग की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक बच्चा, 6-14 वर्ष में पूर्णकालिक और यदि आवश्यक हो तो अंशकालिक रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखेगा।"

"Every child shall continue to learn in the age group of 6-14 on full time basis if possible and on a part time if necessary."

अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था उनको भी अवसर प्रदान करती है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ही बीच में विद्यालय छोड़ दिया है। अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में Phillip H. Coomps ने अपनी पुस्तक The World Education Crisis में —A System Analysis लिखा है कि अनौपचारिक शिक्षा न तो शिक्षा प्रणाली का विकल्प है और न ही जनसंख्या को द्रुतगति से दी जाने वाली शिक्षा का सरल तरीका है. यह जिन्होंने औपचारिक शिक्षा के अवसर को खो दिया है, उनको अवसर प्रदान करती है। यह नगरीय और ग्रामीण निर्धन बच्चों को कुछ उपयोगी ज्ञान, अभिवृत्तियाँ (skills) प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभवों को भी प्रदान करती है।

Phillip H. Coomps in his book

"The world Education Crisis" says or writes. —A System Analysis

"Non Formal Education is neither alternative education system nor a shortcut to the rapid education of the population. It provides a second chance of learning to those who missed formal schooling It enables the rural and urban poor to acquire useful knowledge, attitudtes and skills and affords a vareity of learning experience directly."

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित निर्देश का अनुसरण करते हुये राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वजनीकरण (Universalisation of Primary Education) को विशिष्ट प्राथमिकता दी गई है। सार्वजनीकरण के तीन अवयव माने जाते हैं—

(1) आवश्यकतानुसार सभी आबादियों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।

(2) सभी बच्चों का नामांकन।

(3) विद्यालयी आयु के सभी बच्चों का विद्यालय में पूर्ण अवधि तक ठहराव।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 1990 तक 11 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या समतुल्य शिक्षा (अनौपचारिक शिक्षा) के माध्यम से इसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त कराई जाय। इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किए जाने का लक्ष्य बनाकर प्रयास किया जायेगा। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह मानकर चलती है कि सभी बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय सुलभ कराना सम्भव नहीं है साथ ही साथ परिवार वालों के साथ काम में हाथ बंटाने वाले तथा अन्य घरेलू काम में लगे काम-काजी लड़के-लड़कियों को पूरे दिन विद्यालय में उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा के सम्पूरक कार्यक्रम के रूप में ग्रहण (अपनाया) किया गया है।

"Non Formal Education feeds back into our societies and exclusive power process by assisting these poor neglected down trodden majority to crganise against the state of injustice they have been forced to live in."

भारतवर्ष में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा अतीतकाल से ही दी जाती है। बुद्ध धर्म के भिक्षु (Monk) ऋषि ने अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का विकास किया है। ग्रीक और चीन में अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। इसमें ज्ञान की प्राप्ति को उतना ही महत्व दिया जाता था, जितना कि मनुष्य के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास को दिया जाता था किन्तु बाद में जैसे-जैसे शिक्षा औपचारिक हुई है—वह व्यक्तित्व के विकास से ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गई है। इसलिये औपचारिक शिक्षा ने व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास पर अधिक बल नहीं दिया है। व्यक्ति का शिक्षित हो जाना ही महत्व नहीं रखता जब तक की उसका सर्वांगीण विकास न हो। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे व्यक्ति के शिक्षित होने के साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास हो। व्यक्ति अपने आपको सामाजिक ढांचे में परिस्थितियों और वातावरण के अनुरूप ढाल सके। ऐसा तभी सम्भव होगा जबकि शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि व्यक्ति शिक्षित होने के साथ ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। जब कि औपचारिक शिक्षा ने व्यक्ति के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोग प्रदान किया है परन्तु व्यक्तित्व विकास के पहलू को अछूता छोड़ दिया है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् अब तक प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार के लिये अनेक उपयोगी कदम उठाये गये हैं। छात्र नामांकन के लिये अनेक उपाय किये गये हैं लेकिन अभी तक कम नामांकन, कम उपस्थिति, शाला त्यागियों (Dropouts) की समस्या बनी हुई है। इसके लिये नये विद्यालय खोले जाते हैं। विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ायी जाती है। लेकिन जब प्रतिशत में अपनी प्रगति आंकते हैं तो "एक धुंधला चित्र (Gloomy Picture) दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (Universalisation of Primary Education) का लक्ष्य अभी बहुत दूर है।"

इन परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि केवल औपचारिक शिक्षा (Formal Education) के माध्यम से और वैधिक सुविधायें सभी बच्चों को दे दी जाएं फिर भी शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा नहीं हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि घर-घर, दरवाजे-दरवाजे पर जाकर शिक्षा ग्रहण कराने हेतु सभी को जागृत किया जाय। समय, स्थान और पाठ्यक्रम में नमनीयता लाकर सभी को शिक्षित किया

जाय। यह कार्य औपचारिक शिक्षा के माध्यम से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा को पूरक के रूप में अपनाया गया है।

शिक्षा नीति में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सबसे अधिक महत्व इस बात पर किया जाय कि सर्वोच्च प्राथमिकता 1990 तक 6 से 11 वर्ष के बालक-बालिकाओं की शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा द्वारा होनी चाहिए।

"Non Formal Education is people's power to change the society and make to mere towards the path of Justice."

"The Non Formal Education is neither casual nor Incidental education. It is an organised system of educational activity carried on out side the framework of the establishment of Formal Education system."

राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 में कहा गया है—

"A large and systematic programme of Non Formal Education will be launched for school drop outs, for children from habitations without schools, working children and girls who cannot attend the whole day schools or Formal schools."

यदि देखा जाय तो लाखों बच्चे ऐसे हैं कि जो विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं यदि इस शक्ति को सही शैक्षिक प्रयासों द्वारा एकत्रित किया जा सके तो देश के लिए शक्तिशाली मानवीय संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। जिससे देश सही प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। ये बच्चे अपने आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कारणों से औपचारिक शिक्षा से वञ्चित रहते हैं। इसलिए इनके लिए जो शिक्षा पद्धति अपनायी गई है वही अनौपचारिक शिक्षा है।

अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य

(Main Objection of Non-Formal Education)

अनौपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) ऐसे बालक/बालिका को शिक्षा का अवसर सुलभ कराना जिन्होंने प्राथमिक स्तर के विद्यालय में कभी प्रवेश नहीं लिया है और वे 9-11 वय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

(2) 9-11 वय वर्ग के ऐसे बालक/बालिका को शिक्षा का अवसर सुलभ कराना जिन्होंने प्राइमरी स्तर के विद्यालय में प्रवेश लिया, परन्तु कक्षा 5 की परीक्षा बिना उत्तीर्ण किये बीच में ही अध्ययन बन्द कर दिया।

(3) ऐसे बालक बालिका जिन्होंने प्राइमरी विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है अथवा प्राइमरी स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ना प्रारम्भ करके दो वर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त करके प्राइमरी स्तर की सार्वजनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आगे औपचारिक विद्यालय में मिडिल स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश नहीं लिया है को मिडिल स्तरीय पाठ्यक्रम द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा का अवसर सुलभ कराना। ऐसे बालक/बालिका की आयु 11-14 वर्ष के अन्तर्गत है।

(4) ऐसे बालक/बालिका को शिक्षा का अवसर सुलभ कराना जिन्होंने मिडिल स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश लेने के पश्चात् बिना जू० हा० स्कूल परीक्षा कक्षा 8 की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुछ परीक्षा उत्तीर्ण किये बीच में ही पढ़ना छोड़ दिया है को अनौपचारिक शिक्षा मिडिल स्तरीय पाठ्यक्रम के माध्यम से कक्षा 8 की जू० हा० स्कूल परीक्षा के लायक बनाना।

उपरोक्त के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 9 से 14 वय वर्ग के ऐसे बालक/बालिका को जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश नहीं लिया है या प्रवेश लेने के पश्चात् यथा स्थिति प्राइमरी तथा मिडिल स्तर की शिक्षा बिना पूरी किये उसे अधूरा छोड़ दिया है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का अवसर सुलभ कराना जिससे बालक/बालिका कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की सार्वजनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण कर सके और बाद में शिक्षा की मुख्य धारा से अपने को परछाईं की तरह जोड़ सकें।

इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य निम्न हैं :—

(1) बच्चों को इस सीमा तक सिखाना कि वे दैनिक जीवन में कोई कठिनाई न महसूस करें।

"To make the children learn to this extent that they may not feel any difficulty in their day to day life in this regard."

(2) बच्चों को उनके रुझान, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल पढ़ाना ताकि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उत्साहित हो सकें।

"To Educate the children according to aptitude, aspiration and needs so that they may be inspired to solve their own problems."

(3) बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे शिक्षा की औपचारिक धारा में प्रवेश पा सकें।

"To make the children able to switch over to the main stream of formal education-"

N. F. E. Programme can only supplement but not supplant the formal education programme. Non Formal Education Programme is a Liable alternative to Formal Education System.

In regard to the role and status of Non Formal Education with respect of Formal Education the following can be said.

1. बच्चों में वही क्षमता आये जो औपचारिक शिक्षा के बच्चों में आती है।

"The competencies to be developed in Non Formal Education are determined basing on the competencies expected of a particular age group in the Formal System."

2. जो बच्चा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को पूरा कर लें वह औपचारिक की मुख्य धारा में जाकर प्रवेश पा लें।

"A child who has completed the Non Formal Education programme can join the main stream, ie. Formal Stream if he so desires."

3. अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाय वह औपचारिक शिक्षा से भिन्न हो लेकिन शिक्षण की विधि वही हो।

"Instructional materials prepared for Non Formal Education are different from the Formal Stream but the instructional procedures are almost the same."

4. पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाय कि बच्चे अनौपचारिक से औपचारिक में जा सके।

"It is proposed to design bridge courses for the appropriate time so that a child can switch over from Non Formal Stream to the Formal Stream."

The objectives of Non Formal Education programme launched in the country as an

alternative strategy for realising the objectives of universalisation of elementary education as enumerated below—

1. To enable the learner to get entry into the formal system at multiple level.
2. To help the learner to improve quality of life.
3. To provide education to the deprives and drop outs of the Formal System of Education at the age group of 9-14 years.
4. To develop academic social, physical talents and skills of the learners at a par with Formal System of Education.
5. To help the learners in improving their socio-economic conditions by improving their present vocation or identifying some other vocation to augment the income of family.
6. To contribute towards the universalisation of the elementary education in the country.

अनौपचारिक शिक्षा

वर्तमान एवं नये कार्यक्रम

वर्तमान कार्यक्रम (अनौपचारिक शिक्षा)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (Universalisation of Primary Eduaction) के संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह ऐसे बालक/बालिकाओं को प्राथमिक स्तरीय शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था है, जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य कारणों से विद्यालय में न पाये अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गये हैं। ऐसे अपवंचित और असुविधाग्रस्त बालक/बालिकाओं को उनकी सुविधा के अनुसार समय और स्थान और बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था हेतु अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1980-81 से संचालित किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक अनौपचारिक शिक्षा-कार्यक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती आ रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक बालिकाओं को उनकी सुविधा के अनुसार अपराह्न 1 बजे से 5 बजे तक के मध्य 2 घण्टे के लिए शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सामान्यतः औपचारिक शिक्षा, कक्षा 5 तक के ज्ञान स्तर को शिक्षार्थी 2 वर्ष में पूरा कर लें तत्पश्चात् वे शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश पा सके।

इसीलिए 5 वर्ष के पाठ्यक्रम की द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संरचना की गई है। किन्तु मिडिल स्तर के तीन वर्ष के कार्यक्रम को उतनी अवधि अर्थात् 3 बजे (तीन वर्ष) में पूरा करने की व्यवस्था की गई है।

अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को विशेषतः लक्ष्य गत वर्गों की आवश्यकताओं, समस्याओं, आकांक्षाओं तथा स्थानीय परिवेश की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए संरचना की गयी है और उन पर आधारित पाठ्य सामग्री की संरचना की गई है। प्रवेश की उम्र प्राइमरी स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर 9 वर्ष और मिडिल स्तर के केन्द्र पर 11 (ग्यारह) वर्ष रखी गई है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन स्थल बालक/बालिकाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर जू० बे० वि० (परिषदीय प्राइमरी पाठशाला) का भवन तथा संचालन का समय अपराह्न 1 बजे से 5 बजे तक का सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है।

केन्द्र निर्धारण तथा केन्द्र व्यवस्था—सन् 1978 में चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर जिन विकास खण्डों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा इंगित किया गया था उनका अवरोही क्रम में चयन करके प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये। इन विकास खण्डों में केन्द्र खोलने के लिए ऐसे गाँवों का चयन किया गया था जिनमें विशेषकर निर्बल वर्ग के बालक/बालिकाओं का बाहुल्य था।

बाल-गणना—केन्द्र प्रारम्भ करने के पूर्व उन बालक/बालिकाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है जो कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं। इस कार्य हेतु शिक्षक द्वारा गाँव के प्रत्येक परिवार से सम्पर्क स्थापित कर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर बाल-गणना पंजिका में विवरण अंकित किया जाता है—

(1) परिवार के मुखिया का नाम, जाति एवं व्यवसाय ।

(2) परिवार में बच्चों की संख्या ।

(3) बच्चों का नाम ।

(4) बच्चों की आयु ।

(5) उन बच्चों के नाम जो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं ।

(6) कभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ।

(7) बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या उनके नाम तथा कक्षा ।

(8) 9-14 वय-वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ।

(9) विद्यालय न जाने का कारण ।

(10) ऐसे बच्चे क्या-क्या कार्य करते हैं ?

(11) क्या ऐसे बच्चे अभिभावक के व्यवसाय में सहायता करते हैं या स्वयं धनोपार्जन करते हैं यदि हाँ तो उनके नाम तथा आयु ।

बाल-गणना से अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले बालक/बालिकाओं का ज्ञान हो जाता है साथ-ही-साथ दोहरे नामांकन के शेष को दूर किया जा सकता है ।

बस्तियों का चयन—बाल-गणना के आधार पर उन्हीं गाँवों का चयन अनौपचारिक शिक्षा के खोलने हेतु किया जाता है जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले बालक/बालिकाओं की संख्या अधिक होती है ।

संचालन स्थल एवं संचालन समय—

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को परिषदीय जू० बे० वि० के भवनों में संचालित किये जाने के निर्देश विभाग द्वारा अधिकारियों को दिये गये हैं । केन्द्रों के संचालन का समय अपराह्न 1 बजे से 6 बजे के मध्य 2 घन्टे की अवधि का रखा गया है । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को परिषदीय जू० बे० वि० में संचालित किये जाने के फलस्वरूप शिक्षक के सामने केन्द्र संचालन स्थल, केन्द्र अभिलेखों तथा अन्य सामग्रियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में जो कठिनाई या समस्याएँ उत्पन्न होती थी के निदान में सहायता मिली है । ऐसा होने से केन्द्रों के संचालन में काफी सुविधा मिली है ।

शिक्षकों (अनुदेशकों) का चुनाव—(वरीयता क्रम तथा चयन समिति) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले अंश बालिका शिक्षक/शिक्षिकाओं का चयन स्थानीय शिक्षित महिला/पुरुष में से किया जाता है । नियुक्ति हेतु एक मापदण्ड रखा गया है । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर शिक्षण कार्य करने हेतु स्थानीय शिक्षित महिलाओं को शिक्षिका के रूप में नियुक्त करने में प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

शिक्षक/शिक्षिका का चयन निम्नवत् वरीयता क्रम में सम्पन्न किया जाता है—

(1) बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार युवती/महिला ।

(2) शिक्षित बेरोजगार युवती/महिला ।

(3) निष्ठावान्, स्वस्थ्य एवं कुशल अवकाश प्राप्त शिक्षिका ।

(4) उपर्युक्त वरीयता क्रम में स्थानीय युवती/महिला के उपलब्ध न होने पर स्थानीय पुरुष अभ्यर्थी का चयन उपरोक्त वरीयता क्रम में किया जायेगा ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर कार्य करने वाले शिक्षक तथा शिक्षिकाओं का चयन सीमित (विभाग द्वारा निर्धारित) द्वारा किया जाता है । जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं—

(1) विकास खण्ड अधिकारी—अध्यक्ष ।

पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक (म०) —सदस्य/उपसचिव ।

(2) विकास खण्ड के वरिष्ठतम् प्रति —सदस्यों/संयोजक/सचिव

(3) उपविद्यालय निरीक्षक, स० बा० वि० नि० ।

(4) विकास खण्ड मुख्यालय न्यायपंचायत का सरपंच एवं ग्रन्य शिक्षा समिति का अध्यक्ष सदस्य ।

उपरोक्त चयन समिति द्वारा चयनित, शिक्षक/शिक्षिका को केन्द्र संचालन करने के पूर्व रा० दी० वि० में केन्द्रोजन अभिलेखों के रख-रखाव, अनुश्रवण प्रयत्नों की पूर्ति करना तथा पाठ्यक्रम एवं शिक्षण की विधि आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

शिक्षक का मानदेय/पारिश्रमिक—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर कार्य करने हेतु अंशबालिका शिक्षक/शिक्षिका की नियुक्ति की जाती है । प्राइमरी स्तर के केन्द्रों से सम्बन्धित शिक्षकों को रु० 50/-- प्रतिमाह तथा मिडिल स्तर के केन्द्रों के शिक्षकों के लिए रु० 60/-- प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक का भुगतान अभी किया जाता है । शिक्षकों के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि आपेक्षित है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर छात्र/छात्राओं का प्रवेश/नामांकन लक्ष्य :

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर बालक/बालिकाओं के नामांकन का लक्ष्य 25 बालक/बालिकाएं प्रति केन्द्र निर्धारित है । बालिकाओं को केन्द्र पर पंजीकृत करने में प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया है ।

प्राइमरी स्तर के केन्द्रों पर ऐसे बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है जिनकी आयु कम-से-कम 9 वर्ष की है और जिन्होंने कक्षा 1 व 2 तक पढ़कर छोड़ दिया है अथवा जो कभी स्कूल (औपचारिक विद्यालय) गये ही नहीं है । जिन बच्चों ने कक्षा 3 व 4 पास कर लिया है यदि वे शिक्षा ग्रहण करने केन्द्र पर आते हैं तो उन्हें प्राइमरी स्तरीय केन्द्र के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है ।

मिडिल स्तर के केन्द्रों पर ऐसे बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है । जिनकी आयु कम-से-कम 11 वर्ष की है । जिन्होंने औपचारिक विद्यालय या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर पढ़कर कक्षा 5 की परीक्षा सार्वजनीकरण परीक्षा कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली है । साथ-ही-साथ ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने कक्षा 6, 7 पढ़कर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर प्रवेश लेते समय अभिभावकों से प्रवेश-पत्र की पूर्ति छात्रों के संदर्भ में कराई जाती है ।

नामांकन :

अनौपचारिक शिक्षा-शिक्षा का सर्वभौमिककरण केन्द्र औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में सत्र 1980-81 में प्रारम्भ हुई । इस योजना-अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में प्राइमरी स्तर एवं मिडिल स्तर के केन्द्र संचालित किये गये । सर्वप्रथम 1980-81 में प्राइमरी स्तर के कुल 5264 केन्द्र संचालित हुए जिसमें कुल 71,076 बालक व 29,973 बालिका अर्थात् कुल 1,01,049 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुए । सत्र 1980-81 में ही 1464 मिडिल स्तर के केन्द्र संचालित किये गये जिसमें कुल 19,412 छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुए ।

वर्ष 1981-82 में प्राइमरी स्तर के कुल 11,043 केन्द्र खुले जिसमें 2,38,249 बालक/बालिकायें अध्ययन रत रहे तथा मिडिल स्तर के 2261 केन्द्र खुले जिसमें 31,112 बालक व 7144 बालिका अध्ययन रत रहे इस प्रकार इस सत्र में कुल 2,77,105 बालक/बालिकायें अध्ययन रत रहे ।

वर्ष 1982-83 में प्राइमरी स्तर के कुल 16,657 केन्द्र तथा मिडिल स्तर के 3085 केन्द्र खुले जिसमें

प्राइमरी स्तर में कुल 370,444 व मिडिल स्तर में 648 50 बालक-बालिकायें अध्ययन रत रहे। इस प्रकार इस सत्र में कुल अध्ययन रत छात्र/छात्राओं की संख्या 4,35,294 रही।

यह योजना इसी क्रम में बढ़ती रही सत्र 1983-84 में प्राइमरी स्तर के 20,857 केन्द्र तथा मिडिल स्तर के 3,839 केन्द्र संचालित किये गये जिसमें प्राइमरी स्तर में कुल 4,75082 व मिडिल स्तर में 81,587 बालक/बालिका अध्ययन रत रहे। इस प्रकार इस सत्र में कुल 5,56,669 बालक/बालिका केन्द्रों पर अध्ययन रत रहे।

सत्र 1984-85 में प्राइमरी स्तर के 29,922 तथा मिडिल स्तर के 3910 केन्द्र संचालित किये गये। जिसमें प्राइमरी स्तर के केन्द्रों में कुल 7,04,054 बालक/बालिका तथा मिडिल, स्तर के केन्द्रों में 86,553 बालक/बालिका अध्ययन रत रहें। पूरे प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के केन्द्रों पर अध्ययन रत छात्र/छात्राओं की संख्या 7,90,607 रही।

इसी क्रम में वर्ष 1985-86 में प्राइमरी स्तर के कुल 22845 तथा मिडिल स्तर के 2771 केन्द्र खुले जिसमें प्राइमरी स्तर के 7,25602 बालक/बालिकायें तथा मिडिल स्तर के 85,862 बालक/बालिकायें अध्ययन रत रही। इस प्रकार इस सत्र में छात्र/छात्राओं की कुल अध्ययन रत संख्या 8,11,464 रही।

वर्ष 1986-87 में इस योजना-अन्तर्गत प्राइमरी स्तर के कुल 29,252 केन्द्र तथा मिडिल स्तर के कुल 3157 केन्द्र खुले। जिनमें प्राइमरी स्तर के केन्द्रों पर कुल 7,24,142 बालक/बालिका व मिडिल स्तर के केन्द्रों पर 79,178 बालक/बालिका अध्ययन रत रहे। इस सत्र में कुल अध्ययन रत बालक/बालिकाओं की संख्या 8,03,320 रही है।

इस प्रकार वर्ष 1980-81 से वर्ष 1986-87 तक के केन्द्र संचालक एवं लाभान्वित बालक/बालिकाओं के संख्या में कहीं-कहीं काफी अन्तराल रहा जिसका कारण समय से केन्द्र संचालन एवं शासनादेश का प्राप्त न होना था।

वर्ष 1987-88 में माह अक्टूबर 87 तक कुल प्राइमरी स्तर के 28,965 तथा मिडिल स्तर के 1,592 केन्द्र खोले जा चुके हैं जिससे अब तक लाभान्वित बालक/बालिकाओं की संख्या प्राइमरी स्तर में 7,18,120 तथा मिडिल स्तर में 39,353 रही हैं। इस प्रकार कुल अध्ययन रत बालक/बालिकाओं की संख्या 8,57,473 रही हैं।

इस योजना अत्तर्गत प्रत्येक केन्द्र पर कम-से-कम रत बालक/बालिकाओं नामांकित करने का लक्ष्य है। यदि किसी कारण बल अधिक बालक/बालिका उपलब्ध हो जाते हैं तो उसे भी सामांकित करने का सविधान है। अतः प्रत्येक केन्द्रों पर बालिकाओं का नामांकन अधिक संख्या में करने का निर्देश शासन द्वारा दिया गया है।

सत्र 1980-81 से सत्र 1987-88 तक का विस्तृत नामांकन विवरण सन्तानक सारणी से स्पष्ट है। माह अक्टूबर 87 का छात्र संख्या मण्डल बार एवं जनपद वार सूची में सलग्न है।

सारणी–लाभान्वित छात्र संख्या–वर्ष 1980-81 से वर्ष 1986-87 तक

पंजीकृत छात्र संख्या प्राइमरी व मिडिल स्तर वर्ष 1980-81 से वर्ष 1986-87 तक

	प्राइमरी स्तर				मिडिल स्तर				
वर्ष	केन्द्र संख्या	बालक	बालिका	योग	केन्द्र संख्या	बालक	बालिका	योग	महायोग
1980-81	5364	71,076	29,973	10,10,49	1404	16,129	3282	19,412	1,20,461
1981-82	11,043	1,49,126	89,123	2,38249	2261	31,112	7744	38,856	2,77,105
1982-83	16,657	2,40687	1,29757	3,70444	3085	49,331	15,519	64,850	4,35,264
1983-84	20,857	2,97,039	1,78043	4,75082	3839	60,354	21,233	81,587	5,56,669
1984-85	29,922	4,18,734	2,85,320	7,04054	3910	58,865	28,188	86,553	7,90,607
1985-86	22,845	3,92102	3,33,500	7,25,602	2771	57,245	28,617	85,862	8,11,464
1986-87	29,252	3,69577	3,54,565	7,24142	3157	47,899	31,279	79,178	8,03,320
क्रमशः 1987-88 अक्टूबर-87	28,965	3,94901	3,23219	7,18,120	1592	24,677	14,676	39,353	8,57,473

अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम—

औपचारिक शिक्षा के प्राइमरी स्तर के पाँच वर्ष के पाठ्यक्रम को प्राइमरी स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर दो वर्ष में पूर्ण करने के उद्देश्य से संक्षिप्त कर लिया गया है। प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को 2 वर्षों में बाँटा गया है। प्रथम वर्ष हेतु ज्ञानदीप भाग—1 पुस्तक का निर्माण किया गया है। द्वितीय वर्ष हेतु ज्ञानदीप भाग—2 शिक्षक संदर्शिका साथ ही प्रत्येक शिक्षक को देने हेतु तैयार की गई है। इसी प्रकार मिडिल स्तर के केन्द्रों पर कक्षा 6 से 8 तक के सामान्य पाठ्यक्रम को 3 वर्ष में पूर्ण करने हेतु संक्षिप्त किया गया है। मिडिल स्तरीय पाठ्यक्रम को तीन वर्षों में बाँटा गया है। प्रथम वर्ष हेतु ज्ञानदीप भाग—3, द्वितीय वर्ष हेतु ज्ञानदीप भाग—4 एवं तृतीय वर्ष हेतु ज्ञानदीप भाग—5 का निर्माण किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को उपर्युक्त पाठ्य-पुस्तकें सुलभ कराने की व्यवस्था राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र० इलाहाबाद तथा पाठ्य पुस्तक अधिकारी लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से की जाती है और शिक्षार्थियों को ये पुस्तकें निमूल्य प्रदान की जाती हैं।

दो वर्ष की प्राइमरी शिक्षा के बाद इन बच्चों की कक्षा 5 की परीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार मिडिल स्तर के केन्द्र के बच्चों की परीक्षा जूनियर हाई स्कूल की सार्वजनीकरण परीक्षा के साथ ली जाती है।

केन्द्रों पर अवकाश :—

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर अपरान्ह 1 बजे से 5 बजे के मध्य 2 घन्टे का शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के आदेश निर्गत हैं। यह समय बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र वर्ष भर चलते हैं। इनमें गर्मी या जाड़े की लम्बी छुट्टी नहीं होती है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र केवल रविवार एवं स्थानीय त्योहार या पर्व के दिन ही बन्द रहते हैं। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्वों को औपचारिक विद्यालयों की भाँति मनाने के निर्देश निर्गत हैं।

केन्द्रों के उपकरण एवं अन्य सामान की व्यवस्था :—

अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षार्थियों को समस्त साहित्य एवं शिक्षण सामग्रियों को निःशुल्क प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में जिला स्तरीय अधिकारी (जि० बे० शि० अ०) को निर्देशित किया गया है कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को निर्धारित मात्रा (निदेशालय द्वारा निर्धारित) में साहित्य एवं सामग्रियों की आपूर्ति शिक्षक प्रशिक्षण अवधि में ही रा० दी० वि० के माध्यम से करा दी जाय जिससे शिक्षकों को केन्द्र संचालन में सुविधा हो सके जिससे शिक्षक नियमित केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कर सकें।

केन्द्रों पर दी जाने वाली सामग्रियों एवं साहित्य की सूची समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्व में ही निदेशालय द्वारा निर्धारित कर प्रेषित की गई है। "साहित्य एवं सामग्रियों को निदेशालय द्वारा निर्धारित सूची सूचना के लिए संलग्न की जाय।"—सूची संलग्न हैं।

शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बालक/बालिकाओं एवं केन्द्र हेतु दी जाने वाली सामग्रियों की निर्धारित मात्रा का विवरण :—

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर पढ़ने वाले बालक/बालिकाओं को निम्नवत् सामग्री उपलब्ध कराई जाती है—

क्रमांक संख्या	नाम सामग्री		मात्रा प्रति छात्र
(1)	पाठ्य पुस्तक	—	एक प्रति
(2)	स्लेट	—	एक नग
(3)	कापियाँ	—	2 प्रति
(4)	स्लेट पेंसिल	—	आवश्यकतानुसार
(5)	पेंसिल	—	एक प्रति

शिक्षण सामग्री, उपकरण एवं साज-सज्जा के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र को निम्नलिखित सामग्री प्रदान की जाती है :—

क्रमांक संख्या	नाम सामग्री	मात्रा प्रति केन्द्र
(1)	उपस्थिति रजिस्टर	2
(2)	स्टाक रजिस्टर	2
(3)	शिक्षक डायरी	2
(4)	रबर	2
(5)	पटरी	2
(6)	चाकू	2
(7)	डाट पेन	2
(8)	संदूक	1
(9)	ताला	1
(10)	मानचित्र (प्राकृतिक, राजनैतिक)	उत्तर प्रदेश, भारत, दुनिय प्रत्येक एक-एक
(11)	लाल पट्टी	4 प्रति केन्द्र
(12)	कुर्सी फोल्डिंग	1 प्रति केन्द्र
(13)	चाक का डिब्बा	1
(14)	5 स्टार	1

नोट :— अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र को प्राइमरी विद्यालयों में संचालित किये जाने के निर्देश निर्गत है। अतः रोला ब्लेक बोर्ड केन्द्रों को नहीं दिया जाएगा। विद्यालय के ब्लेक बोर्ड का उपयोग किया जाय।

शिक्षकों का प्रशिक्षण :

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर गाँव के बालक बालिकाओं को ले आने और उन्हें ठीक ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षक को केन्द्र चलाने के पूर्व प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण राजकीय दीक्षा विद्यालयों में आयोजित किया जाता है। नवनियुक्त शिक्षकों का प्रथम चरण में 10 दिन के प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। दूसरा प्रशिक्षण 5 दिन का होता है इसे अभिनवीकरण प्रशिक्षण कहते हैं। यह केन्द्र के संचालन के एक वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद आयोजित किया जाता है।

प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के पढ़ाने की विधायें, अभिलेखों का रख-रखाव-यूनिट मूल्यांकन, अनुश्रवण (मानीटरिंग) प्रपत्रों की पूर्ति तथा केन्द्र के आयोजन तथा स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। दूसरे चरण के प्रशिक्षण के मुख्य रूप से शिक्षकों के द्वारा अनुभूत की गई कठिनाई तथा समस्याओं का फीड बैक प्राप्त किया जाता है और उनको उस सम्बन्ध में मार्ग दर्शन किया जाता है। इसी के साथ यूनिट मूल्यांकन, अतिरिक्त मूल्यांकन तथा केन्द्रों के शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के आयोजन तथा स्तर पर चर्चा की जानी होती है और केन्द्र शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना होता है।

इन दोनों चरणों के प्रशिक्षण की समय-सारिणी तथा प्रत्येक विषय की विषय-वस्तु की रूप रेखाराज्य-शिक्षा संस्थान उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर राजकीय दीक्षा विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दीक्षा विद्यालयों में इकाई की स्थापना :

प्रदेश के 56 जिलों में 121 पुरुष एवं महिला दीक्षा विद्यालय चल रहे हैं। इनमें पुरुषों के एक दीक्षा विद्या-

खण्ड में अनौपचारिक शिक्षा की एक इकाई भी बनाई गई है। इसमें एक समन्वयक, एक ग्राम सेवक तथा एक ग्राम सेविका को नियुक्त किया गया है। ये कार्यकर्त्ता शिक्षकों के प्रशिक्षण, का आयोजन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका मूल्यांकन करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु नव-नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के प्रशिक्षण रा० वी० विद० के भी पूरे स्टाफ का सहयोग लिया जाता है।

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान में अनौपचारिक शिक्षा कोष्ठ की स्थापना :

राज्य शिक्षा संस्थान आयुक्त इलाहाबाद में अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषय-वस्तु को तैयार करने तथा अध्ययन व प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करने, दीक्षा विद्यालयों को निर्देश देने शिक्षक प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक एवं अधिकारियों की अभिनवीकरण गोष्ठियों को आयोजित करने के लिए 1980 में एक कोष्ठ स्थापित किया गया है। इस कोष्ठ में एक वरिष्ठ परामर्शी तथा चार परामर्शी नियुक्त किये गये हैं।

सृजित साहित्य :

अनौपचारिक शिक्षा कोष्ठ द्वारा अब तक निम्नलिखित साहित्य तैयार किया गया है—

	(क) प्राइमरी स्तर के लिए	मिडिल स्तर
(1) पाठ्यक्रम	(1) ज्ञानदीप भाग—1	(1) ज्ञानदीप भाग—3
(2) पुस्तकें	(2) ,, ,,—2	(2) ,, ,,—4
		(3) ,, ,,—5

(3) शिक्षक संदर्शिका (4) पोस्टर (5) फोल्डर (6) सर्वेक्षण प्राप्त (7) वर्णमाला चार्ट (8) सर्वेक्षण आदि।

अनौपचारिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 896 विकास खण्ड 56 जनपद और 12 कमिश्नरियां हैं, किसी भी कार्यक्रम के नियोजन, नियन्त्रण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए विकास खण्ड से लेकर, जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर तक प्रशासनिक तन्त्र की आवश्यकता स्वाभाविक है। वर्तमान समय में निम्नलिखित व्यवस्था की है—

(1) **विकासखण्ड स्तर**—प्रत्येक वि० खण्ड में इन केन्द्रों के पर्यवेक्षण, सूचना एकत्रीकरण तथा योजना की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए एक पर्यवेक्षण नियुक्त करने की व्यवस्था है। जहां पर पर्यवेक्षक नहीं है वहां यह कार्य क्षे० प्र० उ० वि० नि० करते हैं।

(2) **जनपद स्तर**—जनपद स्तर पर अनौ० शि० कार्य को करने के लिए अलग से कोई स्टाफ नहीं है, केन्द्रों की देख-रेख, सामग्री का क्रय एवं आपूर्ति शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान केन्द्रों के पर्यवेक्षण पर समुचित नियन्त्रण तथा मूल्यांकन आदि का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (का सौंपा गया है। उप विद्यालय निरिक्षक/अपर उप विद्यालय, निरीक्षक इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं।

(3) **मण्डल स्तर**—प्रदेश प्रशासनिक नियन्त्रण के लिए 12 मण्डलों में विभक्त है। प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय शिक्षा निदेशक (दे०) कार्यालय में कार्यान्वयन, निर्देशन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति की गई है जो मण्डलीय सूचनाओं को निदेशालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

(4) **राज्य स्तर**—पूरे प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा के नियोजन, बजट, नियन्त्रण कार्यान्वयन, निर्देशन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, (अनौ० शि०) नियुक्त हैं।

अनौपचारिक ग्राम शिक्षा समिति

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन की व्यवस्था हेतु ग्राम स्तर पर एक शिक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी भी होते हैं :—

(1) ग्राम प्रधान—अध्यक्ष

(2) सचिव—स्वयं अनुदेशक।

(3) सदस्य—दो पुरुष एक महिला अभिभावक।

सदस्यों का चयन समाज के सभी प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है।

निरीक्षण/पर्यवेक्षण—केन्द्र के संचालन, नामांकन, नियमित पारिश्रमिक वितरण, यूनिट शिक्षा सांख्यिकी निरीक्षण, कार्यक्रमों के आयोजन, ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों आदि हेतु पर्यवेक्षण का नियमित क्रम नितान्त आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत संचालित प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक संस्थान जिला निदेशालय अनौपचारिक शिक्षा/872—940/87 दिनांक मई 14, 1987 द्वारा विभिन्न अधिकारियों के लिए निरीक्षण/पर्यवेक्षण के न्यूनतम हेतु मानक सुनिश्चित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं—

(1) पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक (महिला) →विकास खण्ड के सदस्य केन्द्र प्रत्येक त्रैमास में एक बार।

(2) उ०/अप० उप० वि. निरीक्षक →प्रत्येक जनपद के 20 केन्द्र।

(3) जि. बे. शि. अधि./जि. बे. शि. अधि. (महिला) →प्रत्येक अधिकारी जनपद के 20 केन्द्र।

(4) क्षे. प्र. अधि. वि. नि/स. वा. वि. नि. →क्षेत्र के समस्त केन्द्र छः माह में दो बार।

(5) समन्वयक, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका →20 केन्द्र यहन वीक्षण, यूनिट मूल्यांकन सत्रीय कार्य परीक्षण अभिलेख कार्यवाही की समीक्षा आदि।

अनौपचारिक शिक्षा पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त प्राइमरी स्तर के अनुदेशक को रु० 50/- प्रतिमाह तथा मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक को रु० 60/-प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। केन्द्र को सरकार से प्राइमरी स्तर पर रु० 105/तथा मिडिल स्तर पर 125/-अनुमन्य हुआ है परन्तु अभी तक प्रदेश सरकार से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए यह लागू नहीं हो पा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा के कार्य का समय, समस्याओं आदि को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक की दरों के पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों को मानदेय के नगद भुगतान की व्यवस्था को समाप्त करके प्रत्येक अनुदेशक के बैंक के माध्यम से भुगतान देने के विभागीय आदेश हैं। शिक्षा निदेशक के अधिकारी शिक्षा पत्रांक संख्या शिक्षा निदेशालय (अनौपचारिक शिक्षा) 7332—7504 दिनांक 22.2. 1986 द्वारा निर्देश दिया गया है कि समस्त विकास खण्ड अथवा तहसील स्थित बैंक पर अपना सेविंग बैंक एकाउन्ट खोलेंगे और अपने खाता संख्या की सूचना प्रति उप निदेशालय विद्यालय के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोषागार से धन आहरित करने हेतु कोषागार में बिल पारित करायेंगे परन्तु इस बिल का नगद भुगतान न लेकर उन सभी बैंकों के मैनेजर के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवायेंगे जहाँ पर अनुदेशकों के खाते खुले होंगे। इन बैंक ड्राफ्टों को सम्बन्धित बैंक के मैनेजरों के नाम एक सूची के साथ भेजा जायेगा जिस पर अनुदेशकों के नाम खाता संख्या तथा धनराशि अंकित होगी जिसका भुगतान किया जाना है। बैंक मैनेजर बैंक ड्राफ्ट के साथ संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित अनुदेशकों के खाते में धन का संक्रमण करा देंगे। किसी भी स्तर पर धन का नगद भुगतान नहीं होगा और ना ही किसी स्तर पर किसी अधिकारी को अपने पद नाम से खाता खोलने की आवश्यकता पड़ेगी।

स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम केवल राज्य के प्रयास से ही सफल नहीं हो सकता है यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है। अतः केन्द्र शत-प्रतिशत सहायता देकर स्वैच्छिक संस्थाओं को प्राइमरी/मिडिल केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अभी तक इस प्रकार की संस्थाओं का पूर्ण योगदान नहीं मिल पा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि इस प्रकार की संस्थाएं जो जन-कल्याण अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है उन्हें 'dentify करें और उन्हें सेवित क्षेत्रों में शिक्षा के सार्वजनीकरण के हित में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित कर उनके प्रस्ताव भिजवायें।

समाज में ऐसे संभ्रान्त व्यक्ति हैं जिनकी शिक्षा-दीक्षा तथा अनुभव का उपयोग इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं के लिए किया जा सकता है। उनसे सम्पर्क कराने की आवश्यकता है। उन्हें इस नीति से अवगत कराने की आवश्यकता होगी। जिससे स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को आर्थिक सहयो।

दिलाकर प्राइमरी/मिडिल स्तरीय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन कराया जाए और शिक्षा के सार्वजनीकरण का शत-प्रतिशत लक्षण प्राप्त किया जा सके।

अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित तथा अभावग्रस्त बच्चों को जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करके उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु मुख्य धारा में लाए जाने की एक पुनीत संकल्पना है जिसके लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की सहकारिता अपरिहार्य प्रतीत होती है।

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

ज्ञातव्य है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के सुधार संचालन की समीक्षा के लिए कतिपय सूचनाओं का नियमित रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है जिससे केन्द्रों की संख्या छात्र-छात्राओं की नामांकन की स्थिति अध्यापकों की नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्व का प्रतिशत पारिश्रमिक वितरण की स्थिति केन्द्रों को पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य साधनों की आपूर्ति केन्द्र पर पड़ने वाले बालक-बालिकाओं की शिक्षा/ज्ञान स्तर की जानकारी हो सके। इसकी सूचनाओं को संकलित करने के लिए केन्द्र स्तर, विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर तथा मण्डल स्तर के लिए मानीटरिंग प्रपत्र बनाए गए हैं। इन सूचनाओं को प्रत्येक माह की तारीख को मंडल स्तर पर संकलित करने तथा तारीख को निदेशालय के सामाजिक शिक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन सूचनाओं के संकलन हेतु विकास खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक (महिला) तथा क्षे० प्रा० अधिकारी निरीक्षक/संख्या बालक विकास निरीक्षिका द्वारा विकास खण्ड स्तर पर केन्द्रों से सम्भावित शिक्षकों की मासिक बैठक बुलाकर सूचनाएं केन्द्र स्तरीय मानीटरिंग प्रपत्र पर संकलित की जाती है। तत्पश्चात् विकास खण्ड स्तरीय मानीटरिंग तैयार कर उप विद्यालय/अपर उप विद्यालय निरीक्षक की उपलब्ध कराई जाती हैं। उप-विद्यालय निरीक्षक/अपर उप-विद्यालय निरीक्षक जिला स्तरीय मानीटरिंग प्रपत्र पर सूचना तैयार करवाकर जिला बेसिक शिक्षा के माध्यम से मण्डल स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। मण्डल स्तर पर कार्यरत विद्यालय कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा एवं मण्डलीय स० शिक्षा विद्यालय (बेसिक) को मण्डल स्तरीय मानीटरिंग प्रपत्रों की सूचनार्थ तैयार करके निदेशालय को भिजवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विद्यालय कार्यक्रम एवं मण्डलीय स० शिक्षा विभाग (बेसिक) को जनपदों का भ्रमण करने तथा कार्यक्रम की स्थलीय समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मानीटरिंग प्रपत्र की सूचनाओं से कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा होती है और उसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करके निदेशालय से राज्य सरकार को उपलब्ध करानी होती है।

उक्त सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक माह के तारीख को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र संख्या छात्र नामांकन व्यय विवरण तथा नवीन कार्यक्रम की सूचनाएं जनपदों से निर्धारित प्रपत्र पर मांगी जाती हैं। जिन्हें निदेशालय द्वारा संकलित करके उपशिक्षा निदेशक शिविर लखनऊ को प्रस्तुत किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाएं समय से मण्डल स्तर से प्राप्त की जाने की अपेक्षा की जाती है।

अनौपचारिक शिक्षा मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा कार्य-क्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्तर्गत (1) शैक्षिक मूल्यांकन (2) केन्द्र का मूल्यांकन तथा (3) कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।

(1) शैक्षिक मूल्यांकन—छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यूनिट की मूल्यांकन तथा सत्रीय परीक्षाओं की व्यवस्था है। यूनिट मूल्यांकन के आधार पर बालक बालिकाओं को समय-समय पर होलियों में विमुक्त किया जाता है और सत्र के अन्त में उन्हीं के आधार पर कक्षोन्नति दी जाती है। इसका अभिलेख उपस्थित पंजिका में रखे जाने का निर्देश हैं।

(2) केन्द्रों का मूल्यांकन—जनपद के केन्द्रों की सफलता के मूल्यांकन एवं सम्बन्धित गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के मूल्यांकन का कार्य दीक्षा विद्यालय की अनौ० शिक्षा इकाई एवं मण्डलीय स० शि० नि० (बेसिक) को सौंपा गया है। सम्बन्धित व्यक्ति यथा-समय केन्द्रों का मूल्यांकन करते रहते हैं।

(3) कार्यक्रम का मूल्यांकन—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन विकास खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षक/परिवेक्षिका (म) /से० प्र० अ० वि० नि०/सा० शि० नि० द्वारा जनपद स्तर पर उप वि० नि०/अपर अ० वि० नि० की सहायता से जि० बे० शि० अ० द्वारा मण्डल स्तर पर वि० का० के सहयोग से मण्डलीय स० शि० नि० (बे०) द्वारा तथा राज्य स्तर राज्य शिक्षा संस्थान में कार्यरत वरिष्ठ परामर्शी एवं परामर्शियों द्वारा किया जाता है।

●

अनौपचारिक शिक्षा

परीक्षाफल का समीक्षात्मक विवरण

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं के अध्ययन का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक परीक्षा का भी प्राविधान किया गया। जिसके आधार पर ये बच्चे औपचारिक बच्चों के साथ पढ़ने में सफल हो सकें और अपने अन्दर आत्मनिष्ठा एवं साहस की भावना ला सकें। बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह विद्या अपनायी गयी।

इस योजना में सर्व-प्रथम वार्षिक परीक्षा वर्ष 1982 में प्राइमरी स्तर के 1980-81 में खुले केन्द्रों को की गयी। जिसमें कुल 2800 केन्द्रों के बच्चे सम्मिलित हुए। इस प्रकार वर्ष 1982 में कुल 2800 प्राइमरी स्तर के केन्द्रों की परीक्षा हुई जिसमें पंजीकृत छात्र 49,268 रहे, परीक्षा में 42,788 छात्र सम्मिलित हुए और उसमें उत्तीर्ण छात्र 37,766 रहे। जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 88% रहा। इस योजना की प्रगति हुई और यह क्रमशः आगे बढ़ती रही जिसका विवरण निम्नवत् है।

वर्ष 1983 में प्राइमरी स्तर के 2800 केन्द्रों की परीक्षा हुई जिसमें पंजीकृत छात्र 57,787, परीक्षा में सम्मिलित छात्र 44,785, तथा उत्तीर्ण छात्र 42,098 रहे। इस प्रकार परीक्षाफल का उत्तीर्ण प्रतिशत 94% रहा। यह योजना गतवर्ष की अपेक्षा उस वर्ष काफी प्रगति पर रही।

वर्ष 1984 में प्राइमरी स्तर के 5600 + 5600 केन्द्रों की तथा मिडिल स्तर के 1600 केन्द्रों की परीक्षा सम्पादित की गयी। जिसमें प्राइमरी स्तर के कुल 1,90,308 पंजीकृत छात्रों में 1,75,068 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 1,65,526 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। इस प्रकार उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 95% रहा।

वर्ष 1985 में 10400 प्राइमरी एवं 1600 मिडिल स्तर के केन्द्रों पर 2,31553 छात्र पंजीकृत रहे। 1,81,190 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें 1,59,076 छात्र परीक्षा उत्तीर्ण किये। इस प्रकार उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 88% रहा। मिडिल स्तर के केन्द्रों में 22,082 छात्र पंजीकृत हुए, 11,777 छात्र परीक्षा में बैठे जिसमें 8256 छात्र परीक्षा उत्तीर्ण किये। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 70% रहा।

इसी प्रकार वर्ष 1986 में प्राइमरी स्तर के 14600 केन्द्रों की तथा मिडिल स्तर के 720 केन्द्रों की परीक्षा की गयी। जिसमें प्राइमरी स्तर केन्द्रों पर 3,31744 छात्र पंजीकृत रहे। उसमें 219,054 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। जिसमें 1,92,420 छात्र परीक्षा उत्तीर्ण किये। जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 89·21% रहा। मिडिल स्तर के 720 केन्द्रों में पंजीकृत छात्र 9717 रहे, परीक्षा में 6318 छात्र सम्मिलित हुए। जिसमें मात्र 4512 छात्र उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार परीक्षाफल का उत्तीर्ण प्रतिशत इनका 71.41% रहा।

वर्ष 1987 में 3000 प्राइमरी स्तर के बालिका केन्द्रों की परीक्षा हुई जिसमें 75344 छात्र/छात्रायें पंजीकृत रहे, परीक्षा में 52,742 छात्र/छात्रायें सम्मिलित हुये। जिसमें 49,826 छात्र/छात्रायें परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार छात्र/छात्राओं का प्राइमरी स्तर का उत्तीर्ण प्रतिशत 94·47% रहा। मिडिल स्तर के 1600 केन्द्रों पर 19757 छात्र/छात्रायें पंजीकृत रहे। 10,089 छात्र/छात्रायें परीक्षा में सम्मिलित हुए। जिसमें 6844 छात्र-छात्रायें परीक्षा उत्तीर्ण किये। इस प्रकार मिडिल स्तर के छात्र-छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 67·8 रहा।

इस प्रकार यह योजना वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ हुई। जिसमें परीक्षा का संचालन प्राइमरी स्तर का दो वर्ष

केन्द्र चलने के बाद वर्ष 1982 में प्रारम्भ हुई तथा मिडिल स्तर का तीन वर्ष केन्द्र चलने के बाद बाद वर्ष 1984 में प्रारम्भ हुई। केन्द्र के दो वर्ष पूर्ण होने पर कक्षा 5 के औपचारिक विद्यालय के बच्चों के साथ परीक्षा सम्पादित की जाती है तथा तीन वर्ष पूर्ण होने पर कक्षा 8 के औपचारिक विद्यालय के बच्चों के साथ ही परीक्षा सम्पादित की जाती है। जिससे परीक्षा का तुलनात्मक स्थिति ठीक रहे व साथ ही बच्चा अपने को औपचारिक विद्यालयों के बच्चों से कम न समझ सके। परीक्षोपरान्त उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र औपचारिक विद्यालयों के बच्चों के समान ही दिये जाते हैं। जिससे वह अगली कक्षा में अपना नामांकन करा सके। विभाग एवं शासन ने दोनों स्तर (प्रा.इमरी विद्यालय व अनौ० शिक्षा केन्द्र) के प्रमाण पत्रों को समान वैधता दी है।

अतः परीक्षा के माध्यम से छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन कर उनको अगली कक्षा में प्रवेश हेतु प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। परीक्षा का वर्ष 1982 से वर्ष 1987 तक का पूर्ण विवरण सन्लग्नक सारणी से स्पष्ट है।

●

प्राइमरी स्तर व मिडिल स्तर के बालक/बालिकाओं का परीक्षाफल
वर्ष 1982 से 1987 तक

		प्राइमरी स्तर				मिडिल स्तर			
वर्ष	वर्ग	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण	प्रतिशत	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण	प्रतिशत
	बालक	32,431	28,104	24,564	87%				
1982	बालिका	16,837	14,684	13,202	89%				
	योग	49,268	42,788	37,766	88%				
	बालक	38,645	32,963	31,315	95%				
1983	बालिका	13,136	11,822	10,783	91%				
	योग	57,787	44,785	42,098	94%				
	बालक	1,04,888	1,10,188	1,03,680	94%				
1984	बालिका	85,420	64,880	61,846	95%				
	योग	1,90,308	1,75,068	1,65,525	95%				
	बालक	1,49,830	1,07,136	1,00,326	94%	15,594	8301	5603	67.47%
1985	बालिका	81,723	74,054	58,750	79%	6488	3476	2353	76%
	योग	2,31,553	1,81,190	1,59,076	88%	22,082	11,777	8256	70%
	बालक	2,03,120	1,36,130	1,24,550	94.5%	6482	4176	2896	69.34%
1986	बालिका	1,28,624	82,924	70,870	85.5%	3235	2142	1616	92.66%
	योग	3,31,744	2,19,054	1,95,420	89.21%	9717	6318	4512	71.41%
	बालक	17,722	12,033	11,497	95.54%	12,983	6802	4436	65.2%
1987	बालिका	57,622	40,709	38,339	94.15%	6774	3387	2408	73.25%
	योग	75,344	52,742	49,826	94.47%	19,757	10,089	6844	67.8%

"अनौपचारिक शिक्षा नई प्रस्तावित परियोजना"

जनपद वाद विवरण "उत्तर प्रदेश"

क्रमांक	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपद में स्वीकृति परियोजना संख्या
1	2	3	4
1.	लखनऊ मंडल	लखनऊ	5
2.		उन्नाव	6
3.		सीतापुर	7
4.		हरदोई	6
5.		लखीमपुर खीरी	6
6.		रायबरेली	6
7.	फैजाबाद मंडल	फैजाबाद	6
8.		बहराइच	7
9.		प्रतापगढ़	6
10.		सुल्तानपुर	7
11.		गोण्डा	7
12.		बाराबंकी	6
13.	गोरखपुर मण्डल	गोरखपुर	7
14.		देवरिया	7
15.		बस्ती	7
16.		आजमगढ़	7
17.	वाराणसी मण्डल	वाराणसी	6
18.		मिर्जापुर	6
19.		जौनपुर	6
20.		गाजीपुर	6
21.		बलिया	6
22.	इलाहाबाद मण्डल	इलाहाबाद	6
23.		फतेहपुर	6
24.		कानपुर नगर/देहात	6
25.		फर्रुखाबाद	6
26.		इटावा	6
27.	झाँसी मण्डल	झाँसी	5
28.		ललितपुर	3

1	2	3	4
29.		हमीरपुर	5
30.		जालौन	3
31.		बाँदा	7
32.	आगरा मण्डल	आगरा	6
33.		मथुरा	6
34.		मैनपुरी	6
35.		अलीगढ़	6
36.		एटा	3
37.	मेरठ मण्डल	मेरठ	6
38.		सहारनपुर	6
39.		मुजफ्फरनगर	6
40.		बुलन्द शहर	6
41.		गाजियाबाद	6
42.	मुरादाबाद मण्डल	मुरादाबाद	8
43.		बिजनौर	7
44.		रामपुर	3
45.	बरेली मण्डल	बरेली	6
46.		बदायूँ	8
47.		शाहजहाँपुर	6
48.		पीलीभीत	4
49.	नैनीताल मण्डल	नैनीताल	6
50.		अल्मोड़ा	6
51.		पिथौरागढ़	6
52.	पौड़ी गढ़वाल मण्डल	पौड़ी गढ़वाल	12
53.		टेहरी गढ़वाल	4
54.		चमोली	8
55.		उत्तर काशी	3
56.		देहरादून	3
			Grand Total 336
			Three Hundred Thirty Six Only

अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र निर्धारण

प्रदेश के समस्त जनपदों में अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अभी तक की स्थिति के अनुसार ऐसा देखा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र किन्हीं-किन्हीं जनपदों में एक ही विकास खण्ड में संचालित हो रहे थे। ऐसा अधिकांशतया उन्हीं जनपदों में था जहाँ विकास खण्डों की संख्या न्यून थी और जनपद के सभी विकास खण्ड अनौपचारिक शिक्षा योजना कार्यक्रम से आच्छादित हो गये थे।

नये कार्यक्रम के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं का गठन (निर्माण) प्रत्येक जनपद में स्वीकृत संख्या में किया जा रहा है। साथ-ही-साथ जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि भविष्य में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ऐसे विकास खण्ड में न संचालित किये जायें जहाँ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित है या भविष्य में संचालित किये जाने की योजना प्रस्तावित है।

अनौपचारिक शिक्षा योजना किन-किन विकास खण्ड (परियोजना मुख्यालय) के अन्तर्गत संचालित होगी साथ-ही-साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किन-किन विकास खण्डों में संचालित किया जायेगा का विस्तृत विवरण संलग्न सारिणी में दिया जा रहा है। सूत्री को देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि किन-किन विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र संचालित होंगे और कहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी विवरण

"उत्तर-प्रदेश"

क्रमांक	मण्डल का नाम एवं वि० ख० की संख्या	जनपद का नाम	जनपद में वि० ख० की संख्या	प्रौढ़ शिक्षा के विकास खण्डों का नाम	अनौ० शिक्षा स्वीकृत परि-यो० संख्या	अनौ० शिक्षा परियोजना वि० खण्ड एवं मुख्या-लय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ मण्डल 96	लखनऊ	8	1. सिरोजनी नगर 2. चिनहट 3. बक्सी का तालाब	5	1. कोकोरी 2. मलिहाबाद 3. माल 4. मोहन लालगंज 5. गोसाईंगंज
		सीतापुर	19	1. महमूदाबाद 2. रेऊसा 3. रामपुर मथुरा 4. पहला 5. बेहटा 6. सकरन	7	1. हरगांव 2. मछरेहटा 3. लहरपुर 4. मिश्रिख 5. खैराबाद 6. सिधौली 7. मछौली
		उन्नाव	16	1. नवाबगंज	6	1. हिलौली

1	2	3	4	5	6	5
				2. बिछिया		2. बीधापुर
				3. पुरवा		3. सिकन्दरपुर कर्टा
				4. हसनगंज		4. सिकन्दरपुर सरोसी
				5. मियागंज		5. सफीपुर
				6. बांगरमऊ		6. गंज मुरादाबाद
		हरदोई	19	1. सण्डिला	6	1. अहिरोरी
				2. कछौना		2. कोयावां
				3. बेहन्दर		3. पिहानी
				4. मल्लावां		4. बावन
				5. माधोगंज		5. सुरसा
				6. बिलग्राम		6. साण्डी
		लखीमपुरखीरी	15	1. बेहजम	6	1. बिजुआ
				2. कुम्भी		2. पूमबेहड़
				3. मितौली		3. पसगवां
				4. धौरहरा		4. नकहा
				5. रमियाबेहड़		5. लखीमपुर
				6. निघासन		6. मोहम्मदी
		रायबरेली	19	1. राही	6	1. जगतपुर
				2. हरचन्दपुर		2. सिलोई
				3. अमावां		3. बछरावां
				4. डीह		4. महराजगंज
				5. बहादुरपुर		5. सतांव
				6. सलोन		6. लालगंज
2. फैजाबाद मण्डल		बहराइच	19	1. मिहिपुरवा	7	1. जमुनही
				2. चित्तौरा		2. नवाबगंज
				3. तजवापुर		3. जरवल
				4. बलहा		4. फखरपुर
				5. रिसिया		5. गिलौला
				5. सिरसिया		6. इकौना
						7. महसी
		गोण्डा	25	1. पडरीकृपाल	7	1. उतरौला
				2. इरियाथोक		2. रेहरा बाजार
				3. बलरामपुर		3. वमनजोत
				4. झंझरी		4. मुजेहना
				5. रुपईडीह		5. तुलसीपुर

1	2	3	4	5	6	7
				6. छपिया		6. गैंसडी
						7. कटरा बाजार
		फैजाबाद	18	1. मसोधा	6	1. पूरा
				2. सोहवल		2. टाण्डा
				3. बीकापुर		3. रामनगर
				4. अमानीगंज		4. भियाँव
				5. मिल्कीपुर		5. अकबरपुर
				6. हरिंग्टनगंज		6. भीटी
		सुल्तानपुर	22	1. जामों	7	1. धनपतगंज
				2. गौरीगंज		2. भेटुआ
				3. गाहगढ़		3. भादर
				4. संग्रामपुर		4. कूरेभार
				5. भादर		5. लम्भुआ
				6. कुड़वार		6. दोस्तपुर
				7. मुसाफिरखाना		7. कादीपुर
				8. जगदीशपुर		
		प्रतापगढ़	15	1. मान्धाता	6	1. कुण्डा
				2. सदर		2. बाबागंज
				3. खड़वाचन्द्रिका		3. लक्ष्मणपुर
				4. सांगीपुर		4. मगरौरा
				5. रामपुर खास		5. गौरा
				6. कालीकांकर		6. पट्टी
		बाराबंकी	16	1. फतेहपुर	6	1. सूरतगंज
				2. त्रिवेदीगंज		2. मवई
				3. देवा		3. पूरे उलई
				4. बंकी		4. दरियाबाद
				5. हरख		5. निन्दूरा
				6. सिद्धौर		6. हैदरगढ़
				7. मसौली		
				8. रामनगर		
3. गोरखपुर मण्डल 121		गोरखपुर	31	1. वडहलगंज	7	1. घुघली
				2. गंगहा		2. परतावल
				3. कौड़ीराम		3. भटहट
				4. खिजनौल		4. पिपरौली
				5. मौतनवां		5. सहजनवा

1	2	3	4	5	6	7
				6. लक्ष्मीपुर		6. खजनी
				7. चरगवाँ		7. उरुवा
				8. पिपराइच		
				9. पनियरा		
		देवरिया	29	1. गौरी बाजार.	7	1. सुकरौली
				2. बैतालपुर		2. कप्तानगंज
				3. रुद्रपुर		3. खड्डा
				4. सलेमपुर		4. पिपरा बाजार (बिशुनपुरा)
				5. भागलपुर		5. पडरौना
				6. भलुअनी प्रस्तावित		6. कसया
				7. दुदही		7. फाजिल नगर
				8. तमकुही		
				9. सेवरही		
		बस्ती	32	1. बाऊघाट	7	1. बर्डपुर
				2. सल्टौआ		2. जोगिया
				3. रुधौली		3. खुनियाँव
				4. रामनगर		4. इटवा
				5. खलीलाबाद		5. सेमरियावाँ
				6. नाथपुर		6. हैसर
						7. परशुरामपुर
		आजमगढ़	29	1. मेंहनगर	7	1. जहानागंज
				2. मुहम्मदपुर		2. सठियाँव
				3. ठेकमा		3. मिर्जापुर
				4. आजमगढ़		4. तरवा
				5. महराजगंज		5. फूलपुर
				5. बिलरियागंज		6. अहरौला
				7. रानीपुर		7. कोयलसा
				8. परदहा		
				9. मुहम्मदाबाद		
4. वाराणसी मण्डल	97	वाराणसी	22	1. चन्दौली	6	1. भदोही
				2. बरहनी		2. ज्ञानपुर
				3. सकलडीहा		3. चकिया

1	2	3	4	5	6	7
				4. धानापुर		4. अराजीलाइन (राजा तालाब) 5. चिरईगांव 6. पिण्डारा
		मिर्जापुर	20	1. चोपन 2. म्योरपुर 3. घोरावल 4. मड़िहान 5. लालगंज 6. नगर	6	1. दुद्धी 2. रामगढ़ 3. राबर्टसगंज 4. नरायनपुर 5. बिहसड़ा 6. पड़री
		जौनपुर	20	1. केराकत 2. मुफ्तीगंज 3. डोभी		1. धर्मापुर 2. मडियाहूँ 3. मछली शहर 4. मुगराबादशाहपुर 5. बदलापुर 6. शाहगंज
		गाजीपुर	16	1. सादात 2. सैदपुर 3. देवकली 4. मनिहारी 5. जखनियां 6. करण्डा	6	1. कासिमाबाद 2. मरदह 3. रेवतीपुर 4. गाजीपुर 5. मुहम्मदाबाद 6. जमानियां
		बलिया	18	1. नवाब नगर 2. पन्दह 3. नगरा	6	1. कोरिया 2. बांसडीह 3. रसड़ा 4. चिलकहर 5. हनुमानगंज 6. सीयर
5.	इलाहाबाद मण्डल 89	इलाहाबाद	28	1. मेजा 2. कोरांव 3. मांडा 4. सिराथू 5. कड़ा 6. मूरतगंज 7. कोरांव		1. जसरा 2. चाका 3. मंझनपुर 4. चायल 5. कौड़िहार 6. हंडिया

1	2	3	4	5	6	7
				8. मऊआइमा		
				9. होलागढ़		
		फतेहपुर	13	1. ऐरायाँ	6	1. बहुआ
				2. धाता		2. हथगाँव
				3. विजयीपुर		3. तेलियानी
				4. बिन्दकी		4. असोधर
				5. मलवाँ		5. हसवा
				6. देवभई		6. अमौली
		कानपुर शहर/देहात	20	1. सरसौल	6	1. अकबरपुर
				2. कल्याणपुर		2. राजापुर
				3. घिघून		8. रसूलाबाद
				4. घाटमपुर		4. मलासा
				3. भीतरगाँव		5. पतारा
				6. अमरौधा		6. सन्दलपुर
				7. बिल्हौर		
				8. शिवराजपुर		
				9. ककवन		
		फरुखाबाद	14	1. कन्नौज	5	1. नवाबगंज
				2. जलालाबाद		2. हुसेरन
				3. उमर्दा		3. बढ़पुर
				4. छिबरामऊ		4. कायमगंज
				5. सौरिख		5. कमालगंज
				6. तालग्राम		6. मोहम्मदाबाद
		इटावा	14	1. बसरेहर	6	1. ऐरवा कटरा
				2. तारवा		2. भरथना
				3. जसवन्तनगर		3. बढ़पुरा
						4. बकेवर
						5. अजीतमल
						6. अछल्दा
6. झाँसी मण्डल	झाँसी	47	8	1. मऊरानीपुर	5	1. बबीना
				2. गुरसराय		2. बड़ागांव
				3. वामौर		3. चिरगांव
						4. मोठ
						5. बगरा
		ललितपुर	6	1. तालबेहट	3	1. मडावरा

1	2	3	4	5	6	7
				2. जखौरा		2. विरधा
				3. बार		3. महरौनी
		जालौन	9	1. कोंच	3	1. डकोर
				2. नदीगांव		2. रायपुरा
				3. माधोगढ़		3. जालौन
				4. महेवा		
				5. कदौरा		
				6. कुठौंद		
		हमीरपुर	11	1. कुरारा	5	1. सरीला
				2. मुस्करा		2. गोहाण्ड
				3. चरखारी		3. राठ
				4. सुमेरपुर		4. पनवाड़ी
				5. मोदहा		5. जैतपुर
				6. कबरई		
		बांदा	13	1. कर्वी	7	1. बबेरू
				2. मानिकपुर		2. तिन्दवारी
				3. पहाड़ी		3. जसपुरा
				4. विसंडा		4. महुआ
				5. नरैनी		5. बड़ोखर
				6. कमासिन		6. मऊ
7. आगरा मण्डल	77	आगरा	18	1. टुण्डला	6	1. कोटला
				2. फिरोजाबाद		2. फतेहपुर सीकरी
				3. ऐत्मादपुर		3. जगनेर
				4. बरौली अहीर		4. जैतपुर
				5. शमसाबाद		5. फतेहाबाद
				6. खन्दौली		6. सैंया/अकोला
		मथुरा	12	1. मथुरा	6	1. फरह
				2. गोबर्धन		2. सहमऊ
				3. राया		3. मॉट
				4. छाता		4. नोहझील
				5. चौमुहा		5. बल्देव
				6. नन्दगांव		6. सादाबाद
		एटा	15	1. शीतलपुर	6	1. जलेसर
				2. मारहरा		2. अमोंपुर

1	2	3	4	5	6	7
				3. खकीट		3. जैथरा
				4. मंजडुंडवारा		4. कासगंज
				5. पटियाली		5. निधौली कला
				6. सिढपुरा		6. अलीगंज
		मैनपुरी	15	1. मैनपुरी	6	1. शिकोहाबाद
				2. करहल		2. एका
				3. किशनी		3. उरांव
						4. बरनाहल
						5. जसराना
						6. बिरोर
		अलीगढ़	17	1. चन्दौस	6	1. सिकन्दरामऊ
				2. लोधा		2. अकराबाद
				3. धनीपुर		3. अतरौली
				4. सासनी		4. गोण्डा
				5. हाथरस		5. जवां
				6. इगलास		6. खैर
8. मेरठ मण्डल 75		मेरठ	17	1. मवाना	6	1. आनी
				2. हस्तिनापुर		2. रोहटा
				3. परीक्षितगढ़		3. रजपुरा
						4. मेरठ
						5. बागपत
						6. बिनौली
		गाजियाबाद	10	1. रजापुर	6	1. मुरादनगर
				2. लोनी		2. पिसरख
				3. दादरी		3. भोजपुर
						4. हापुड़
						5. धौलाना
						6. गढ़मुक्तेश्वर
		सहारनपुर	16	1. रुड़की	6	1. गंगोह
				2. बलिया खेड़ी		2. लकसर
				3. भगवानपुर		3. पुवारंका
						4. नारसन
						5. देवबन्द
						6. सदलाबां

National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4083
Date 5/1/88

1	2	3	4	5	6	7
		मुजफ्फरनगर	14	1. जनसठ 2. मोरना 3. पुरकाजी 4. चरथावल 5. थाना भवन 6. ऊन	6	1. बघरा 2. शामली 3. बुढ़ाना 4. मुजफ्फरनगर 5. शाहपुर 6. कांधला
		बुलन्दशहर	17	1. खुर्जा 2. पहासू 3. बुलन्दशहर 4. दिबाई 5. दानपुर 6. अनूपशहर	6	1. स्याना 2. सिकन्दराबाद 3. ऊँचागांव 4. छीनिया 5. जहांगीराबाद 6. शिकारपुर
9. मुरादा मण्डल 36		मुरादाबाद	19	1. बिलारी 2. डींगरपुर 3. मुरादाबाद 4. बनियाखेड़ा 5. बहजोई 6. सम्भल	8	1. अमरोहा 2. पवांसा 3. हसनपुर 4. कोंठ 5. भूड़ा पाण्डेय 6. धन्नौर 7. गंगेश्वरी 8. भगतपुर
		रामपुर	6	1. चमरव्वा 2. शाहबाद 3. सैदनगर	3	1. मिलक 2. स्वार 3. बिलासपुर
		बिजनौर	11	1. नजीबाबाद 2. कोतवाली 3. कीरतपुर	7	1. अफजलगढ़ 2. नूरपुर 3. बुढ़नपुर 4. जलीलपुर 5. धामपुर/ अल्हैपुर 6. मोहम्मदपुर/ देवमल 7. नहटौर/हल्दौर
10. बरेली मण्डल 54		बरेली	15	1. रिछा 2. नवाबगंज	6	1. बहेड़ी 2. शेरगढ़

1	2	3	4	5	6	7
				3. भोजीपुरा		3. फरीदपुर
				4. फतेहगंज		4. मदपुरा
				5. मीरगंज		5. रामनगर
				6. क्यारा		6. आलमपुर जाफराबाद
		पीलीभीत	7	1. पूरनपुर	4	1. ललौरीखेड़ा
				2. मरौरी		2. अपरिया
				3. बीसलपुर		3. बरखेड़ा
						4. बिलसण्डा
		शाहजहाँपुर	14	1. तिलहर	6	1. खुटार
				2. कटरा		2. वण्डा
				3. जैतीपुर		3. निगोही
				4. ददरौल		4. सिन्धौली
				5. भावलखेड़ा		5. जलालाबाद
				6. मिर्जापुर		6. कलान
		बदायूँ	18	1. सहसवल	8	1. गुन्नौर
				2. दहगवां		2. जगत
				3. इस्लामनगर		3. बिसौली
				4. उझानी		4. वजीरगंज
				5. अम्बियापुर		5. उसावां
				6. कादरचौक		6. रजपुरा
						7. बिनावर
						8. दातागंज
11. नैनीताल मण्डल	41	नैनीताल	15	1. रामनगर	6	1. ओखलकांडा
				2. बाजपुर		2. गरमपानी/ बेतालघाट
				3. हल्द्वानी		3. खटीमा
				4. भीमताल		4. सितारगंज
				5. धारी		5. रुद्रपुर
				6. कोटाबांग		6. काशीपुर
		अल्मोड़ा	14	1. धौलादेवी	6	1. कमकोट
				2. भैसिअछाना		2. भागेश्वर
				3. लमगड़ा		3. लौसानी

1	2	3	4	5	6	7
				4. द्वाराहाट		4. अल्मोड़ा
				5. चौखुटिया		5. जनिला
				6. ताड़ीखेत		6. स्यालदेह
		पिथौरागढ़	12	1. डीडीहाट	6	1. गंगोलीहाट
				2. मुनस्यारी		2. बाराकोट
				3. कनालीछीना		3. धारचूला
				4. चम्पावत		4. बेपीनाग
				5. पाटी		5. मूनाकोट
				6. लोहाघाट		6. विण
12. पौड़ी गढ़वाल मण्डल	48	पौड़ीगढ़वाल	15	1. एकेवर	12	1. नैनीडांडा
				2. ओखड़ा		2. थलीसैंण
				3. रिखड़ीखाल		3. वीरोखाल
						4. कोट
						5. खिसूं
						6. टुगड्डा
						7. एपकेश्वर
						8. द्वारीखाल
						9. पावी
						10. कलपीघाट
						11. जयहरीखाल
						12. पौड़ी
		चमोली	11	1. नारायणगढ़	8	1. थराली
				2. कर्णप्रयाग		2. देवाल
				3. गैरसैंण		3. जोशीमठ
						4. घाट
						5. उखीमठ
						6. नागनाथ पोखरी
						7. अगस्त्यमुनि
						8. दशौली गोपेश्वर
		टेहरीगढ़वाल	10	1. कीर्तिनगर	4	1. जखोली
				2. देवप्रयाग		2. मिलगंना
				3. प्रतापनगर		3. जाखनीधर

1	2	3	4	5	6	7
				4. जौलपुर		4. चम्पा
				5. धौलधार		
				6. नरेन्द्रनगर		
		उत्तरकाशी	6	1. चिन्यालीसैण्ड	3	1. नौगांव
				2. भरवाड़ी		2. पुरोला
				3. डुण्डा		3. मोरी
		देहरादून	6	1. विकासनगर	3	1. चकराता
				2. सहसपुर		2. रामपुर
				3. कालसी		3. डोईवाला

प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

☐ हमीदा अजीज
सह-उप-निर्देशक
राज्य शिक्षा संस्थान
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विश्व में व्याप्त प्रौद्योगिक क्रान्ति में भाग लेने एवं नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा व्यवस्था की कमियों और सीमाओं को दूर कर स्पष्ट, सुस्थिर एवं क्रियान्वित किये जाने की क्षमता रखने वाली संकल्पनाओं, आयामों और विचारों से एक सुगठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया ताकि समाज के लाभान्वित होने के साथ ही साथ एक गतिशील मानक शक्ति भी तैयार हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, शिक्षा की समान सुविधाएँ, तकनीकी ज्ञान, व्यवसायों एवं उद्यमियों से परिचय, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा की 'पड़ी' एवं अर्जन गतिशीलता (Vertical Mobility) में वृद्धि होना सुनिश्चित किया गया ताकि समाज के सदृश्य अपनी वैयक्तिक क्षमताओं को समझ कर विविध योग्यताओं में वृद्धि कर सकें। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूप-रेखा के आधार बिन्दु, संवैधानिक मूल्यों का प्रसार, मानवीय संसाधनों का विकास, व्यापक सामान्य शिक्षा, छात्र केन्द्रित शिक्षा, विषय-वस्तु एवं अनुभवों में गतिशीलता की सुविधा एवं सभी प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था में इनका समान रूप में समावेश है चाहे वह औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था हो या अनौपचारिक शिक्षा-पद्धति।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र भाषा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कतिपय आधारभूत तत्व जैसे राष्ट्रीय पहचान में संवर्द्धन, विविध संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक दल की सुरक्षा, भारतीय नागरिकता का गौरव, मूल्यों की पहचान, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक विकास, विभिन्न आर्थिक एवं राष्ट्रीय समस्याएँ एवं राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान एवं समादर भाव, जनसंख्या शिक्षा, अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रमान्तर्गत विभिन्न स्तरों के लिये शिक्षा का माध्यम, शिक्षण समय के निर्धारण और विभिन्न क्षेत्रों के समय पर भी ध्यान दिया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा :

प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के सार्वभौमीकरण सम्बन्धी संवैधानिक दायित्व के परिप्रेक्ष्य में अनौपचारिक शिक्षा की उपादेयता असंदिग्ध है। अतः आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कारणोवश इस पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक समझा गया। इसके अन्तर्गत स्थानीय उद्योगों की शिक्षा, किसी कारण शैक्षिक सुविधा न प्राप्त कर सकने वालों को उचित शिक्षा देकर शिक्षा की मुख्यधारा में मिलाना और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना आदि सम्मिलित हैं।

अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इसकी सीमाओं और वयवर्ग के स्तरों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का उल्लेख, विषय-वस्तु, शिक्षण-विधि, नीति निर्धारण, शैक्षणिक सामग्री, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन आते हैं—

- ☐ अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है कि उसमें गतिशीलता हो।
- ☐ स्थानीय जीवन के प्रति संवेदन-शीलता हो।

- ☐ व्यावहारिकता हो।
- ☐ विभिन्न सामाजिक वर्गों के जीवन के अनुभव और जीवन-शैली का ध्यान हो।
- ☐ विभिन्न वर्गों के ज्ञान और व्यवहार के सम्बन्ध में जानकारी हो।
- ☐ पाठ्यक्रम स्थानीय जीवन के अनुरूप बना लिया जाए।
- ☐ ज्ञान को उनके जीवन के निकटवर्ती अनुभवों से जोड़कर दिया जाए।
- ☐ पाठ्यक्रम और पाठ्य-सामग्री स्थानीय समस्याओं पर आधारित हो।
- ☐ पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखा जाय कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य, आधार, विभिन्न पहलू और विभिन्न भाग क्या हो ? इसका नियोजन विवेकपूर्ण और तर्क संगत ढंग से किया जाए।

सुझाव के रूप में पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूप-रेखा निम्नवत् हो सकती है—

(अ) अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषता :

- ☐ स्थानीय जीवन से निकटता।
- ☐ व्यवहारपरकता।
- ☐ गतिशीलता।

(ब अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार :

- ☐ छात्रों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि।
- ☐ इच्छुक छात्रों को मुख्य धारा में लाना।
- ☐ बच्चों से सम्बन्धित ज्ञान।
- ☐ समय और अवधि।
- ☐ विषय-वस्तु।

(स) अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम के विभिन्न आयाम (पहलू)

- ☐ राष्ट्रीय पहचान में संवर्द्धन, सांस्कृतिक दल की सुरक्षा, भारतीय नागरिकता का गौरव, मूल्यों की पहचान।
- ☐ स्वास्थ्य।
- ☐ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विभिन्न आर्थिक एवं राष्ट्रीय समस्याएँ, राष्ट्रीय नीतियाँ, समादर भाव।
- ☐ रोजगारपरक शिक्षा, व्यवसायों की तकनीकी जानकारी।
- ☐ तकनीकी ज्ञान।
- ☐ पर्यावरण की सुरक्षा (प्राकृतिक एवं सामाजिक)।
- ☐ जनसंख्या शिक्षा, अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान, लैंगिक समानता।
- ☐ समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवाएँ।
- ☐ सामाजिक अवरोधों को दूर करना।
- ☐ साक्षरता।
- ☐ चेतना जागृति।
- ☐ अंक ज्ञान।

(द) पाठ्यक्रम के विभिन्न भाग :

- ☐ अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य ।
- ☐ विषय-वस्तु और शिक्षण-विधि ।
- ☐ पाठ्य-सामग्री एवं जिला स्तर पर उसकी तैयारी हेतु सुझाव ।
- ☐ मानीटरिंग एवं मूल्यांकन ।

विषय-वस्तु

(समस्याओं को ध्यान में रखते हुए)

(क) शैक्षिक :

- ☐ निरक्षरता दूर करना ।
- ☐ शैक्षिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ।
- ☐ उदार दृष्टिकोण का विकास करना ।
- ☐ नित्य-प्रति का हिसाब रखने में समर्थ बनाना ।
- ☐ विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना ।
- ☐ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ।
- ☐ अच्छी आदतों का निर्माण एवं विकास करना ।
- ☐ वैज्ञानिक सार्थकता जागृत करना ।
- ☐ पर्यावरणीय स्वच्छता की भावना जागृत करना ।
- ☐ नैतिक मूल्यों से अवगत कराना ।
- ☐ व्यवहारगत परिवर्तन पर ध्यान देना ।
- ☐ सभी उद्देश्यों की पूर्ति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था ।

ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी :

- ☐ व्यक्तिगत पारिवारिक पास-पड़ोस और पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना ।
- ☐ जल प्रदूषण एवं दूर करने के उपायों से अवगत कराना ।
- ☐ कुपोषण दूर कर सस्ते पौष्टिक आहार का ज्ञान और प्राप्ति के उपाय बताना ।
- ☐ भावी जीवन (किशोरावस्था की विभिन्न समस्याएँ और समाधान से अवगत कराना—बालक/बालिकाओं को) के लिए तैयार करना ।
- ☐ माँ बनने की तैयारी सम्बन्धी सतर्कताएँ, बच्चे की प्रारम्भिक देख-भाल, भोजन, प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य सम्बन्धी सतर्कताएँ ।
- ☐ बालिकाओं एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आकर्षण ।
- ☐ अच्छे रहन-सहन (जीवन की गुणवत्ता) के स्तर के लाभ एवं उनकी प्राप्ति के विभिन्न उपाय ।
- ☐ सीमित परिवार के सुखों से अवगत कराना ।
- ☐ छूत की बीमारियों की जानकारी और उससे बचने के उपाय ।
- ☐ किशोर का पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायि[illegible] सम्बन्धी ।

(ग) आर्थिक :

- ☐ जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों का तकनीकी प्रधान ज्ञान एवं उनकी सुलभता ।
- ☐ कमाई हेतु कुछ सरल काम-धन्धों का ज्ञान जिनसे पढ़ाई का खर्च निकल सके ।
- ☐ स०उ०का० पर विशेष बल ।
- ☐ भविष्य में अपनाए जाने वाले व्यवसायों की सहज जानकारी ।
- ☐ उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल और वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि ।
- ☐ बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु कुछ विशिष्ट व्यवसायों की जानकारी ।
- ☐ श्रम के महत्व का सर्वोपरि मानना ।
- ☐ खाली समय का सदुपयोग ताकि आय में वृद्धि हो और जीवन की गुणवत्ता बढ़े ।

(घ) सामाजिक :

- ☐ (बुरी) अवांछनीय आदतों का त्याग अच्छे संस्कारों का रोपण ।
- ☐ भारतीय संस्कृति का ज्ञान ।
- ☐ सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की भावना का विकास ।
- ☐ अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करना ।
- ☐ सामाजिक बाधाओं को दूर करना ।
- ☐ लैंगिक समानता हेतु प्रेरित करना जो कागजी न होकर वास्तविक हो ।
- ☐ अन्ध विश्वासों से छुटकारा दिलाना ।
- ☐ स्त्री-पुरुष दोनों के जीने के समान अधिकार हैं के संवैधानिक तथ्य से अवगत कराना ।
- ☐ स्त्री-पुरुष दोनों को नौकरी के समान अवसर देने का ज्ञान देना ।
- ☐ स्वस्थ मनोरंजन के साधनों से अवगत कराना ।
- ☐ नशे, जुए, सट्टा जैसी आदतों को त्यागना ।
- ☐ सहअस्तित्व की भावना, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्पन्न करना ।
- ☐ स्वार्थरहित जन-सेवा को प्रोत्साहित करना ।
- ☐ किशोर के पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों से अवगत करना ।
- ☐ परिवार में बालिकाओं के उचित स्थान एवं उचित देख-भाल पर बल देना ।
- ☐ बालिकाओं को भावी पीढ़ी के निर्माता के रूप में आवश्यक बल देवें तथा तैयार करना ।
- ☐ गृहिणी की वर्तमान जिम्मेदारियों का स्वरूप एवं उनके क्रियान्वयन से अवगत कराना ।
- ☐ घरेलू जिम्मेदारियों में बालकों एवं पुरुषों की सहभागिता पर बदलते हुए परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए बल देना ।

(ङ) नागरिकता की भावना :

- ☐ राष्ट्रीय पहचान में संवर्द्धन करना ।
- ☐ भारतीय नागरिकता का गौरव उत्पन्न करना ।
- ☐ कर्त्तव्य एवं अधिकारों का बोध कराना । देश की लोकतन्त्रात्मक नीति के परिप्रेक्ष्य में ।
- ☐ समाजवादी व्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ।
- ☐ पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान एवं उसकी स्वच्छता पर बल देना ।

- ☐ प्राकृतिक साधनों के सीमित होने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ।
- ☐ प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा हेतु दायित्व की भावना उत्पन्न करना ।
- ☐ सामाजिक वानिकी के महत्व पर बल देना ।
- ☐ घरेलू उपयोग की साग-सब्जी का उत्पादन की जानकारी देना ।
- ☐ राष्ट्र के विभिन्न दायित्वों के प्रति उदासीनता दूर करना ।
- ☐ एक सक्रिय नागरिक के कर्त्तव्य से अवगत कराना ।
- ☐ राष्ट्रीय सम्पत्ति के प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार पर बल देना ।
- ☐ विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना एवं उनके निदान हेतु प्रेरित करना ।
- ☐ राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता की भावना जागृत करना ।
- ☐ सभी धर्मों के समान आदर की भावना का विकास करना ।
- ☐ मानवीय मूल्यों का ज्ञान एवं उसके गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाना ।
- ☐ सामाजिक, नैतिक, सौन्दर्यपरक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ।

स्तर :

प्राथमिक स्तर पर पाँच साल के पाठ्यक्रम को दो साल की अवधि में समेट कर भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, व्याकरण, खेल, स्वास्थ्य शिक्षा, स्काउटिंग-गाइडिंग, कला, सृजनात्मक क्रिया-कलाप ।

औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का समन्वय एवं समपूरकता :

- ☐ अनौपचारिक शिक्षा का समन्वय, शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों विधाओं जैसे औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के साथ किया जाए ।
- ☐ अनौपचारिक शिक्षा का औपचारिक शिक्षा का पूरक होना । शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए आवश्यक है ।
- ☐ साक्षरता, अंक ज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व सम्बन्धी विषयों की सामाजिक एवं आर्थिक सार्थकता औपचारिक शिक्षा में अर्जनगतिशीलता लाने वाली हो ।

शिक्षा का सार्वभौमीकरण :

अनौपचारिक शिक्षा द्वारा शिक्षा का सार्वभौमीकरण है और शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए आवश्यक है कि—

(क) अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम :

- ☐ समय-समय पर नवीनीकरण होता रहे ।
- ☐ विषय-वस्तु शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हो ।
- ☐ विषय-वस्तु राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हो ।
- ☐ सामुदायिक सहयोग एवं सहभागिता पर विशेष बल हो ।
- ☐ आवश्यकता एवं रोजगारपरक पाठ्य सामग्री हो ।

- ☐ समुदाय और स्कूल न आ सकने वाले बच्चों के लिए हो।
- ☐ दी जाने वाली स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं का ज्ञान मिले।
- ☐ स्वास्थ्य शिक्षा हो।
- ☐ व्यवधानों का ज्ञान हो।
- ☐ पूर्व प्राथमिक शिक्षा से समन्वय हो।
- ☐ भविष्य की तैयारी के संकेत विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध हों।

(ख) अवरोधग्रस्त बालक :

- ☐ बालिका संबंधी शोध हो।
- ☐ विभिन्न उपलब्धियों हेतु के अनुरूप कार्य हो।
- ☐ शिक्षा के स्वरूप, सुविधा एवं उपलब्धता पर ध्यान दिया जाए।

(ग) बालिकाओं का अधिक नामांकन हो।

- ☐ बालिका केन्द्रों पर विशेष ध्यान हो।
- ☐ महिला अनुदेशकों की संख्या में वृद्धि हो।
- ☐ महिला अधिकारियों की आनुपातिक जिला स्तरीय नियुक्ति हो।
- ☐ बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।
- ☐ बालिकाओं के साथ उनकी माताओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन (सहायता) दिया जाये।
- ☐ विद्यालय की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो।
- ☐ अभिभावकों में सुरक्षा की भावना का विकास हो।

राज्य की अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्तरीय पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, स्काउटिंग-गाइडिंग, स्वास्थ्य शिक्षा, योग-शिक्षा आदि विषय सम्मिलित किये गये है। आवश्यकता इस बात की है कि कतिपय आधारभूत तत्व जैसे राष्ट्रीय पहचान में सवंर्द्धन, विविध संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, भारतीय नागरिकता का गौरव, मूल्यों का आदर, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक विकास विभिन्न राष्ट्रीय समस्यायें एवं राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान, समादर भाव, जनसंख्या सिद्धान्तों पर आधारित जीवन की गुणवत्ता, अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान, लैंगिक समानता, सामाजिक अवरोधों को दूर करने के उपायों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास आदि बिन्दुओं का समावेश उपर्युक्त सन्दर्भित विषयों के अन्तर्गत अथवा पृथक् पाठों के रूप में किया जाना है।

विषयों का प्रेषण

अनौपचारिक शिक्षा से ज्ञान को समग्ररूप में ही बालकों को देना है क्योंकि किसी भी विषय को समग्ररूप में सीखना अधिक सरल होता है। अतः प्रयास किया जाता है कि एक विषय को दूसरे का सहायक और आधार बनाया जाये। विषय एक दूसरे की सहायता करते प्रतीत हों। विषयों की विभिन्न इकाइयों का वर्णन पूर्णरूप में किया जाना निश्चित किया जाना है ताकि पाठ स्वतः पूर्ण हो। भूगोल पढ़ाते समय भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित एवं नवीन सम्बन्धों आदि का उस विषय-विशेष से सम्बन्धित ज्ञान इस प्रकार दिया जाये कि पता ही न चल सके कि कब कौन-सा विषय आता और कौन-सा खत्म हुआ ? एकीकृत पाठों का प्रेषण ही इनकी विशेषता होगी। आवश्यकतानुसार कुछ पाठ-विषय प्रधान भी रखे जा सकते हैं। विषय-वस्तु के चयन में एक सुनियोजित समन्वय का प्रयत्न किया जाना है। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाना है कि वह औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से बहुत अधिक भिन्न न

हो। बच्चों की आयु, रुचि और परिवेश के अनुकूल हो और उसे अन्य समय में पढ़ाया जा सके । चयनित सामग्री में सन्तुलन का होना आवश्यक है ।

पाठों का प्रस्तुतिकरण रोचक हो। विधा ऐसी हो जो बालक का मन मोह ले—कहीं कहानी हो तो कहीं संवाद, कहीं वार्त्तालाप हो तो कहीं सपना ।

पाठों के अन्त में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों का निर्माण करना है। कुछ प्रश्न विषय-वस्तु को दोहराने के लिए ही तो कुछ चिन्तनपरक हो। कुछ प्रश्न अति लघु, लघु उत्तरीय और विस्तृत हों तो कुछ निबन्धात्मक हो। 'करों' के अन्तर्गत विषय से संबंधित क्रियाएं दी जाएं जिनसे बच्चे की रुचि विषय-वस्तु में बनी रहे ।

'भाषा अभ्यास' की शुरुआत प्रश्नों के अन्त में की जा सकती है। यह उत्तर प्रदेश में विषयों के माध्यम से भाषा शिक्षण की एक आदर्श विधि का प्रयास होगा। इसे वाक्यों की रचना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, संधियों, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के अभ्यास से समझाया जा सकता है। इससे भाषा का ज्ञान तो बढ़ेगा ही साथ ही विषय की पकड़ भी अच्छी होगी और भाषायी ज्ञान भी गहन होगा ।

चित्रों को देते समय ध्यान रखा जाए कि वह मात्र साज-सज्जा के लिए न हो वरन् उनसे विषय स्पष्टीकरण, व्याख्या, प्रदर्शन एवं मूर्तिकार का कार्य सम्पादित हो। वे विषय-वस्तु को उभारने और स्पष्ट करने में सहायक हों ।

अनौपचारिक योजनान्तर्गत प्राइमरी स्तरीय पाठ्यक्रम :

प्राइमरी स्तरीय पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो—पारिवारिक, मानवीय, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणवश किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहें (dropouts) या जिन्होंने निर्धारित समयान्तर्गत पढ़ाई होने से पहले ही विद्यालय जाना बन्द कर दिया (Reladed) हो।

जिन्होंने पढ़ाई शुरू ही न की (Non-starters) हो ।

उद्देश्य :

- ☐ दो वर्षों में शिक्षार्थियों में उन समस्त भाषायी योग्यताओं का विकास हो जाये जो सामान्य औपचारिक विद्यालयों के छात्रों में पाँच वर्षों में विकसित होती है ।
- ☐ अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में निर्धारित समयावधि में विषय ज्ञान एवं दक्षताओं को विकसित कर स्तरानुसार शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित होने पर योग्य बल दिया जाए ।
- ☐ उनमें ज्ञानार्जन हेतु आन्तरिक प्रेरणा उत्पन्न हो ।
- ☐ उनमें मानक हिन्दी समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित हो ।
- ☐ भाषा-व्यवहार की मुख्य बातों का ज्ञान देते हुए उन्हें शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों एवं मुहावरों का सही प्रयोग बताया जाये ।
- ☐ उनमें वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार मानसिक गणना एवं आंकलन करने की क्षमता का विकास करना ।
- ☐ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ।
- ☐ प्राकृतिक सामाजिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से अवगत कराना तथा मानव जीवन के साथ उनके अन्तःसम्बन्धों का बोध कराना ।
- ☐ देश की सांस्कृतिक विरासत का बोध एवं सुरक्षा, राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्र-गान तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति समादर भाव ।

☐ लोकतान्त्रिक जीवन प्रणाली में आस्था जागृत करना।

☐ विभिन्न मूल्यों का विकास करना।

☐ श्रम का आदर एवं सृजनात्मक एवं उत्पादक कार्यों में उनका रुचि विकसित करना तथा समुदाय की सेवा करने की तत्परता उत्पन्न करना।

भाषा

प्रथम वर्ष :

(अ) मौखिक कार्य—बालक/बालिकाओं में सुनकर मानक हिन्दी समझने तथा विचारों एवं भावों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना।

(ब) प्रकरण—निम्नांकित प्रकरणों एवं सन्दर्भों में वार्त्तालाप करना उचित होगा।

घर तथा पास-पड़ोस संबंधी विषय—घर, परिवार, पशु, खिलौने, पक्षी, जलाशय, पड़ोसी आदि।

प्राकृतिक वातावरण संबंधी विषय—नदी, पहाड़, झरना, आकाश, बादल, इन्द्रधनुष, वर्षा, पेड़, पौधे, सूर्योदय, सूर्यास्त।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य—कृषि, बागवानी, शिल्प सम्बन्धी कार्य, बाल सभा, सड़क पर चलने के नियम, राष्ट्रीय उत्सव, पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरणीय स्वच्छता की मानव जागृत करना।

मूल्यों का आदर—मूल्यों की पहचान एवं व्यवहारगत परिवर्तन।

चित्राधारित मौखिक कार्य—चित्र में दी गई घटनाओं, क्रियाओं, प्रसंगों आदि का वर्णन, प्रश्नोत्तर एवं कहानी संरचना।

कहानी कथन—लोक-कथाएँ, पौराणिक कहानियाँ, परियों की कहानियाँ तथा पशु-पक्षियों की कहानियाँ सुनना-सुनाना।

शिक्षाप्रद, सरल, सरस कविताओं को कण्ठस्थ करना—व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप स्पष्टता तथा शुद्धता के साथ कविता सुनाना।

(स) पढ़ना—चित्रों की सहायता से सरल और छोटे शब्दों को पढ़ना।

वर्णों एवं मात्राओं का ज्ञान। मात्राएँ लगाने का अभ्यास।

परिचित शब्दों से बने वाक्य, तीन चार वाक्यों से बने छोटे अनुच्छेदों, पदों तथा शब्द-समूहों की अभीप्वितियों को स्पष्ट उच्चारण के साथ प्रवाह पूर्ण ढंग से पढ़ना।

सरल संयुक्त वर्णों को पढ़ाना।

स्वरों, व्यंजनों, मात्राओं तथा संयुक्त वर्णों को पहचान कर पढ़ने, शुद्ध रूप से सस्वर वाचन करने, वाक्यों एवं अनुच्छेदों को सप्रवाह उचित अनुदान को दृष्टिगत रखकर पढ़ने तथा विषय-वस्तु का अर्थग्रहण करते हुए पढ़ने की क्षमता का विकास आवश्यक है। पठन सामग्री में पशु-पक्षियों, बच्चों के दैनिक जीवन, परिवार के सदस्य, पास-पड़ोस, मेले, त्यौहार, विद्यालय, दूध वाला, डाकिया, माली, स्वास्थ्य, सफाई, विभिन्न मूल्य, पोषण, खेल-कूद, प्रदूषण आदि विषयों पर कहानियों, कविताओं संबंधी पाठ हो सकते हैं।

(द) लेखन—

☐ वर्णों एवं मात्राओं के आकार की पहचान एवं अभ्यास।

☐ श्यामपट्ट एवं पुस्तकों का अनुलेख लिखने का अभ्यास।

☐ मौखिक वाक्यों को लिखने का अभ्यास, श्रुतिलेख।

☐ लेखन सम्बन्धी समस्त सावधानियों से परिचित कराना।

☐ सरल शब्दों की रचना का अभ्यास।

मूल्यों से सम्बन्धित सरल वाक्य-विद्वानों के उद्धरण राष्ट्रीय नीतियां एवं चुनी हुई कविता की पंक्तियों का लेखन-अभ्यास कराया जाना श्रेयष्कर होगा।

द्वितीय वर्ष :

(क) मौखिक कार्य—वार्त्तालाप एवं कथोपकथन-प्रथम वर्ष की तुलना में वार्त्तालाप के प्रसंगों तथा भाषा का स्तर अधिक ऊँचा होगा। परिवेशीय प्रकरण, आवश्यकताओं पर आधारित अन्य उपयोगी सन्दर्भों का समावेश जैसे—पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सुरक्षा, कृषि, बागवानी, सामाजिक वानिकी, पारिस्थितिक सन्तुलन, स्थानीय धन्धे एवं उद्योग, रहन-सहन, विभिन्न संस्कृतियां, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, मूल्यों की पहचान आदि।

(ख) चुनी हुई सरस, सुन्दर एवं नवीन सम्बन्धों से मुक्त कविताओं को कण्ठस्थ करना।

(ग) कहानी कथन—विविध वर्तमान प्रसंगों पर आधारित कहानी सुनना उचित हाव-भाव एवं वाणी के उतार-चढ़ाव के साथ कहानियाँ कहना पढ़ी-सुनी हुई ऐतिहासिक, पौराणिक, उपदेशात्मक विभिन्न मूल्यों सम्बन्धी तथा प्रेरणादायक कहानियों को अपने शब्दों में सुनाना।

(घ) अभिनय—अभिनय करते समय सम्वाद, शुद्ध उच्चारण के साथ उचितवाणी (Hodulation of vocie) प्रवाह के साथ सुनाना।

(ङ) पढ़ना—शुद्ध उच्चारण करते हुए प्रवाहपूर्ण ढंग से स्तरानुकूल वाक्यों को पढ़ना।

गद्य तथा पद्य—खण्डों का स्वर और मौनवाचन कर निहित भाव समझाना।

पाठ्य-सामग्री की ध्वनियों तथा अन्य क्लिष्ट ध्वंसनाओं का उच्चारणाभ्यास करना।

(च) लेखन—

☐ अनुलेख

☐ श्रुतिलेख

सुलेख—लेखन सम्बन्धी समस्त सावधानियों के साथ।

रचना—अपेक्षाकृत बड़े एवं क्लिष्ट शब्दों से वाक्य रचना।

(छ) व्याकरण—पठित अंशों के वाक्यों में आये शब्दों की पहचान—संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के रूप में अति साधारण रूप में कराना द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि—

☐ एकाग्रचित होकर सुनें, केन्द्रीय विचार से अवगत हों और सुनाई गई कविताओं, कहानियों, सम्वादों एवं वक्तव्यों का अर्थ भी समझ सकें।

☐ उनमें सही हाव-भाव के साथ बोलने तथा शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित हो।

☐ सस्वर पठन और मौन पठन द्वारा किसी लिखित सामग्री का आशय समझने की क्षमता का विकास होना। पठन सामग्री में प्राकृतिक तथा सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक जीवन, औद्योगिक एवं आर्थिक पक्षों, स्वस्थ्य जीवन, पोषण, प्रदूषण, जनसंख्या, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव आदि से सम्बद्ध प्रसंग हों।

☐ वह शब्दों, वाक्यों तथा अनुच्छेदों को स्पष्ट, सुडौल और शुद्ध रूप में उचित विराम चिन्हों के साथ लिख सकें।

गणित

उद्देश्य—छात्रों में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप मानसिक गणना एवं आकलन करने की क्षमता

का विकास कर व्यावहारिक एवं मात्रा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में विभिन्न विधियों का समुचित प्रयोग करने की योग्यता का विकास करना। किसी भी रूप में नवीन सम्बोधों का समावेश दोनों वर्षों में किया जाना समीचीन होगा।

प्रथम वर्ष

इकाई 1—एक तथा दो अंकीय संख्याएँ (1 से 100)।

इकाई 2—जोड़-घटाना (1-9, 11 से 1000 का ज्ञान)।

इकाई 3—(2 से 10 तक पहाड़ों का विकास)।

2 गुणक दो अंक तक की संख्याएँ, गुणक एक अंकीय संख्या।

(गुणनफल, जो 100 से अधिक न हो)।

इकाई 4—भाग-भाजक एक अंकीय संख्या तथा भाग 100 से कम।

इकाई 5—तीन अंकीय संख्याएँ।

(1) 180 से 1000 तक की संख्याओं का ज्ञान।

(2) जोड़ना-घटाना (बिना हासिल एवं हासिल सहित—बिना उधार एवं उधार सहित)।

इकाई 6—गुणा एवं भाग—गुणा-गुण्य दो अंकीय संख्याएँ गुणक दो अंक तक की संख्याएँ अर्थात् कि गुणन-फल 1000 से अधिक न हों।

भाग-भाजक एक अंकीय संख्या तथा भाज्य तीन अंकों की संख्या।

इकाई 7—समय का ज्ञान—(वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन का ज्ञान, घड़ी देखना, अन्तर्राष्ट्रीय एवं रोमन अंकों का सामान्य ज्ञान।)

इकाई 8—भारतीय सिक्के तथा पत्र-मुद्रा का ज्ञान (पहचान तथा परिवर्तन)।

इकाई 9—उपर्युक्त पर जोड़-घटाने का प्रश्न।

इकाई 10—विविध प्रश्न।

द्वितीय वर्ष

इकाई 1—पुनरावृत्ति।

इकाई 2—साधारण भिन्न—(भिन्नों का सम्बोध एवं भिन्नों की चारों मूल-क्रियाएँ—जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग)।

इकाई 3—दशमलव भिन्न (दशमलव का सम्बोध एवं चारों मूल क्रियाएँ)।

इकाई 4—लाभ और हानि—(संकल्पना एवं सरल और व्यावहारिक प्रश्नों का हल करना)।

इकाई 5—प्रतिशत—(प्रतिशत का अर्थ बोध, सरल भिन्न को प्रतिशत में बदलना एवं साधारण प्रश्न हल करना)।

इकाई 6—ब्याज और बचत खाता—(ब्याज का सम्बोध, ब्याज का सूत्र, प्रयोग और अभ्यास, बचत खाते पर आधारित प्रश्नों का हल)।

इकाई 7—ज्यामिति—(सरल रेखा कोण और चतुर्भुज की पहचान, विभिन्न प्रकार की रेखा एवं कोणों की पहचान, उन्हें खींचना, बनाना और नापना)।

इकाई 8—विविध।

शिक्षा के वर्तमान नवीन आयामों को यथा-स्थान अवश्य रखा जाय। जीवन के विभिन्न दैनिक अनुभवों में जोड़ कर ज्ञान दिया जाय।

सामान्य विज्ञान

वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए परिवेश के वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धान्तों की जानकारी देना बच्चों के जीवन को स्वस्थ्य और सुखी बनाना। उनमें वैज्ञानिक सतर्कता की क्षमता विकसित करना।

द्वितीय वर्ष

- ☑ पदार्थ एवं उनके गुण।
- ☐ मिट्टी, चट्टान और खनिज।
- ☐ वायु, जल और मौसम।
- ☐ जीव जगत्।
- ☐ मानव शरीर और स्वास्थ्य।
- ☐ बल, कार्य और मशीन।

उपर्युक्त प्रकरणों के अन्तर्गत यथा आवश्यक बल—प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन एवं सुरक्षा, पर्यावरणीय स्वच्छता वन्य जीवों की रक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण, प्रतिरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर बल दिया जाए।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

द्वितीय वर्ष

बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से अवगत कराते हुए मानव जीवन के साथ उनके अन्तःसम्बोधों का बोध कराना तथा उनके अतीत और वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट करना। नवीन परिस्थितियों में नए समाज की संरचना हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एवं मूल्यों की पहचान कराते हुए पारस्परिक निर्भरता, राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली में आस्था जागृत करने हेतु निम्न विषयों का अध्ययन एवं प्रसंग सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति अ.वश्यक है।

- ☐ दिशाओं का ज्ञान।
- ☐ पृथ्वी और उसका भौतिक परिवेश, सौर-मण्डल के ग्रहों में पृथ्वी की विशिष्ट स्थिति का बोध।
- ☐ उत्तर प्रदेश का सामान्य भूगोल, समस्याएँ एवं समाधान के उपायों का सरल ज्ञान।
- ☐ भारत, संसार में स्थिति सामान्य भूगोल, देश की प्रगति, परिवेश एवं समस्याएँ तथा समाधान।
- ☐ रामायण, महाभारत की कहानी—सांस्कृतिक धरोहर।
- ☐ आजादी की कहानी से देश-प्रेम की भावना जागृत करना।
- ☐ नागरिकता के बोध हेतु अपना देश अथवा राज्य।
- ☐ समाज के सामान्य नागरिक जीवन के रहन-सहन का परिचय देना।

सामाजिक अध्ययन

द्वितीय वर्ष

उद्देश्य :—

- ☐ शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा का विकास करना।
- ☐ सृजनात्मक एवं उत्पादक कार्यों में रुचि उत्पन्न करना।
- ☐ व्यवसायों की जानकारी एवं तकनीकी ज्ञान से परिचय।

- ☐ दैनिक कार्यों के करने की क्षमता का विकास ।
- ☐ अपनी पारिवारिक एवं समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्प हो कार्य करने की क्षमता का विकास ।
- ☐ व्यक्तिगत, पास-पड़ोस एवं परिवेशीय स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ।
- ☐ समाज सेवा का अर्थ उत्पन्न करना ।
- ☐ भविष्य में किये जाने वाले व्यावसायिक हेतु पूर्ण तकनीकी ज्ञान देना ।
- ☐ स्थानीय परिवेश में चलाए जा सकने वाले व्यवसायों का पूरा ब्यौरेवार सूचि तैयार करके देना । ताकि वे बिना अवरोध के कार्य प्रारम्भ कर सकें । आवश्यकता पड़ने पर वे ऋण अधिक कर जीविका चला सकें ।
- ☐ देश की वर्तमान समस्त नीतियों सम्बन्धी जानकारी देना ।
- ☐ स्थानीय समस्याओं के अनुरूप कार्य हो ।

स०उ०का० का पाठ्यक्रम का आधार निम्नांकित पक्ष है—

- ☐ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ।
- ☐ भोजन ।
- ☐ आवास ।
- ☐ वस्त्र ।
- ☐ सामुदायिक एवं समाज सेवाएँ ।
- ☐ मनोरंजन के साधन ।
- ☐ सामाजिक चेतना ।
- ☐ व्यावसायिक क्षमता ।
- ☐ देश की नीतियों का आदर एवं उन्हें पूरा करने में योगदान ।

स्थानीय स्तर पर सामग्रियों एवं संसाधनों की सुलभता, समुदाय की व्यावसायिक आवश्यकता, समय की माँग तथा बच्चों की अभिरुचि एवं आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय के अन्तर्गत क्रियाकलापों का आयोजन समीचीन होगा । समस्त क्रिया-कलाप शिक्षार्थियों के परिवेश एवं समुदाय की व्यावसायिक जीवन-शैली से सम्बद्ध हों ताकि उन्हें जीविकोपार्जन के कार्य में आवश्यक सहयोग दिया जा सके । व्यवसायों को परिष्कृत एवं उन्नत रूप प्रदान किया जा सके जिससे लाभांश में वृद्धि हो । समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो ।

प्रथम तथा द्वितीय वर्ष हेतु प्रस्तावित क्रियाएँ

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :

व्यक्तिगत स्वच्छता, घर-परिवार तथा पास-पड़ोस की स्वच्छता, पानी की सफाई एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय, पर्यावरणीय प्रदूषण का सामान्य ज्ञान एवं दूर करने के उपाय, स्वस्थ रहने के लिए दैनिक क्रियाओं का करना, एवं व्यायाम ।

भोजन :

- ☐ समय पर भोजन सस्ता पौष्टिक भोजन का स्वरूप ।
- ☐ रसोई वाटिका लगाकर आवश्यकतानुसार सब्जी प्राप्त करना ।
- ☐ स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप पौष्टिक भोजन ।

आवास :

स्वास्थ्यवर्द्धक एवं आरामदायक आवास का ज्ञान, खिड़की, छज्जे एवं रोशनदानों की समुचित व्यवस्था,

शौचालयों के प्रति सतर्कता, घर की दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक सफाई, धुलाई-पुताई । पर्याप्त धूप और हवा का आना । साज-सज्जा के विभिन्न उपाय ।

वस्त्र :

घरेलू प्रयोग के कपड़ों की सिलाई, रूमाल, मेजपोश, झोले की सिलाई, कच्ची-पक्की सिलाई, साधारण कढ़ाई, छपाई, रंगाई, सूती, रेशमी एवं गर्म कपड़ों का रख-रखाव, धुलाई, प्रेस आदि कपड़ों का सुन्दर ढंग से प्रयोग हेतु रंगों के हिसाब से पहनना ।

सामुदायिक एवं समाज सम्बन्धी कार्य :

सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों एवं व्यक्तिगत त्यौहारों को सुन्दर ढंग से मनाना, घर, पास-पड़ोस की सफाई, गाँव के कुँओं एवं नालियों की सफाई, पानी की सफाई, वृक्षारोपण, सामाजिक बातों पर बल, साग-सब्जी एवं फूलों की पौध तैयार कर बेचना, फसलों की देख-भाल, सब्जी उगाना ।

शिक्षाप्रद नाटकों का मंचन, त्यौहारों एवं विवाह सम्बन्धी कार्डों का बनाना, विवाह की तैयारी में स्वरानुकूल सहयोग, सड़क पर चलने वालों को रास्ता दिखाना आदि-आदि विभिन्न कार्य ।

●

अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण-कार्ययोजना

☐ जगमोहन सिंह
प्रवक्ता
राज्य शिक्षा संस्थान

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के सन्दर्भ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत कार्यक्रमों में ऊपर से थोपी जाने वाली नीतियों तथा निर्देशात्मक आग्रह के स्थान में परस्पर विचार-विमर्श, सहयोग एवं सहयोगिता के आधार पर कार्यनीतियों और क्रियान्वयन-विधाओं का विकास करने को ही उपादेय बताया गया है इस प्रसंग में निम्नलिखित बिन्दु ध्यातव्य है—

अनौपचारिक शिक्षा के अभिकर्मियों-प्रशासक, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक, शिक्षक या अनुदेशक तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले स्थानीय जागरूक सदस्यों से प्रत्याशित कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में निश्चित मानकों का निर्धारण तत्काल उठाये जाने वाले कदम तथा प्रभावपूर्ण उपाय जिनसे अनुदेशकों के कार्य करने एवं शिक्षार्थियों के पठन या अधिगम की दशाओं में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुदाय एवं शिक्षार्थियों की अनुभूति समस्याओं, वास्तविक जीवन-स्थितियों तथा परिवेश से जुड़ी विशिष्टताओं पर परस्पर विचार-विमर्श कर समाधान के उपयुक्त उपाय विश्चित करना अत्यावश्यक हैं। विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों के मध्य किसी प्रकार का सम्प्रेक्षण अन्तराल (कम्युकेशन) गैप नहीं रहना चाहिए। मासिक बैठकों या निश्चित अवधि के बाद आयोजित होने वाली गोष्ठियों में क्षेत्र की अनुभूति कठिनाइयों के निर्धारण हेतु उपयुक्त कार्यनीतियों, प्रतिनिधियों एवं कार्य-विधाओं के निर्धारण पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में अभिकर्मी तथा उनसे अपेक्षित कार्य एवं दायित्व इस प्रकार हैं :—

(1) संयुक्त शिक्षा निर्देशक (अनौपचारिक शिक्षा) नीति निर्धारण
कार्यक्रमों का नियोजन
प्रकाशन एवं बजट
प्रासंगिक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण
सम्बन्धित अभिकर्मियों का दिशा निर्देशन।

(2) राज्य-स्तरीय शैक्षिक अभिकरण (राज्य शिक्षा संस्थान) अपेक्षानुसार पाठ्यक्रम का संशोधन एवं नवीनीकरण।

संबर्भ—व्यक्तियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण पाठ्य-पुस्तकों, शैक्षणिक तथा सहायक शिक्षण सामग्रियों का विकास।

शोध कार्य
अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(3) जनपद स्तरीय प्रशासक एवं निरीक्षक

(क) प्रशासन

प्रशासन तथा नियन्त्रण

अनुदेशकों का चयन

कार्यक्रम का पर्यवेक्षण

बजट का सत्र बद्ध उपयोग

जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर सम्यक् समन्वय एवं सम्पर्क

शैक्षणिक तथा अन्य सामग्रियों का वितरण

(ख) परियोजना अधिकारी/जनपद स्तरीय, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, जनपद स्तरीय उच्चतम अधिकारी को सहयोग।

पर्यवेक्षकों के कार्य का मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण।

जनपद के अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी प्रासंगिक आँकड़ों का संकलन।

बजट के उपभोग में जनपद स्तरीय अधिकारी को सहयोग।

पर्यवेक्षकों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

जनपद मे विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं सम्पर्क

अनौपचारिक शिक्षा की दीर्घकालीन तथा अन्य कालीन योजनाओं का निर्माण अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की योजना का निर्माण तथा परीक्षण व्यवस्था।

(4) पर्यवेक्षक

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा अनुदेशकों के चयन में अपेक्षित सहायता/केन्द्रों में सामग्री का वितरण

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेशकों का अपेक्षित मार्ग-दर्शन

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के सेवित क्षेत्र में कार्य को गति प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देशन

स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के निर्माण में सहायता

केन्द्रों में शिक्षार्थियों की सम्प्राप्तियों एवं प्रगति का मूल्यांकन

मासिक तथा त्रैमासिक आख्याओं का प्रस्तुतीकरण

अनौपचारिक शिक्षा के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता

शिक्षक अधिगम की उपयुक्त विधाओं के विकास में सहायता

(5) अनुदेशक

पर्यवेक्षक के मार्ग दर्शन में स्थानीय बस्ती का सर्वेक्षण

स्थानीय समुदाय के क्षेत्र में कार्य की योजना का निर्देशानुसार क्रियान्वयन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण-अधिगम क्रियाओं का आयोजन तथा केन्द्र में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य निष्पादन

स्थानीय समुदाय के जागरूक सदस्यों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से सतत सम्पर्क

पर्यवेक्षक की सहायता के केन्द्र में वार्ताओं को आयोजन

स्थानीय परिवेश में सहज सुलभ साधनों का प्रयोग सद्यः निर्मित सहायक शिक्षण सामग्री का विकास

स्वतन्त्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, त्योहारों, मेलों आदि के अवसर पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

गाँव में अनौपचारिक शिक्षा समिति का गठन जिसमें स्थानीय समुदाय के जागरूक, शिक्षा में रुचि रखने वाले सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता सम्मिलित हों।

केन्द्र में शिक्षण—अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण शिक्षार्थियों की प्रगति के अभिलेखों का नियमित रूप से रखरखाव तथा विभाग द्वारा निर्दिष्ट आख्याओं एवं सूचनाओं का समयानुसार प्रेषण

केन्द्र में उपस्थित, पंजिका, रजिस्टर, तथा अन्य पत्रजात का सम्यक् रखरखाव।

धीमी गति, औसत गति तथा तेज गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान और जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक सहायता

प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रगति का मूल्यांकन तथा सम्बन्धित अभिलेख का रखरखाव केन्द्र में बच्चों के बैठने, पेयजल, रोशनी आदि की आवश्यकतानुसार व उचित व्यवस्था।

बच्चों को केन्द्र में भेजने हेतु स्थानीय समुदाय के सदस्यों एवं अभिभावकों का सम्यक् उत्प्रेरण, नामांकन अभियान चलाना, अन्य अभिकरणों एवं संगठनों का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास।

अनौपचारिक शिक्षा से सम्बद्ध अधिकर्मियों को उपर्युक्त दायित्वों के निर्वाह हेतु सम्यक रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्राक्सेवा कालीन तथा सेवारत प्रशिक्षण दोनों सम्मिलित हैं। अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों के प्रशिक्षण की योजना की रूपरेखा का निम्नवत् निरूपण किया जा सकता है।

अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षिकाओं के प्रशिक्षण योजनान्तर्गत गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन

□ श्रीमती सावित्री दूबे
शोध-पार्षद राज्य शिक्षा संस्थान

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इस व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये 1960 तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य पूर्ण किया जाना था परन्तु कतिपय कारणों से यह लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये छठीं पंचवर्षीय योजना में एक वैकल्पिक एवं लचीली अंशकालिक शिक्षा व्यवस्था का कार्यक्रम रखा गया जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। 28 अगस्त 1980 को पारित एक प्रस्ताव में भारत सरकार ने 6-14 वयवर्ग के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को प्राथमिकता देने तथा 1990 तक इस लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त करने का निश्चय व्यक्त किया है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में केन्द्रों का संचालन करने के लिये प्राइमरी तथा मिडिल स्तर पर केवल एक अंशकालिक अनुदेशक की नियुक्ति की जाती है। सम्प्रति बालिका शिक्षा केन्द्र ही स्थापित किये जा रहे हैं अतः महिला अनुदेशक की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा रही है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये नियुक्त किये अनुदेशकों का सेवा पूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रदेश में 56 राजकीय दीक्षा विद्यालयों का चयन किया गया है। वस्तुतः अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ऐसे बालक-बालिकाओं के लिये हैं जिनका मानसिक स्तर तथा पर्यावरण भिन्न है और जिनके सामने परिवार की छोटी-छोटी समस्यायें भी हैं। ऐसे बच्चों को उनकी आवश्यकताओं, अभिरुचियों एवं आकांक्षाओं के अनुसार व्यावहारिक शिक्षा देनी उपयोगी होगी अतएव उनकी पाठ्यचर्या भी भिन्न होगी। इन भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है एवं चयनित दीक्षा विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रत्येक दीक्षा विद्यालय में एक समन्वयक, एक ग्राम-सेवक तथा एक ग्राम-सेविका का पद सृजित किया गया है। समन्वयक को राजकीय शिक्षा संस्थान एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं में अनौपचारिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण होता है।

अनौपचारिक शिक्षा से सकल संचालन के लिए समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजकीय दीक्षा विद्यालयों में ही योजना के क्रियान्वयन के लिये अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में अनुदेशक को विषय-वस्तु, केन्द्र के अभिलेखों का रख-रखाव, अनुश्रवण द्रव्यों की पूर्ति, आन्तरिक, सत्रीय तथा सार्वजनिक मूल्यांकन एवं विचारों का ज्ञान कराया जाता है। यह प्रशिक्षण दो चरणों में सम्पादित किया जाता है—

(1) केन्द्र प्रारम्भ करने से पूर्व और

(2) केन्द्र प्रारम्भ करने के एक वर्ष बाद।

प्रथम चक्र में विषयों की पाठ्य-विधि, अभिलेखों का रख-रखाव, मूल्यांकन, अनुश्रवण प्रपत्रों की पूर्ति, केन्द्र के संचालन हेतु नियोजन आदि की जानकारी दी जाती है ।

द्वितीय चक्र में शिक्षण अवधि में सामने आने वाली कठिनाइयों, स्थानीय विशिष्ट समस्याओं, उनके निदान हेतु उपाय, संचालन सम्बन्धी मार्ग-दर्शन और पश्चपोषण की जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब अनुदेशकों का प्रशिक्षण अधिक सघन तथा छोटे-छोटे अन्तराल पर चलाने की संस्तुति की गयी है। इसके अनुसार प्रथम फेरे में 10 दिन (जिला संसाधन केन्द्र पर) वर्ष के 3 त्रैमास में प्रति त्रैमास 4-4 दिन का प्रशिक्षण (विकास खण्ड स्तर पर) प्रस्तावित है। दूसरे वर्ष में 5 दिन का प्रशिक्षण (संसाधन केन्द्र पर) तीन त्रैमास में 10 दिन का प्रशिक्षण (विकास खण्ड स्तर पर) प्रस्तावित हैं। इस प्रशिक्षण हेतु 56 चयनित दीक्षा विद्यालयों में एक समन्वयक, एक ग्राम सेवक, एक ग्राम सेविका की नियुक्ति की गयी है। इन्हें प्रशिक्षण के साथ सर्वेक्षण, अनुसन्धान तथा मूल्यांकन करने का दायित्व दिया गया है। अनुदेशकों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा :—

(1) केन्द्र से सेवित क्षेत्र का वास्तविक सर्वेक्षण :—

इसके अन्तर्गत गाँव के प्रत्येक परिवार से सम्पर्क कर निश्चित प्रपत्र पर अंकित प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके बाल गणना पंजिका में अंकित की जायेगी।

(2) केन्द्र में बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों का ज्ञान कराया जायेगा।

(3) योजना की सफलता हेतु स्थानीय जन-समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

(4) केन्द्र संचालन की अवधि में अनुदेशकों के कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या की जायेगी। इसके अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्रियों का वितरण, अनौपचारिक शिक्षा समिति का गठन, केन्द्र हेतु निर्धारित समय पर नियमित रूप से उपस्थित रहना, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, संघनित पाठ्य-क्रमानुसार वार्षिक समय चक्र का निर्माण प्रभावी एवं निदानात्मक शिक्षण, उपलब्धि का मूल्यांकन, केन्द्र सम्बन्धी अभिलेखों का सम्यक् रख-रखाव, प्रगति आख्यानों एवं वांछनीय सूचनाओं का नियमित प्रेषण, आवश्यकतानुसार सहायक शिक्षण सामग्री का स्थानीय सुलभ संसाधनों की सहायता से स्वतः निर्माण एवं प्रयोग, पाठ्येतर क्रिया-कलापों का आयोजन, अपने केन्द्र से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना। स्थानीय जन-समुदाय से निरन्तर सम्पर्क स्थापित करना, पंजीकृत छात्रों को केन्द्र की अवधि पूर्ण होने पर परीक्षा में सम्मिलित कराना इत्यादि कार्य आते हैं।

अनुदेशकों का उचित प्रशिक्षण ही अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता है। प्रारम्भिक प्रशिक्षण एवं उसके बाद सेवारत प्रशिक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम वर्ष में 30 दिन का प्रशिक्षण तथा अन्य वर्षों में 20 दिन का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण सुव्यवस्थित होना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं को इस कार्यक्रम की सफलता के लिये सहयोग देना चाहिए। इस कार्यक्रम में शैक्षिक तकनीकी तथा श्रव्य-दृश्य उपकरणों का लाभदायक होगा।

अनौपचारिक शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिका को प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत अनुदेशकों का चुनाव, उनकी नियुक्ति तथा समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था का कार्य सम्मिलित हैं। परन्तु पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका के लिये इससे भी महत्वपूर्ण कार्य अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, पुस्तकों तथा

स्टेशनरी को पहुँचाने में सहायता तथा उन केन्द्रों का शैक्षिक पर्यवेक्षण है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक का कार्य समय-समय पर उनकी आख्या भेजना भी है। पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिकायें अपने दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकें इसके लिए उनके प्रशिक्षण में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है—

(1) क्षेत्र में अनुदेशकों तथा समुदाय की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी क्रिया-कलाप आयोजित करना।

(2) विकास खण्ड के 50 केन्द्रों का एक त्रैमास में निरीक्षण करना।

(3) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों की मासिक गोष्ठियाँ आयोजित करना, सूचनायें प्राप्त करना, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं तथा तकनीक से परिचित कराना।

(4) समुदाय से सम्पर्क स्थापित करना एवं बालक/बालिकाओं को केन्द्र पर भेजने के लिए प्रेरित करना।

(5) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के क्रियाकलापों की मॉनीटरिंग तथा उच्च अधिकारी को वांछित सूचनाओं को प्रेषित करना।

(6) राजकीय दीक्षा विद्यालयों के समन्वयक द्वारा आयोजित शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करना।

(7) स्थानीय समुदाय की सहायता से समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के शिक्षण की व्यवस्था तथा विकास कार्य में अन्य विभागों की सहायता लेना।

(8) मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक सूचनाओं को निर्धारित प्रपत्रों पर तैय्यार करना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजना।

(9) केन्द्रों पर शिक्षण अवधि पूरी होने पर प्राइमरी, मिडिल स्तर के बच्चों को सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित कराना।

(10) बच्चों की यूनिट मूल्यांकन व्यवस्था की चेकिंग करना।

(11) केन्द्रों के भ्रमण की आख्यायें तथा निरीक्षण आख्यायें अपर उप-विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराना।

(12) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रचार में जन-प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त करना।

(13) नवीन एवं पुनः संचालित होने वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से शिक्षकों का चयन करना तथा समय से प्रशिक्षण कराकर केन्द्रों को संचालित कराना।

(14) संचालित होने वाले केन्द्रों को आवश्यक शिक्षण सामग्री, शिक्षण उपकरण तथा साज-सज्जा की वस्तुएं उपलब्ध कराना।

(15) अनुदेशकों को नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रियानुसार पारिश्रमिक का भुगतान कराना।

अनौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्यवेक्षिकाओं को उपर्युक्त कार्यों के सफलतापूर्वक करने हेतु इनसे सम्बन्धित क्षमता प्रशिक्षण अनिवार्य है।

अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक एवं पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। शिक्षा-सामग्री निर्मित करने के लिए कार्य-शालाओं का आयोजन किया जाता है। इनके विषय में पूर्व तैयारी आवश्यक है—

1. सर्वप्रथम गोष्ठी के उपयुक्त वातावरण का चयन किया जाना आवश्यक है। किस तिथि एवं स्थान पर बैठक का आयोजन किया जायेगा यह भी सुनिश्चित करना होगा।

(2) प्रतिभागियों की सूची बनाना तथा गोष्ठी में सम्मिलित होने हेतु उन्हें पत्र भेजना :—

प्रतिभागियों की सूची तैयार करने के पश्चात् प्रतिभागियों को गोष्ठी में सम्मिलित होने की सूचना समय भेज देनी चाहिए जिससे वे निर्दिष्ट तिथि पर कार्यशाला में उपस्थित हो सके।

(3) बैठक की व्यवस्था :—

जिस स्थान या कक्ष में गोष्ठी/कार्यशाला को आयोजित किया गया हो उसमें प्रतिभागियों के बैठने के लिए कुर्सी, मेज अथवा बेंचों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि फर्नीचर की व्यवस्था न हो सके तो फर्श बिछाकर काम चलाया जा सकता है। कक्ष की सफाई करा लेनी आवश्यक है।

(4) बाहर के प्रतिभागियों के आवास की व्यवस्था :—

जो प्रतिभागी बाहर से आने वाले हों उनके आवास का समुचित प्रबन्ध करना आवश्यक है जिससे वे पूर्ण मनोयोग से गोष्ठी के कार्यक्रम में सहयोग दे सकें। ठहरने के स्थान पर चारपाई, रोशनी, पानी, स्नानगृह, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) निश्चित कार्यक्रम :—

प्रत्येक गोष्ठी/कार्यशाला में विचार किये जाने वाले बिन्दुओं तथा कार्यों की एक स्पष्ट सूची बना लेनी चाहिए। जितने दिन की कार्यशाला हो उतने दिनों का तिथिवार कार्यक्रम तैयार करके सम्पूर्ण कार्यक्रम को अंकित या मुद्रित करा लेना आवश्यक है। जिससे उसकी प्रतियाँ गोष्ठी के समय समस्त प्रतिभागियों को वितरित की जा सके। कार्यशाला में कितनी अवधि में कितना कार्य करना अपेक्षित है इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

(6) कार्य के प्रकृति के अनुसार कार्य विभाजन :—

कार्यशाला में यदि समूह में कार्य होना है तो कार्य की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक विषय का अलग समूह बनाकर उनको उनका काम बताया जाना चाहिये। कार्यविधि के बीच-बीच में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को उचित निर्देश दिया जाना चाहिए।

(7) मध्यान्तर जलपान व्यवस्था :—

प्रतिभागियों के लिए जलपान इत्यादि की व्यवस्था पहले से निश्चित करना चाहिए किसी एक व्यक्ति को इस कार्य का दायित्व सौंप दिया जाना चाहिए।

(8) स्टेशनरी :—

गोष्ठी/कार्यशाला में प्रयोग आने हेतु स्टेशनरी यथा-फाइल कवर, कागज, आलपीन, टैग, पेन, पेन्सिल, कार्बन इत्यादि का प्रबन्ध करके गोष्ठी आरम्भ होने के पूर्व ही मँगा लेनी चाहिए जिससे गोष्ठी के मध्य कोई व्यवधान न हो और कार्य सुचारु रूप से किया जा सके।

(9) संदर्भ ग्रन्थ :—

गोष्ठी/कार्यशाला के कार्य से सम्बन्धित साहित्य पुस्तकालय या अन्य जिस स्थान से सम्भव हो मँगाकर रख लेना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका अवलोकन किया जा सके और कार्यशाला के विषय से सम्बन्धित साहित्य तैय्यार किया जा सके।

गोष्ठी समाप्त होने पर गोष्ठी के सम्पूर्ण कार्यक्रम की एक आख्या तैयार की जानी चाहिए जिससे किसी भी समय गोष्ठी का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो सके।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता हेतु अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों का कुशल प्रशिक्षण आवश्यक है और इनके प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा के साहित्य का निर्माण करने के लिये गोष्ठियों कार्यशालाओं का सुचारु रूप से आयोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

●

अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

□ श्रीमती प्रेमा राय,
शोध प्राध्यापक,
राज्य शिक्षा संस्थान

मूल्यांकन शब्द मूल्य और अंकन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका समन्वित रूप में अर्थ है—किसी वस्तु के गुण दोनों का मूल्य अंकों में निर्धारित करना। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से छात्र के व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तनों एवं अनुभवों के विषय में निर्णय लेना।

वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। साधारणतः मूल्यांकन का अर्थ बालक की शिक्षा से प्राप्त योग्यता निर्धारण से लिया जाता है किन्तु यह बहुत संकुचित अर्थ है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शैक्षिक मूल्यांकन को बहुत व्यापक कर दिया है। अब मूल्यांकन का अर्थ है बालक के सर्वांगीण विकास की प्राप्ति की जानकारी करना। बालक के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं संस्कृति के क्षेत्र के क्रिया-कलापों का मूल्यांकन करना ही सही मूल्यांकन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी उद्देश्य योजना की उपलब्धता, अनुपलब्धता को परखने के लिए मूल्यांकन की अनिवार्यता अपरिहार्य है। इसमें व्यक्तित्व सम्बन्धी परिवर्तनों एवं कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यह किसी विशेष स्तर अथवा समय से न जुड़कर एक व्यापक, विस्तृत तथा निरन्तर प्रक्रिया है। इसकी सफलता इसी में है कि इससे प्राप्त परिणामों के अनुसार कार्यक्रम में यथोचित परिवर्तन एवं संशोधन कर लिया जाय।

अनौपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक लचीली एवं अंशकालिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ की गयी है इसलिये इसमें मूल्यांकन का उचित नियमन, परिपालन एवं नियंत्रण सभी स्तरों पर अनिवार्य है। अनौपचारिक शिक्षा का वैशिष्ट्य इसकी नमनीयता, परिवेशीय आवश्यकता एवं व्यावसायिक समृद्धता एवं व्यावहारिकता है। इसके मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के बहुमुखी आयाम हैं जिसमें लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के अतिरिक्त निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अभिलेख, कृतकार्य आदि विधियाँ सम्मिलित हैं।

अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन कार्य के लिए विभिन्न स्तर हैं। दीक्षा विद्यालय की अनौपचारिक शिक्षा इकाई इसका केन्द्र बिन्दु है जिसमें समन्वयक की व्यवस्था है। इसका मूल्यांकन विकास स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा जनपद स्तर पर उप-विद्यालय निरीक्षक, अपर उप-विद्यालय निरीक्षक द्वारा, मण्डल स्तर पर सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) द्वारा तथा राज्य-स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध अनौपचारिक शिक्षा इकाई द्वारा किये जाने का प्रावधान है। मूल्यांकन अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ प्रभावी एवं उपयुक्त है। इसके लिए सम्बद्ध अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है एवं यथा-समय मार्ग-दर्शन भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अद्यतन जानकारी दी जाने की उपयोगिता तभी है जब इनका उचित क्रियान्वयन हो।

अनौपचारिक शिक्षा में वर्तमान रूपरेखा के अनुसार प्राइमर तथा मिडिल स्तर के केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों के मध्यावधि मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने स्तर की शिक्षावधि मूल्यांकन अर्थात् प्राइमरी में 2 वर्ष तथा मिडिल में 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था है। यद्यपि पाठ्यक्रम की संक्षिप्तता एवं विद्यालयी समय की लघुता के कारण मध्यावधि मूल्यांकन व्यावहारिक नहीं है तथापि छात्रों द्वारा पठित विषय सामग्री एवं सम्प्राप्ति बिन्दुओं की जाँच के लिए सतत् मूल्यांकन अपेक्षित है जो निश्चित ही अनुदेशक की शिक्षण कला का भी

मापक है इसे ही मध्यावधि मूल्यांकन की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। यह मध्यावधि मूल्यांकन किस प्रकार वस्तु-निष्ठ हो। यही वस्तुतः अनुदेशक की शैक्षिक एवं शैक्षणिक कुशलता का परिचायक होगा।

मूल्यांकन एवं अनुदेशक

समस्त अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अनुदेशक है, जिसके ऊपर सम्पूर्ण योजना की सफलता निर्भर करती है। अनुदेशक को शिक्षण की सुविधा के लिए समस्त पाठ्य-सामग्री को कुछ निश्चित इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। प्रत्येक की पाठ्य-सामग्री को यथोचित समय में पढ़ाना चाहिए। हर नवीन ज्ञान का आधार छात्रों का पूर्व ज्ञान है जो "सरल से कठिन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित भी है। शिक्षण की विधा सतत् मूल्यांकन से समन्वित है। वह दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक भी हो सकती है। सत्र की समाप्ति पर वह छात्रों की सम्प्राप्तियों के सत्रीय मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रपत्रों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए जो उनके ज्ञान, कौशलों, दक्षताओं एवं अभिवृत्तियों के विकास के स्तर की सम्यक् रूप से परख कर सके। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ/अतिलघूत्तरीय/लघूत्तरीय/दीर्घोत्तरीय/निबन्धात्मक तथा अन्य प्रकार के प्रश्नों को समाहित करना चाहिए।

मूल्यांकन की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी पर्यवेक्षक है जिसे न केवल छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों को ही जाँचना है वरन् केन्द्र के शैक्षिक नियोजन की भी समान महत्व देना है। विद्यालय समय में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री का प्रयोग। लिखित-मौखिक कार्य, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक कार्य समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि मूल्यांकन के प्रमुख बिन्दु हैं। सही मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक बिना पूर्व सूचना के भी केन्द्र पर उपस्थित हों और दैनिक पर्यवेक्षण के आधार पर वास्तविक आख्या सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करें जिससे कार्यक्रम में वांछित परिवर्तन या संशोधन यदि अपेक्षित हों, तो किया जा सके।

अनौपचारिक शिक्षा में समुदाय की प्रतिक्रिया का भी मूल्यांकन अपेक्षित है, जिसका आधार है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के द्वारा इस योजना का समाज पर प्रभाव एवं उपादेयता के स्तर को समझा जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिक रूप से पत्रों का विकास किया जाना चाहिए। इस दिशा में निदेशालय स्तर से मार्ग निर्देशन आवश्यक है। उचित प्रशिक्षण द्वारा अनौपचारिक शिक्षा का विकास, प्रचार एवं प्रसार हो सकेगा।

सम्पूर्ण अनौपचारिक शिक्षा के वास्तविक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु समस्त सम्बद्ध अधिकारियों का उचित समन्वयन परमावश्यक है। बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) में, उप-विद्यालय निरीक्षक और उप-बालिका विद्यालय निरीक्षिका में, स० बा० वि० नि० और प्रत्युप विद्यालय निरीक्षक एवं पर्यवेक्षिकाओं में परस्पर सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के प्रयोजन की सम्पर्कता निर्भर करती है।

निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण मूल्यांकन के अभिन्न अंग हैं। समस्त निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रपत्र हैं जिनकी पूर्ति वास्तविक अनुभवों के आधार पर की जानी चाहिए। थोड़ी-सी उदासीनता, कर्त्तव्य-विमुखता, उपेक्षा और कार्य सम्बन्धी अज्ञानता, सम्पूर्ण उद्देश्यों की उपलब्धता को नगण्य कर देती है। आवश्यकता इस बात की है कि योजना के संचालन के साथ उतना ही महत्व इसके मूल्यांकन, अनुबोधन तथा अनुश्रवण को भी दिया जाय। मानिटरिंग तथा फील्ड बैंक (अनुबोधन एवं पश्चपोषण) के लिए बीच-बीच में सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यकर्त्ताओं की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ ताकि योजना के क्रियान्वयन में उपस्थित कमियों को पता लगा कर उसे दूर किया जा सके और अनौपचारिक शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में यह एक ऐसा उपयोगी कार्यक्रम बन सके जिसमें पुनः ह्रास एवं अवरोध की स्थिति न आये।

अनौपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की उपादेयता

□ हमीदा अजीज
सह-उपनिदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
उ० प्र० इलाहाबाद

संकल्पना एवं नवीन आयामों का समावेश :

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जो वातावरण जन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और अपनी जीवन परिस्थितियों को सुधारने में बच्चों की सहायता करने के लिए बनाया गया था में नवीन आयामों का समावेश राष्ट्रहित को दृष्टिगत करते हुए किया गया। पर्यावरण एवं उस पर आधारित व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नागरिक समस्याओं तथा बालक/बालिकाओं की रुचियों, आवश्यकताओं एवं उनकी महत्वाकांक्षाओं को विशेष महत्व दिया गया। यह भी आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक नए विचार में संकल्पनात्मक स्पष्ट, आन्तरिक सुस्थिरता और और क्रियान्वित किये जाने की क्षमता हो ताकि आपसी खाई समाप्त हो, विघटनात्मक तनाव में कमी आये और मानवीय संसाधनों का विकास हो। साधनों के गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि हो। साथ ही भावी नागरिकों के व्यक्तिगत, अभिवृत्ति, आदतों, अधिगम, कौशलों और संप्रेषण क्षमताओं का विकास अवश्यम्भावी हो जो लोकतन्त्र के सूत्र को दृढ़ करते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक समझा गया कि उसमें गतिशीलता, जीवन के प्रति संवेदनशीलता और व्यावहारिकता हो पाठ्यक्रम का आधारभूत लक्ष्य रोजगार परक शिक्षा देना, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, इच्छुक छात्राओं को मुख्य धारा में लाना और पर्यावरण का ज्ञान रखा गया है। ध्यान रखा गया है कि पाठ्यक्रम का नियोजन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हो तथा उसका समय-समय पर संवर्द्धन किया जाता रहे।

अनौपचारिक शिक्षा एवं रोजगार

अनौपचारिक शिक्षा में रोजगार-परक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है क्योंकि इसका लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में अधिकतर उन परिवारों के बच्चे आते हैं जो सुविधा वंचित हैं इनके माँ-बाप स्वयं प्रातः से सायं तक श्रम एवं मजदूरी में लगे रहते हैं और अपने कार्य में बच्चों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता लेते रहते हैं जो आवश्यक भी है और उनके लिए अनिवार्य भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वयं मजदूरी या नौकरी करते हैं और अपने परिवारों का भरण-पोषण करते हैं। इन बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो उन्हें रोजगार के अवसर दें। जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों का ज्ञान कराने के साथ उसे सुलभ बनाये। उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल और वैज्ञानिक में वृद्धि करे। ध्यान रखना होगा कि साक्षरता, अंक ज्ञान, सामाजिक और नागरिक दायित्व विषयों की सामाजिक एवं आर्थिक सार्थकता ऐसी हो जो उसमें ऊर्ध्व गतिशीलता लायें।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की संकल्पना

वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को पुनः केन्द्रीय स्थान किया जा रहा है। क्योंकि विकासोन्मुख भारत के लिए वही शिक्षा उपयोगी और सार्थक हो सकती है जिसका उत्पादन में योगदान हो। आज के विज्ञान और तकनीक पर आधारित समाज के लिये शिक्षा का उत्पादन से सम्बन्धित होना आवश्यक है ताकि वह उपयोगी नागरिक का विकास कर सके।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य ऐसा मानवीय श्रम है जो सोद्देश्य एवं सार्थक होता है जिसकी

समुदाय के लाभ के लिए किसी वस्तु की या किसी प्रकार की सेवा की प्राप्ति होती है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य-में का—

× सोद्देश्य होना
× सार्थक होना और
× शारीरिक श्रम

होना आवश्यक समझा गया है। को सार्थक शारीरिक श्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके फलस्वरूप समुदाय के लिये उपयोगी वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती हैं। का लक्ष्य छात्रों में उपयोगी हस्तकौशल दक्षता का विकास कर उनके व्यवहार में रचनात्मक परिवर्तन लाना है। इससे उनमें सहयोग, सहिष्णुता, श्रम का महत्व, आत्मनिर्भरता आदि सामाजिक दृष्टि से अपेक्षित मूल्यों का रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य छात्रों को समुदाय की समस्याओं से परिचित कराता है तथा उनका हल खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। स० उ० का० का अध्ययन छात्रों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सहायक होता है। अतः अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत स० उ० का० का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। इससे अन्य गुणों के साथ छात्रों में उत्पादक दक्षता का विकास होता है।

जिस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में गतिशीलता है उसी प्रकार स० उ० का० के पाठ्यक्रम की सीमाएं भी बन्धनमुक्त हैं। इसका क्षेत्र व्यक्तिगत स्तर से लेकर समाज तक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक है। इसमें जहाँ एक ओर व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य है, वहीं दूसरी ओर स्काउटिंग है, गृहणी का आधुनिक स्वस्थ है, किशोर का सामाजिक दायित्व है, रंगों की विविधता है, अलंकरण है, साज-सज्जा है, रोजगार का प्रशिक्षण है।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य क्रिया-कलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित विधि बिन्दुओं पर विशेष सतर्कता एवं ध्यान दिया जाए—

1—नियोजन
2—प्रबन्ध
3—संचालन

(1) **नियोजन**—किसी कार्य के सफल कार्यान्वयन से उसके हर पहलू की पहले से भली-भांति देख-परख लेना चाहिए। पूर्व नियोजन कार्य की सफलता का द्योतक है। नियोजन का कार्य अनौपचारिक शिक्षा के जिला स्तरीय अधिकारी करें जिसकी पूर्वानुमान वे उच्चाधिकारियों से प्राप्त कर लें। इसी स्तर पर स्थानीय सर्वेक्षण जैसे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, माल की मांग और खपत का पूर्वानुमान भी आवश्यक है।

(2) **प्रबन्ध**—आवश्यक प्रबन्ध जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशन में पर्यवेक्षण करेंगे। इस व्यवस्था की पूर्वानुमति भी आवश्यक है। यहाँ अनौपचारिक शिक्षा के पर्यवेक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

(3) **संचालन**—संचालन का कार्य पर्यवेक्षक अनुदेशकों की सहायता से करेंगे संचालक विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे कि कार्य रोचक हो, रुके नहीं, सबका सहयोग प्राप्त हो। यहाँ अनुदेशकों की भूमिका मुख्य होगी।

उपर्युक्त तीनों सोपानों के कार्यों की पूर्वानुमति उच्चाधिकारियों से लेनी होगी। उनके कुशल निर्देशन में ही प्रत्येक कार्य किया जाएगा। पर्यवेक्षक और अनुदेशक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेक और सहज बुद्धि से कार्य लेंगे।

कार्यों का चयन

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर चलाये जाने वाले स० उ० का० के क्रिया-कलापों का चयन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान अपेक्षित है—

(1) समुदाय की आवश्यकताएँ।
(2) क्रिया-कलापों की शैक्षिक उपयोगिता।
(3) सम्बन्धित कार्यों के विशेषज्ञों की उपलब्धता।
(4) तत्सम्बन्धी उपकरणों और औजारों की उपलब्धता।
(5) बनाई जाने वाली वस्तुओं की मांग।
(6) सम्बन्धित उद्यम-व्यवसाय का विस्तार।
(7) निर्मित वस्तुओं का उपयोग किये जाने की सम्भावना अथवा बाजार का विस्तार एवं क्षमता।

अनौपचारिक शिक्षान्तर्गत स० उ० का० का क्षेत्र

अनौपचारिक शिक्षा में स० उ० का० सदैव से रहा है। अब आवश्यकता है उसे अधिक व्यवसायी रूप देने की। अधिक व्यावहारिक बनाने की जो समुदाय में लघु व्यवसाय के रूप में पुष्पित व पल्लवित हो सके।

अनौपचारिक शिक्षा में स० उ० का० का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें समाजोपयोगी गतिविधियों का बेहतर चुनाव हो सकता है।

व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के क्षेत्रों को उसी आधार पर अपनाना होगा जो अनौपचारिक शिक्षा का आधार भी है—

(1) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
(2) भोजन
(3) आवास
(4) वस्त्र
(5) सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक क्रिया-कलाप
(6) सामुदायिक कार्य और सामाजिक सेवाएँ

अनौपचारिक शिक्षा की गतिशीलता को देखते हुए स० उ० का इस शिक्षा क्षेत्र में अधिक उपयोगी एवं प्रभावी होगा। अनौपचारिक शिक्षा में समुदाय के जीवन की गुणवता में वृद्धि की जाती है जिसमें उपर्युक्त वर्णित सभी बिन्दु आ जाते हैं। इसमें उत्तम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जानकारी दी जाती है। पौष्टिक आहार का ज्ञान कराया जाता है। आवासीय सुविधा, रख-रखाव और वस्त्रों के उचित प्रयोग को बेहतर बनाया जा सकता है। सांस्कृतिक क्रिया-कलाप के ज्ञान के साथ स्वास्थ्य मनोरंजन के साधनों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। उन्हें सस्ते परन्तु विनाशकारी मनोरंजन से रोका जाता है घर, परिवार की खुशहाली, अच्छे व्यवहार एवं सम्बन्धों को बढ़ावा दिया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार स० उ० का० में भी इन ही बिन्दुओं को आधार माना जाता है। जिस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा में समुदाय का सद्भाव, सहयोग और सहभागिता विशेष महत्व रखती है बिल्कुल उसी प्रकार स० उ० का० भी सामुदायिक कार्य और सामाजिक सेवाओं पर विशेष बल देता है। अनौपचारिक शिक्षा में स० उ० का० एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स० उ० का० द्वारा ही अनौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है।

स० उ० का० का क्षेत्र बहुत व्यापक है इसके लिए कार्य की स्थिति कहीं भी सुलभ हो सकती है—कक्षायें विद्यालय में, विद्यालय के आसपास, घर में, खेत में, समुदाय में। इसका 'सम्भावना क्षेत्र' व्यापक है। विशाल सम्भावना क्षेत्र के कारण स० उ० का० का उपयोग छात्रों में व्यावसायिक रुझान उत्पन्न करने में किया जाता है जो बहुत सरल है। यह संसार की औद्योगिक दौड़ में कदम मिला कर चलने में भी सहायक होगा।

इक्कीसवीं सदी में पदार्पण करते हुए, नए युग के प्रारम्भ में, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय छात्र औद्योगिक क्रान्ति में भाग लेने योग्य बनें।

प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर रोजगार-परक शिक्षा

प्राथमिक स्तर (1 से 5)—अनौपचारिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर उसका अपने वर्तमान स्वरूप में ही उचित है। क्योंकि इस वय वर्ग में बच्चे अधिक दक्षतापूर्वक उच्च स्तरीय व्यवसाय सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकते। इस स्तर पर पर्यावरण का ज्ञान एवं अध्ययन व्यक्तिगत एवं पास पड़ोस की स्वच्छता, अच्छी आदतें, विभिन्न सामानों का ज्ञान, औजारों का ज्ञान एवं साधारण उपयोग एवं कार्य का अभ्यास आदि उचित होगा।

मिडिल स्तर (6 से 8)—अपनी मूल अवधारणा से भटके बिना उसकी 0 को व्यवसाय पूर्व आधार का रूप दिया जा सकता है। इस स्तर पर समुदाय के लाभ के कार्य, विभिन्न व्यवसाय जैसे—जिल्द बाँधना, कुर्सियों की बुनाई, साइकिल, स्टोव की मरम्मत, सामान्य रोगों का जड़ी-बूटियों से उपचार, मुर्गी पालन, खिलौने बनाना, डेयरी कार्य, खेती, आचार-मुरब्बे बनाना, पापड़ बनाना और फोटो-ग्राफी आदि उचित होंगे। यहाँ समय के उचित निर्धारण की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उसका 0 को प्राथमिक स्तर पर 20 प्रतिशत और मिडिल स्तर पर 12 प्रतिशत समय की व्यवस्था है। अनौपचारिक शिक्षा में इसमें वृद्धि करनी होगी।

व्यावसायिक शिक्षा की धारायें

अनौपचारिक शिक्षा में व्यवसायीकरण विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों में किया जायेगा। इसकी दो धारायें भी की जा सकती हैं—

(1) सामान्य शिक्षा धारा।

(2) व्यावसायिक शिक्षा धारा।

सामान्य शिक्षा धारा में वे छात्र आ सकते हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से मिलना चाहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा धारा में वे छात्र होंगे जो रोजगार करना चाहते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा द्वारा छात्र न केवल सामाजिक आवश्यकताओं को समझेंगे वरन् विकास के ढाँचे में प्रशिक्षित जनशक्ति के रूप में योगदान भी कर सकेंगे। इससे महिलाओं, विकलांगों, नवसाक्षरों एवं प्राइमरी, मिडिल शिक्षा प्राप्त युवकों को कार्य मिल सकेगा। व्यक्ति विशेष में रोजगार की दक्षता बढ़ेगी।

सर्वेक्षण—

विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक व्यवसाय हेतु सर्वेक्षण किये जाने से ज्ञात होगा कि अवसरों की उपलब्धता के क्षेत्र कौन से हैं क्षेत्रों में कौन से व्यवसाय चल रहे हैं, किनका प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है, किनका प्रशिक्षण उपलब्ध है, किन व्यवसायों की सम्भावनाएँ हैं क्षेत्र में किन व्यवसायों का माँग है किन क्षेत्रों में किन व्यवसायों की कमी होती है किन संस्थाओं में किन शिल्पों का प्रशिक्षण देने की सुविधा है, किन संस्थाओं से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को सहयोग मिल सकता है आदि—

सर्वेक्षण कार्य निम्नलिखित स्तरों पर किया जाना अभीष्ट होगा—

(1) विकास खण्ड स्तर।

(2) जिला स्तर।

(3) मंडल स्तर।

(4) राज्य स्तर।

सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिसका कार्यक्रम निर्धारण विवेक पूर्ण ढंग से होगा।

अनौपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी कतिपय विचारणीय बिन्दु/आयाम निम्नवत् होंगे —

(1) मध्य स्तरीय एवं निम्न स्तरीय जन-शक्ति का नियोजन ।
(2) अनौपचारिक शिक्षा में समावेश एवं पाठ्यक्रम में स्थान ।
(3) अध्यापक अधिकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
(4) शिक्षण प्रशिक्षण का आयोजन एवं मूल्यांकन ।
(5) पाठ्य विषय एवं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी एवं मूल्यांकन ।
(6) स्वरोजगार की व्यवस्था ।
(7) जन-सम्पर्क माध्यम एवं प्रचार-प्रसार ।
(8) विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का योगदान ।
(9) उपकरण अनुदान की व्यवस्था एवं उसकी वित्तीय स्वीकृति ।
(10) व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यानुभव प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की उपलब्धता ।
(11) प्रशिक्षण/मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित प्रतिष्ठानों में जाने के लिए मार्ग व्यय हेतु आकस्मिक व्यय से दिए जाने की विधिवत् वित्तीय स्वीकृति ।
(12) विद्यालय के पर्यावरण-सर्वेक्षण के पश्चात् व्यवसायों का चुनाव ।
(13) व्यावसायिक कृषि-शिक्षा जिससे कमाई हो (जैसे पौधशाला निर्माण यंत्री की मरम्मत) ।
(14) व्यावसायिक गृह सेवा जिसमे कमाई हो (जैसे कुकिंग, बेकरी, ब्यूटीशियन कोर्स) ।
(15) विभिन्न समस्यात्मक बिन्दुओं पर एक्शन रिसर्च ।
(16) अनुदेशकों का सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण ।

समिति

(1) विभिन्न स्तरों पर एक समिति का निर्माण किया जायेगा ।
(2) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के सम्पूर्ण क्रिया-कलाप का अयन, सम्पूर्ण तंत्र के उत्थान एवं प्रगति के प्रयत्न करेगी ।
(3) व्यवसायों की नई सम्भावनाओं की खोज करेगी ।
(4) अनौपचारिक शिक्षा में स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति एवं समीक्षा के साथ गिरावट की व्याख्या एवं सुधार के निदेश देगी ।
(5) आवश्यक होगा कि इसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि होंगे ताकि जहाँ-जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, सूचना मिल सके और रोजगार भी उपलब्ध हो सके ।
(6) अनुदान उपलब्ध न होने की स्थिति में समुदाय के सहयोग में आर्थिक व्यवस्था करेगी ।
(7) समुदाय का योगदान इस कार्यक्रम की कुंजी होगी ।

विभिन्न व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर व्यावसायिक शिक्षा का सरलीकृत रूप उस समय और अधिक उपयोगी होगा जब प्रत्येक आवश्यक व्यवसाय के विषय में छात्र पूरी जानकारी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र से ही प्राप्त कर सकें । जैसे यदि दर्जी का काम करना है तो उसके प्रारम्भ करने के लिए क्या-क्या करना होगा ? कितने स्थान और कितने औजारों की आवश्यकता होगी ? अनुमानित व्यय कितना होगा काम की क्या सम्भावनाएं होंगी आदि-आदि की जानकारी छात्र के लिए अपेक्षित एवं आवश्यक होगी ? इसके लिए एक अनुमानित खाका छात्र को उपलब्ध कराना होगा जिसे विषय विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया जाएगा । उदाहरण स्वरूप खाका निम्नवत् है—

दर्जी का कार्य/व्यवसाय

क्रम संख्या	औजारों का वितरण	संख्या	अनुमानित मूल्य रुपयों में यदि कार्य एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाए जो—
1.	संस्थान कमरा	1	40-00 प्रतिमाह किराया
2.	कैंची	1	25-00
3.	फीता	1	15-00
4.	गुनिया	1	20-00
5.	हैंगर	6	18-00
6.	प्रेस एवं स्वन्ड	1	100-00
7.	डिजाइन बुक	1	20-00
8.	शोकेस	1	250-00
	योग		448-00 = 500-00

ज्ञान—

अनुदेशक

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर छात्रों के ज्ञान का स्तरानुकूल संवर्धन एवं उनमें अपेक्षित कुशलताओं, योग्यताओं का विकास करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को किस प्रकार अनुस्यूत किया जा सकता है इसका संकेत अनुदेशकों को देना अभीष्ट होगा। यह अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विद्यालय का हर शिक्षक भाग लेता है। केवल विशेष व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवायें ली जाती हैं।

अनौपचारिक शिक्षा का अनुदेशक इस प्रकार के प्रत्येक क्रिया-कलापों की कल्पना और आयोजन कर सकता है। उसको अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए एक कुशल संगठनकर्त्ता बनना होगा। उसमें सभी विभागों से सहयोग लेने की क्षमता होनी आवश्यक है। उसमें कार्य की सूझ-बूझ, निष्ठा, उत्साह होना चाहिए। उसे छात्रों से सहानुभूति हो। प्रत्युत्पन्नमतित्व एवं लगन हो। न्यूनतम साधनों में ही कार्य कर लेने की क्षमता हो। उसमें केन्द्र और पास-पड़ोस की चीजों के उचित प्रयोग की क्षमता हो। उसमें प्रेक्षण, वीक्षण की सतर्कता एवं मार्ग दर्शन की क्षमता हो। वह पाठ एवं क्रिया-कलापों की पूर्व योजना बनाकर समय का पूर्ण सद् उपयोग कर सके। उसके द्वारा किया गया प्रदर्शन एवं निदेशन स्पष्ट हो। वह देश एवं उसकी नीतियों के प्रति वफादार हो।

पुनर्बोधन

(1) अनुदेशकों के समय-समय पर पुनर्बोधन की व्यवस्था कर निरन्तर ज्ञान वर्धन आवश्यक है।

(2) पर्यवेक्षकों का उचित अन्तराल पर पुनर्बोधन वांछनीय है।

(3) सम्बन्धित अधिकारियों का समय-समय पर आपसी विचार-विनिमय ज्ञानवर्धक होगा।

(4) समय-समय पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, प्रदर्शन एवं पत्रक, मैगजीन आदि से भी पश्च पोषण किया जा सकता है।

उत्पादकों की बिक्री

अनौपचारिक शिक्षान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा द्वारा उत्पादन स्थानीय माँग को देखते हुए, होना चाहिए। इन उत्पादकों की बिक्री विद्यालयीय समारोहों के अवसर पर की जा सकती है। उत्पादों की शीघ्र बिक्री आवश्यक है।

मूल्यांकन

औपचारिक शिक्षा की ही तरह, अनौपचारिक शिक्षा में भी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन का महत्व है परन्तु व्यावसायिक शिक्षा में इसे पूर्णतया अनौपचारिक ढंग से करना होगा। इसका मूल्यांकन कार्य-विधि में निरन्तर होना चाहिए। इसमें प्राप्तांकों की गणना न होकर श्रेणी में आंकना चाहिए। अनुदेशकों को चाहिए कि वे छात्रों से काम का संचित रिकार्ड रखें। अनौपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक क्रिया-कलाप की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा उत्पादन देखना होगा। छात्र का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर भी देखना होगा। प्रक्रिया उत्पादन तथा व्यक्ति को मिलने वाली श्रेणी पृथक्-पृथक् होगी। इसके लिए अनुदेशक को पर्यवेक्षक द्वारा निदेश दिए जाने आवश्यक हैं जो जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उसे प्राप्त होंगे।

●

अनौपचारिक शिक्षा व श्रव्य-दृश्य शिक्षा की उपादेयता एवं उपादानों का निर्माण

☐ दयानन्द मिश्र, प्रवक्ता
राज्य शिक्षा संस्थान
उ० प्र०, इलाहाबाद।

अपने परिवेश, पर्यावरण तथा समाज को समझने के लिए व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण को समझने, उसमें रुचि लेने, अपनी क्षमता तथा कार्य-कुशलता को विकसित करने का अवसर मिलता है। अच्छे समाज की रचना करने तथा उसे सुदृढ़ आधार देने के लिये समाज के प्रत्येक मानव प्राणी का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सौन्दर्यपरक विकास अपरिहार्य है, इससे आर्थिक विकास, लोकतन्त्रीय जीवन प्रणाली एवं पद्धति तथा न्यायपूर्ण समाज की संरचना को अपेक्षित शक्ति निःसंदेह सुलभ होगी और सामाजिक विकास-चक्र अबाधित गति से चलता रहेगा, क्योंकि सभी को अपनी अन्तर्निहित क्षमता एवं शक्ति के विकास तथा व्यक्तित्व के प्रस्फुटन हेतु "शिक्षा-प्राप्ति" जन्मसिद्ध अधिकार है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सहायक एवं सम्पूरक कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया। प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना से वंचित तथा कमजोर एवं निर्धन वर्ग के बालक/बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों एवं उन समूहों पर जो अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान किये जाने पर विशेष बल दिया जाता है।

इस साक्षरता अभियान को और अधिक गति प्रदान करने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा केन्द्रों पर पठन-पाठन की घिसी-पिटी शैली को छोड़कर शिक्षण की रोचक एवं और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण विधियों में नई तकनीकी विधि को प्रयोग में लायें।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में संचार साधनों की महत्ता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। शिक्षा, कृषि, समाज-व्यवस्था, अभियान्त्रिकी तथा चिकित्सा आदि के क्षेत्र में मनुष्य की उपलब्धियाँ आज सर्वत्र संचार-क्रान्ति के प्रभावित हैं। विचारों, कथनों तथा तथ्यों के प्रचार एवं प्रसार में संचार माध्यमों की प्रमुख भूमिका होती है। इन्हीं के द्वारा मानव-समाज अपनी सर्वतोमुखी अभ्युन्नति के लिये जागरूक एवं प्रयत्नशील होता है।

वर्तमान लोकतन्त्र ने शिक्षा में एक महान् क्रान्ति ला दी है। अब शिक्षा कुछ विशेष परिवारों तक ही सीमित न रहकर जन-जन को सुलभ हो गयी है। परम्परागत परिधियों के टूटने, जनसंख्या एवं ज्ञान विस्फोट से शिक्षकों का उत्तरदायित्व द्रुतगति से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान परिवेश में शिक्षक को शाब्दिक माध्यम तथा रूढ़िगत शिक्षण विधियों को अलग करके उन्हें जीवनोपयोगी बनाने के लिए नये माध्यमों के प्रयोग से शिक्षण की तकनीकों में तात्विक सुधार लाने की ओर उन्मुख कर दिया है।

संचार एक मिश्रित प्रणाली है इसका सशक्त माध्यम ही शैक्षणिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित कर

सकता है। विचारों के परस्पर प्रभावी संचरण का सम्यक् ज्ञान ही शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में जीवनोपयोगी बना सकता है। संचार के विभिन्न माध्यम ही श्रव्य-दृश्य शिक्षा के माध्यम हैं। विश्व के प्रगतिशील देशों ने शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम मानकर इन माध्यमों को बहुत अधिक मान्यता दी है। आधुनिक नवीन शिक्षण उपादानों का प्रयोग हमारे देश में शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अब अपरिहार्य हो गया है।

समय सीमित है। अतएव सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए सीमित शिक्षण काल में विस्तृत एवं तकनीकी पाठ्य-वस्तु को निर्धारित समय में सिखाने के लिये श्रव्य-दृश्य उपादानों की आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया का मूलाधार अनुभव है। आजकल कक्षा में अधिकतर शिक्षण कार्य मौखिक रूप में ही होता है, शब्दों द्वारा प्राप्त अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। प्रतीकात्मक होने के कारण अन्यत्र स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। अनुभवों की पृष्ठभूमि में अन्तर होने के कारण एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। अधिकांश शब्द सुनते-सुनते बालक ऊब जाते हैं। इन अवरोधों का सम्यक् निराकरण श्रव्य-दृश्य उपादानों के प्रयोग से ही सम्भव है। श्रव्य-दृश्य सामग्री के माध्यमों से दिया गया ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट, सरल, बोधगम्य एवं स्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि बालक औसतन 20% सुनकर तथा 30% देख कर सीखता है। क्रियाशील श्रव्य-दृश्य उपादानों का श्रेय जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लाभदायक हैं वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा तथा उपचारात्मक शिक्षा में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

शिक्षार्थी की आवश्यकता का सम्यक् ज्ञान शिक्षक की सफलता का द्योतक होता है, वह उसकी पूर्ति के लिये अर्थपूर्ण अनुभवों का चयन करके दक्षतापूर्वक उसे शिक्षार्थी को प्रदान करें। एक सफल शिक्षक को शिक्षार्थी के प्रत्यक्ष, बोध, ज्ञान एवं स्तर को जानकर उन्हें विकसित करने के लिये उपयुक्त माध्यम का चयन कर उनका इस प्रकार प्रयोग करना चाहिये जिससे विषय के स्वरूप का अनुभव हो सके तथा शिक्षार्थी के मानस पटल पर विषयक का स्पष्ट बिम्ब एवं धारणा बन सके। एतदर्थ चलचित्र, चित्रपेटी, रेडियो, ध्वनि अंकन, ग्राफिक एड्स तथा स्थिर चित्र आदि का आवश्यकतानुसार उपयुक्त प्रयोग कर आधुनिकतम श्रव्य-दृश्य उपादानों द्वारा विषय-वस्तु को बोधगम्य बनाया जा सकता है।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता किन्तु इनके प्रचार एवं प्रयोग में कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसे शिक्षकों की उदासीनता, व्ययसाध्य उपादान, आर्थिक अवरोध, प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी आदि। अभी तक शिक्षण में उनका प्रयोग बहुत कम होता था, किन्तु जन मानस में अप्रत्याशित परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अब यह सोचने लगा है कि शिक्षित होना उसके जीवन की एक परम आवश्यकता है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा जगत में इस अनिवार्यता का अनुभव किया जा रहा है कि अधिगम को सुगम एवं स्थायी बनाने के लिये श्रव्य-दृश्य उपादानों का निर्माण, नियोजन एवं प्रयोग करें, किन्तु यह कार्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी के समन्वय पर निर्भर है।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत उपयोग में लाये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित कुछ कम व्ययशील श्रव्य-दृश्य उपादानों का उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा, जिनके उपयोग से शिक्षण को और प्रभावी तथा सरल एवं रोचक बनाया जा सकता है। (1) छाया चित्र, (2) टाट-पट, (3) स्लाइड, (4) कठपुतली, (5) वायु दिशा सूचक, (6) ज्यामितीय आकृतियाँ, (7) दीर्घ वृत्त, (8) इन्द्र धनुष, पानी की घड़ी, (9) पेन्टोग्राफ, (10) चार्ट, फ्लेश कार्ड आदि।

ग्रामीण अंचलों में स्थित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये उपर्युक्त उपादान अधिक उपयोगी है, इनका निर्माण एवं प्रयोग सरल है और इनमें अधिक व्यय-भार भी नहीं पड़ेगा। संक्षेप में कुछ उपादानों के निर्माण एवं प्रयोग विधि निम्नवत् वर्णित हैं—

(1) छाया-चित्र—शिक्षण कार्य में छाया चित्रों द्वारा प्रदर्शन मनोरंजक एवं आकर्षक होता है, इसके द्वारा बच्चों में क्रियात्मकता सरलता से उत्पन्न की जा सकती है। छाया-चित्र दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रथम विधि में परदे के पीछे बच्चों द्वारा मूक अभिनय कराया जाय और पीछे से प्रकाश डालकर बालकों को छाया-चित्र पर्दे पर उत्पन्न किये जायें, इसमें छात्र एवं पर्दे के बीच दूरी कम रखी जाय और प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो तो इस प्रकार की क्रिया में वास्तविकता तथा गतिशीलता के कारण ये छायाचित्र अत्यन्त मनोरंजक तथा आकर्षक होंगे।

छायाचित्रों की दूसरी विधि में पत्र-पत्रिकाओं से रोचक एवं विषय-वस्तु से सम्बन्धित चित्रों को काट कर दफ्ती पर चिपका दें तथा उसे लकड़ी के स्टैण्ड के सहारे स्टेज पर लाकर पूर्व विधि द्वारा प्रकाश डालना चाहिये, इस प्रकार के प्रदर्शन से छात्रों में वांछित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, इससे बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण तथा क्रियात्मकता प्रभावित होती है।

सामाजिक विषय, भाषा तथा नीति विषयक कथाओं के शिक्षण में उक्त उपकरण विशेष लाभकारी है।

(2) टाट-पट—यह एक ऐसा उपादान है जिसका प्रयोग श्यामपट एवं फ्लेनलो-ग्राफ के अभाव में आसानी से निर्मित कर किया जा सकता है, निश्चित आकार के बोर्ड या मोटी दफ्ती पर टाट को खींच कर मढ़ दिया जाता है और प्रयोग के समय दीवाल या स्टैण्ड पर टाँग दिया जाता है। कट आउट चिपकाने के सन्दर्भ में टाट-पट ज्यादे अधिक उपयोगी है, अक्षर, शब्द चित्र, रेखा-चित्र, ग्राफ आदि के कट आउटों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान देना सरल होता है, इसका निर्माण छात्रों की सहायता से बिना किसी विशेष व्यय के आसानी से किया जा सकता है।

(3) स्लाइड—इसकी निर्माण विधि सरल है, यह टूटे-फूटे शीशे के टुकड़े, कागज का कतरन या कड़ी को पट्टियों द्वारा काली स्याही का प्रयोग कर बनाई जा सकती है। इसे प्रदर्शित करने के लिये कड़ी दफ्ती या माउण्ट में लगा दिया जाता है, इसका आकार प्रायः 2″ × 2″ का होता है और विषय-वस्तु के निरूपण में जितनी बार चाहे उतनी बार शिक्षक इसका प्रयोग शिक्षण में कर सकता है।

(4) कठपुतली—कठपुतलियों द्वारा शिक्षण कार्य न केवल खेल का साधन है बल्कि शिक्षा प्रदान करने का अच्छा माध्यम है। इनका निर्माड़ कपड़े की गुड़ियों द्वारा, कागज की लुग्दी अथवा पुराने अखबारों द्वारा आसानी से छात्रों द्वारा कराया जा सकता है। कठपुतलियाँ मनोरंजक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ जीवनोपयोगी उपदेशादि देने में भी सहायक होती हैं।

इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण कार्यों में कम व्ययशील अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरणों का निर्माण कर श्रव्य-दृश्य उपकरणों का उपादेयता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है और शिक्षण में इन उपादानों की महत्ता अपरिहार्य होगी। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रभावी शिक्षण में श्रव्य-दृश्य शिक्षा उपादानों की उपयोगिता वैदिक काल से अद्यावधि अक्षुण्य है और आगे भी अक्षुण्य रहेगा।

●

अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश

□ दयानन्द मिश्र

प्रवक्ता

राज्य शिक्षा संस्थान उ० प्र०

देश में चल रहे साक्षरता अभियान में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रवेश में साक्षरता प्रतिशत अति न्यून होने के परिणामस्वरूप शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की दिशा में अनौपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ उ० प्र० इलाहाबाद यथाशक्ति प्रयत्नशील है। प्रदेश में निर्धनता के कारण समाज का निर्धन व मजदूर वर्ग अपने बालक-बालिकाओं को औपचारिक विद्यालयों में अध्ययन हेतु भेजने में असमर्थ है, परिणामस्वरूप अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कर प्रारम्भिक शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सार्वजनिक बनाये जाने की संकल्पना की गयी, जो छात्र के व्यावसायिक तथा व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध हो, जिसके पठन-पाठन में छात्र को औपचारिकता ही नहीं अपितु सुख-सुविधा एवं सुगमता की अनुभूति हो। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्र क्रमशः 9-4 तथा 11-14 वय वर्ग के लिए खोले गये हैं। प्राइमरी स्तर के शिक्षा केन्द्रों में वर्ष के अन्दर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं एवं अभिवृत्तियों को विकसित करने का पाठ्यक्रम बनाया गया है, मिडिल स्तर के केन्द्रों में शिक्षा की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है। प्रतिभागी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में समतुल्य जूनियर स्तर के सभी विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है, इन छात्र-छात्राओं के जीवन को समुन्नत करने के उद्देश्य के साथ-साथ इच्छुक छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की भी संकल्पना की गयी है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम में सामान्यतः भाषा-साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का समावेश किया गया है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अपर्याप्त हैं।

बच्चों में प्रारम्भ से ही अच्छे संस्कार डालने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों के प्रारम्भिक ज्ञान के साथ-साथ नैतिकता का भी बोध कराया जाये, और यह तभी सम्भव होगा जब औपचारिक शिक्षा की भाँति अनौपचारिक शिक्षा में भी नैतिक शिक्षा-सम्बन्धी पृथक् से एक पाठ्यक्रम का निर्माण कराकर आगामी शिक्षा सत्र से लागू किया जाय।

भारत जैसे निरपेक्ष राष्ट्र के लिये यही उचित है कि नीतिशास्त्र, नागरिकता, समाजनिष्ठा, सज्जनता, उदारता, परोपकार, सद्व्यवहार, चारित्रिक श्रेष्ठता, आदि मूल्यों की उपयोगिता से आज के छात्र भली-भाँति परिचित हैं, बच्चों को इस बात की जानकारी हो सके कि 'हमें दूसरों' के साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो दूसरों से हम अपने लिये चाहते हैं।

हम जानते हैं कि देश का भविष्य कल उन लोगों के हाथ में होगा जो आज शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त भावी उत्तरदायित्वों को सँभालने वाले हैं। प्रगति, शान्ति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन लोगों को नैतिक गुणों से सम्पन्न करना आवश्यक है जिन्हें कल जिम्मेदारियाँ सँभालनी हैं। नैतिकता आचरण से सम्बन्धित सद्व्यवहार है जिससे मानवता का विकास होता है।

छात्रों को नैतिक मूल्यों एवं व्यावहारिक क्रियाओं की सम्यक् जानकारी कराकर ही मानवीय गुणों को विकसित कर पाना सम्भव होगा। एतदर्थ शिक्षा की सर्वोत्तम प्रणाली तथा शैक्षिक वातावरण का आयोजन आवश्यक है। अनौपचारिक विद्यालयों के परिवेश में पारस्परिक सहयोग निष्ठा, सहयानुशासन, कर्तव्य-बोध तथा शिक्षकों द्वारा शैक्षिक

व्यवहार में नैतिक आदर्शों के अनुपालन पर विशेष बल अपेक्षित है। विद्यालयों में हमें ऐसे कार्य-कलाप करने होंगे जिनमें कम से कम नयी पीढ़ी के बच्चे वांछनीय दिशाओं में आगे बढ़ें, इसी दृष्टिकोण से अधिकाधिक शिक्षाविद् इस बात के पक्षधर हो गये हैं कि नैतिक शिक्षा सर्वत्र समान रूप से प्रत्येक स्तर के केन्द्रों पर प्रदान की जाय जिससे बच्चों में सबके प्रति प्रेम, अहिंसा, जीवों पर दया, सत्य का पालन, देश-भक्ति, धार्मिक सहिष्णुता, भावनात्मक एकता, राष्ट्र-प्रेम, सहयोग, बड़ों के प्रति आदर, सदाचरण, सांस्कृतिक विरासता के प्रति समादर आदि मानवीय मूल्यों का विकास हो सके और नैतिक ह्रास को रोका जा सके।

किसी राष्ट्र की सम्पत्ति उसकी धनराशि नहीं होती, बल्कि उस देश के निवासी, युवकों का स्वस्थ शरीर, उनका विशाल हृदय और सच्चरित्र ही इस देश की वास्तविक सम्पत्ति है। देश के बच्चों के चरित्र निर्माण तथा उनके व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास का दायित्व अध्यापकों पर है। स्तरानुकूल विषय ज्ञान देने, अपेक्षित कौशलों, योग्यताओं तथा अभिवृत्तियों का विकास करने के साथ ही उनमें सत्-असत् का विवेक पर आचरण करने और समग्र रूप से उनके चरित्र का निर्माण करने का काम शिक्षकों का सर्वोपरि कर्त्तव्य है। इस दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षकों/अनुदेशकों से निम्नलिखित अपेक्षायें की जाती हैं—

(1) वह अपने को बच्चों का अभिभावक समझे और उन्हें स्नेहपूर्वक सत्प्रवृत्तियों का लाभ और दुष्प्रवृत्तियों की हानियों से अवगत कराता रहे। क्योंकि शिक्षक एक मनुष्य का ही मार्गदर्शक नहीं होता वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र का निर्माण करने में सशक्त निमित्त होता है। छात्र अध्यापक के गुणों का अपना आदर्श मानता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक का अपना व्यक्तित्व आचरण तथा व्यवहार उच्च-कोटि का है।

(2) अध्यापक सम्पन्न घराने के लड़कों के ट्यूशन-कार्य का प्रोत्साहन एवं लगाव को बढ़ावा न देकर शिक्षण में ही समर्पित रहे।

(3) घरेलू कार्यों के लिये शिक्षा-काल में कटौती करने के नैतिक अपराध से अपने तथा विद्यालय के सम्मान को बचाये रखने के लिये जहाँ तक सम्भव हो घरेलू कार्य विद्यालय अवधि में न कर अवकाश के दिन अथवा विद्यालय अवधि के बाद करे तो अधिक उपयुक्त होगा।

(4) पाठ्यक्रम में निर्धारित गणित, भूगोल, इतिहास, भाषा एवं अन्य विषयों में आने वाले प्रेरणास्पद प्रसंगों के साथ अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से ऐसी विवेचना करते रहें जिनसे सत्प्रवृत्तियों के लाभ तथा दुष्प्रवृत्तियों की हानियाँ उजागर होती रहें। शिक्षा के साथ घुली-मिली नैतिक शिक्षा आसानी से सुपाच्य हो सकती है।

(5) नैतिक शिक्षा के लिये एक नियमित समय-सारिणी निश्चित रखें और बच्चों में समाज सेवा के प्रति रुचि और उत्साह उत्पन्न करने की दृष्टि से महापुरुषों के जीवन आदर्शों से सम्बन्धित प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख करें।

(6) अवकाश के दिनों में पर्यटन कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को व्यावहारिक जीवन दर्शनपरक झाँकियों का अवलोकन कराये जिससे छात्र नैतिक शिक्षा के सम्बोधों एवं अधिगम बिन्दुओं को सरलतापूर्वक समझने में समर्थ हो सके।

(7) छात्रों में राष्ट्र-भक्ति, साहस तथा नागरिकता के गुणों के विकास हेतु अध्यापक का सतत् प्रयत्नशील रहना अधिक उपादेय होगा। अपने देश के प्रति अनुराग तथा राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के प्रति दायित्व की भावना विकसित करना शिक्षकों का प्रमुख कर्त्तव्य है। महान् देश-भक्तों, साहसी योद्धाओं तथा स्थिति के अनुसार दृढ़ता दर्शित करने वाले महापुरुषों के उदाहरण देने के साथ ही शिक्षक को अपने आचरण तथा व्यवहार द्वारा राष्ट्र-भक्ति,

साहस तथा सद्व्यवहार की प्रेरणा देनी चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, तथा राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान आदि गुणों का विकास दैनिक जीवन में अनुकरण मात्र से सहज सम्भव है, अतः अध्यापकों का आदर्श इस दिशा में अनुकरणीय होना समीचीन है।

खेल-कूद, पर्यटन, श्रमदान आदि कार्यों से शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सहायता जनसेवा के कार्यों में नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास उल्लिखित जीवन मूल्यों की जानकारी कराकर आसानी से किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुशल तथा कल्पनाशील अध्यापक उपलब्ध साधनों, छात्रों की रुचि आदि को ध्यान में रखते हुए अन्य उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन कर नैतिक शिक्षा के अधिगम बिन्दुओं एवं सम्बोधों की अवधारणा से छात्रों को अवगत कराकर मानवीय शाश्वत् जीवन मूल्यों की अभिवृद्धि करता हुआ नैतिकता के लक्ष्य-प्राप्ति की ओर अबाधित गति से अग्रसर हो सकता है।

●

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

प्रगति की सूचना

(1) जनपद का नाम कुल विकास खण्डों की संख्या

1—विकास खण्ड का नाम जहाँ केन्द्र खोले गये हैं—

वित्तीय वर्ष	विकास खण्डों का नाम
1980-81	
1981-82	
1982-83	
1983-84	
1984-85	
1985-86	
1986-87	दीक्षा विद्यालय का विकास खण्ड

2—प्रत्येक विकास खण्ड में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	केन्द्रों की संख्या		कुल योग
		प्राइमरी	मिडिल	
1—				
2—				
3—				
4—				
5—				
6—				
7—				
8—				
9—				
10—				
दीक्षा विद्यालय से सम्बद्ध				
योग				

3—प्रविष्टि छात्र/छात्राओं की संख्या — प्राइमरी/मिडिल स्तर

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	बालक				बालिका				महायोग
		अनु०/अनु० जन०/जाति	पिछड़ी	अन्य	योग	अनु०/अनु० जा०-जन०/जाति	पिछड़ी	अन्य	योग	
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
1—										
2—										
3—										
4—										
5—										
6—										
7—										
8—										
9—										
10—										
दीक्षा विद्यालय से सम्बन्ध										
योग										

4—प्राइमरी स्तर के बालिका केन्द्र तथा नामांकन की सूचना—

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	केन्द्र संख्या	अनु०/जाति	अनु०/जन० जाति	पिछड़ी जाति	अन्य	योग

नोट—(1) प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्रों के नामांकन की स्थिति उपर्युक्त प्रपत्र पर अलग-अलग अंकित कर प्रस्तुत की जाय।

5—कार्यरत अध्यापकों की संख्या—

टिप्पणी—प्राइमरी तथा मिडिल स्तरीय केन्द्रों के अध्यापकों की संख्या निम्नांकित प्रपत्रों पर अलग-अलग प्रस्तुत की जाये।

क्र०-सं०	विकास खण्ड का नाम	प्रशिक्षित पु०/महि०	बेराजगार पु०/महि०	बेराजगार पु०/महि०	सेवा निवृत पु०/महि०	योग पु०/महि०	अनु०जा०/ज०जा० पु०/महि०
1	2 3	4	5	6 7	8 9	10	11 12 13 14
1—							
2—							

3—
4—
5—
6—
7—
8—
9—
10—
दीक्षा विद्यालय से सम्बंध

योग				

6—अध्यापकों की योग्यतानुसार संख्या— प्राइमरी/मिडिल स्तर

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	पुरुष		महिला		योग	
		प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
1—	हाई-स्कूल से प्रक्रम						
2—	हाई-स्कूल						
3—	इण्टर मीडिएट						
4 –	स्नातक या उच्च						
योग							

7—व्यय विवरण वित्तीय वर्ष 86-87 का प्रत्येक माह का व्यय सम्बन्धित शीर्षकों में अंकित किया जाय।

कार्यालय का नाम	माह का नाम	बजट शीर्षक	व्यय की मदें		
			वेतनादि	यात्रा भत्ता	सांयोगिक व्यय
1	2	3	4	5	6
		277—शिक्षा 288—जिला 288—केन्द्र 299—पर्वतीय			

सांयोगिक व्यय	शिक्षा सामग्री	काष्ठोपकरण	शिक्षक पारिश्रमिक	शिक्षक प्रशिक्षण	पेट्रोल	अन्य	पूर्ण योग
7	8	9	10	11	12	13	14

नोट—उप-विद्यालय निरीक्षक तक दीक्षा विद्यालय के कार्यालय का अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर किया गया व्यय भी संकलित करके भेजा जाये।

8—प्रशिक्षा की सूचना—

जनपद में कुल नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या पुरुष/महिला योग

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	प्रशिक्षण की अवधि 6 दिवसीय प्रशिक्षण	4 दिवसीय प्रशिक्षण	प्रशिक्षित संख्या पुरुष	महिला	योग

नोट - वित्तीय वर्ष 1986-87 में जिन विकास खण्डों में अध्यापकों का जितने दिनों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, उसका विवरण अंकित किये जाये।

9—प्राइमरी तथा मिडिल स्तरीय बालिका प्रधान केन्द्रों की संख्या

विकास खण्ड का नाम.... ....

प्राइमरी/मिडिल स्तर.... ....

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	वर्ग	बालक अनु० जा०	अनु० जन०जा०	पिछ० जा०	अन्य	योग	बालिकया अनु०जा०	जन०जा०	पि०जा०	अन्य	योग	पूर्ण योग

10 – केन्द्रों के निरीक्षण की सूचना—

क्र० सं०	निरीक्षण अधिकारी का नाम	निरीक्षण केन्द्रों की कुल संख्या	केन्द्र स्तर .... प्रा०	मिडिल	पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिका के कुल दौरे के दिन	उन केन्द्रों की संख्या जिन्हें एक बार भी नहीं देखा जा सकता
1	पर्यवेक्षक					प्राइमरी
2	पर्यवेक्षिका					मिडिल
3	अपर/उप वि० नि०					योग
4	बेसिक अधिकारी					
5	जि० वि० वि०					
6	मण्डलीय उप-निदेशक					
7	अन्य					

11—केन्द्र पर नामांकित विभिन्न ज्ञान स्तर के छात्र/छात्राओं की संख्या प्राइमरी/मिडिल स्तर

कक्षा	वर्ग	1	2	3	4	5	6	7	8	योग
कक्षा स्तरवार	बालक									

छात्र/छात्राओं की संख्या प्रवेश के समय	बालिका योग····	
सत्र के अन्त में ज्ञान स्तर की स्थिति	बालक बालिका योग···· महायोग····	

नोट—जनपद के समस्त अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थिति अंकित की जाये ।

12— विकास खण्ड के विभिन्न भवनों में चल रहे शिक्षा केन्द्रों की संख्या प्राइमरी/मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्र

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन	पंचायत घर	ग्राम पूजा स्थल दायिक····· केन्द्र मंदिर मस्जिद	निजी आवास	खुला संस्थान	अन्य कोई स्थल	योग
1—								
2—								
3—								
4—								
5—								
6—								
7—								
8—								
9—								
10—								
दीक्षा विद्यालय से सम्बन्ध केन्द्र								
योग								

हस्ताक्षर
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

नोट—1— प्राइमरी तथा मिडिल स्तर की सूचनायें अलग-अलग तैयार की जाय ।

2— प्रत्येक विकास खण्ड के केन्द्रों का नाम, अध्यापक का नाम, तथा योग्यता, जाति, अध्यापक का वर्ग, केन्द्र से उसके निवास स्थान की दूरी, केन्द्र संचालन का स्थल, केन्द्र का समय, पूर्ण छात्र/छात्रा संख्या, इस प्रपत्र के साथ तैयार करके संलग्न किया जाये ।

3— सूचनायें निर्धारित प्रपत्र पर फुल स्केप कागज पर यथासंभव टंकित कराकर भेजी जाय ।

4 - प्रत्येक सूचना के लिये अलग कागज का प्रयोग किया जाये दो सूचनायें एक कागज पर कदापि टंकित न करायी जाय ।

आवश्यक—प्रत्येक सूचना पूरी जनपद की दी जाये, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
परीक्षाफल वर्ष.....

प्रपत्र—1

केन्द्र का नाम
केन्द्र स्तर-प्राइमरी/मिडिल
जनपद का नाम.....
विकास खण्ड का नाम

क्र० सं०	परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी	पिता का नाम	जाति	जन्मतिथि	परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक का नाम									योग	परीक्षाफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट—(1) हिन्दी वर्णमाला क्रमानुसार नाम अंकित किये जायें।
(2) बालिकाओं के नाम बालकों के बाद वर्णमाला क्रमानुसार लिखे।
(3) अनुसूचित जाति/जनजाति यदि कोई हो, निर्धारित कोष्ठक की पूर्ति करें।
(4) परीक्षाफल तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा।

हस्ताक्षर
परीक्षाफल
प्राइमरी/मिडिल

हस्ताक्षर
अपर/उप विद्यालय निरीक्षक

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक
प्राइमरी/मिडिल स्कूल

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
परीक्षाफल का विश्लेषण
वर्ष.....

प्रपत्र—2

विकास खण्ड का नाम	केन्द्रों की संख्या	वर्ग	पंजीकृत छात्रा/छात्र संख्या				सम्मिलित छात्रा/छात्र संख्या				परीक्षा उत्तीर्ण संख्या				उत्तीर्ण प्रतिशत
			अनु० जा०	जनजा०	अन्य	योग	अनु० जा०	जनजा०	अन्य	योग	अनु० जा०	जनजा०	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		बालक													
		बालिका													
		योग													

हस्ताक्षर पर्यवेक्षक
विकास खण्ड.....

हस्ताक्षर अपर/उपविद्यालय निरीक्षक
जनपद

हस्ताक्षर
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद

नोट—(1) प्रत्येक विकास खण्ड का परीक्षाफल प्रपत्र 2 पर संकलित किया जायेगा।
(2) जनपद का परीक्षाफल विकासखण्डों परीक्षाफल का योग करके अन्त में दिखाया जाये।

प्रपत्र—1

अनौपचारिक शिक्षा मॉनिटरिंग प्रपत्र - 'केन्द्र स्तर'

1—केन्द्र विवरण

जनपद

विकास खण्ड

केन्द्र का नाम — सेवित क्षेत्र का विवरण

केन्द्र स्तर तथा — शिक्षा केन्द्र का स्थान

केन्द्र प्रारम्भ की तिथि — माह केन्द्र चलने का समय

शिक्षक का नाम तथा योग्यता — कब से कब तक

शिक्षक का वर्ग — माह के कुल कार्य

जाति (अनु० जा०/जन० जा०) — दिवसों की सं०—

2—नामांकन की स्थिति

2-1 पंजीकृत छात्र संख्या	अनु० जा०	जनजा०	पिछ० जाति	मुस्लिम	सिक्ख	अन्य	योग
बालक							
बालिका							
योग							
2-3 ड्राफ आउट (उपर्युक्त में सम्मिलित) बालक							
बालिका							
योग							
2-3 नये बच्चे (उपर्युक्त में 2-1 में सम्मिलित) बालक							
बालिका							
योग							
2-4 अनानुमोदित सूची में प्रवेश बालक							
बालिका							
योग							

3—माह की औसत उपस्थिति

4-1 छात्र-छात्राओं का केन्द्र पर ठहराव

ठहराव	छात्रों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग

एक माह से अधिक कक्षा में उपस्थित
तीन माह से अधिक कक्षा में उपस्थित
एक वर्ष सें अधिक कक्षा सें उपस्थित

4-2 — छात्र सं० में यदि कोई ह्रास हुआ है—
ह्रास का कारण
ह्रासित सं० की पूर्ति के लिये किया गया प्रयास

5— शिक्षण कार्य की प्रगति पूर्ण की गयी इकाई का विवरण/यूनिट मूल्यांकन की स्थिति।मासिक परीक्षा। लिखित कार्य ।

6— केन्द्र पर विभिन्न ज्ञान स्तर के छात्रों की संख्या—

कक्षा	वर्ग	1	2	3	4	5	6	7	8	योग
कक्षा स्तर व छात्र/छात्राओं की संख्या	बालक									
	बालिका									
	योग									

7— भौतिक संसाधनों तथा धन की उपलब्धता

क्र० सं०	आइटम	प्राप्त मात्रा/पर्याप्त संख्या	यदि अपर्याप्त आवश्यकता की मात्रा।संख्या	प्राप्ति की तिथि	अन्य विवरण
1	शिक्षण पारिश्रमिक				
2	आकस्मिक धन				
3	पुस्तकें				
4	छात्रों के लिये लेखन सामग्री				
5	श्यामपट्ट				
6	चाक				

प्रपत्र—2

अनौपचारिक शिक्षा मानीटरिंग प्रपत्र
(विकास खण्ड-स्तर)
मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक — प्राइमरी/मिडिल
त्रैमास के अन्त की आख्या
जून 19
सित० 19

दिस० 19

मार्च 19 पूरे वि ीय वर्ष के अन्त की आख्या

1—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का विवरण

1—जनपद

2—विकास खण्ड का नाम

3—सेवित क्षेत्र का विवरण (पंचायत क्षेत्र/ग्राम/नगरपालिका क्षेत्र का नाम—
यह सूचना प्रथम तथा वार्षिक आख्या में दी जाये)

4—पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिका का नाम तथा पता —

2—शिक्षा केन्द्र का विवरण

क्रम सं०	केन्द्र के विषय में	केन्द्रों की संख्या	योग
		प्राइमरी मिडिल	
1.	भौतिक लक्ष्य		
2.	आख्यागत अवधि में चल रहे केन्द्र		
3.	आख्यागत अवधि में खोले गये केन्द्र		
4.	आख्यागत अवधि में बन्द हुये केन्द्र		
5.	आख्यागत अवधि में समाप्त पर संचालित केन्द्र		

3—नामांकन कार्यदिवस एवं औसत उपस्थिति

		अनु० जा०	अनु०जनजा०	मुस्लिम सिक्ख पिछड़ी जाति	अन्य	योग
1 पंजीकृत संख्या	बालक					
	बालिका					
	योग					
2. ड्राफ आउट (उपर्युक्त 3—1 में शामिल होंगे)	बालक					
	बालिका					
	योग					
3. नये छात्र (उपर्युक्त 3—1 में शामिल होंगे)	बालक					
	बालिका					
	योग					
4. अनुमोदित सूची से प्रवेश	बालक					
	बालिका					
	योग					

4. कुल कार्य दिवस
औसत उपस्थित

5—1. अध्यापक का विवरण

सेवा निवृत्त		प्रशिक्षित बेरोजगार		बेरोजगार		सेवारत अध्यापक		कुलयोग	अनु० जाति	योग
पु०	महिला	पुरुष	महिला	पु०	महिला	पु०	महिला	पु० म०	जनजाति पु० म०	

5—2. योग्यतानुसार अध्यापकों का विवरण

परीक्षा	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		योग	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1—हाई स्कूल से कम						
2—हाई स्कूल						
3—इण्टर						
4—बी० ए०						
योग—						

6—विकास खण्ड के विभिन्न स्थलों पर संचालित शिक्षा केन्द्रों की संख्या

	विद्यालय	पंचायत घर	सामुदायिक केन्द्र	मन्दिर/मस्जिद गिरजाघर	निजी आवास	खुला स्थान	अन्य	योग
केन्द्र सं०								

7—केन्द्रों का संचालन समय

क्र० सं०	समय	केन्द्रों की संख्या
7—1	प्रातः	
7—2	दोपहर	
7—3	सायंकाल	
7—4	रात्रि	
7—5	योग	

8— विकास खण्ड के शिक्षा केन्द्रों के बालक-बालिकाओं का ज्ञान स्तर (यूनिट मूल्यांकन-टरमिनल टेस्ट सत्रान्त परीक्षा के आधार पर)।

8—1 त्रैमास के प्रारम्भ में

कक्षा स्तर		
संख्या	बालक	
	बालिका	
	योग	

प्रपत्र–3

अनौपचारिक शिक्षा मानीटरिंग प्रपत्र

(जनपद/मण्डल स्तर)

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक

त्रैमास के अन्त की आख्या — प्राइमरी/मिडिल

जून — दिस०

सित० — मार्च

पूरे वित्तीय वर्ष के अन्त की आख्या

1—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का विवरण

1—जनपद

2—विकास खण्ड का नाम

3—सेवित क्षेत्र का विवरण

4—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/कार्याधिकारी का नाम तथा पता

2—शिक्षा केन्द्र के संचालन की स्थिति

क्रम सं०	केन्द्र के विषय में	केन्द्र की संख्या नवीन/पुनः संचालित	योग
	1—भौतिक लक्ष्य		
	2—आख्यागत अवधि में चल रहे केन्द्र		
	3—आख्यागत अवधि में खोले गये केन्द्र		
	4—आख्यागत अवधि में बन्द हुये केन्द्र		
	5—आख्यागत अवधि के समाप्त पर संचालित केन्द्र		

3—नामांकन

छात्र-छात्राओं का विवरण		अनु० जा०	जन जाति	पिछ०जा०	मुस्लिम	सिक्ख	अन्य	योग
1—पंजीकृत संख्या	बालक							
	बालिका							
	योग							

2—ड्राफ आउट	बालक
	बालिका
	योग
3—नये छात्र	बालक
	बालिका
	योग
4—अनानुमोदित सूची से प्रवेश	बालक
	बालिका
	योग

4—औसत कार्य दिवस तथा औसत उपस्थिति :

5—अध्यापक का विवरण

सेवा निवृत्त		प्रशिक्षित बेरोजगार		बेरोजगार		सेवारत		कुल योग		अनु०।जनजाति	
पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०

5—2 योग्यतानुसार अध्यापकों का विवरण

	हाई स्कूल से कम		हाई स्कूल		इण्टर		बी० ए०		एम० ए०/एम० एस-सी०		योग	
	प्रशि०	अप्र०	प्रशि०	अप्रशि०	प्रशि०	अप्र०	प्र०	अप्र०	प्र०	अप्र०	प्र०	अप्र०
पुरुष												
महिला												
योग												

6—जनपद/मण्डल में संचालित अनौ० शिक्षा केन्द्रों का केन्द्र स्थल

	विद्यालय का भवन	पंचायत घर/ सामुदायित केन्द्र	मन्दिर/मस्जिद, गिरजाघर	निजी आवास	खुला स्थान	अन्य योग
केन्द्र संख्या						

7—केन्द्रों का संचालन समय

क्र० सं०	समय	केन्द्र की संख्या
1—	प्रातः	
2—	दोपहर	

3— सायंकाल
4— रात्रि
5— योग

8—जनपद मण्डल के छात्र-छात्राओं का ज्ञान-स्तर

(यूनिट मूल्यांकन, टरमिलन, टेस्ट सत्रान्त परीक्षा के आधार पर)

8—1 त्रैमास के प्रारम्भ में

कक्षा स्तर	1	2	3	4	5	6	7	8	योग
संख्या बालक									
बालिका									
योग									

8-2—त्रैमास के अन्त में

कक्षा-स्तर	1	2	3	4	5	6	7	8	योग
संख्या बालक									
बालिका									
योग									

9—शैक्षिक इकाई की पूर्ति

10 केन्द्र निरीक्षण

निरीक्षण अधिकारी का नाम	केन्द्र स्तर मिडिल/प्राइमरी	निरीक्षण के प्रमुख सुझाव एवं निर्देश	अनुपालन की स्थिति
.....	.....	.....	.....
1	2	3	4

11—भौतिक संसाधनों की आपूर्ति

काष्ठोपकरण के विवरण की तिथि

प्राप्य सामग्री एवं अन्य साहित्य के विवरण सं० तथा विवरण की तिथि

अनौपचारिक शिक्षा मानीटरिंग प्रपत्र—जनपद स्तर

व्यय सूचना प्रपत्र—

जनपद..............

माह..................

क्र० सं०	जनपद का नाम	आहरण अधिकारी के नाम	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि	वेतनादि	यात्रा भत्ता	कार्यालय आ० व्यय	शिक्षण सामग्री	काष्ठोपकरण	शिक्षक परिश्रमकि	शिक्षक प्राशिक्षण	पेट्रोल व्यय	अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी												
(2)		उप विद्यालय निरीक्षक												
(3)		प्रधानाचार्य रा० दी० विद्यालय												
		विगत माह का योग												
		महायोग												

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना

☐ संशोधित जन० 1987

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1985

संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित निदेश का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (रा० शि० नी०) में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (प्रा० शि० स०) को विशिष्ट प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सन् 1990 तक 11 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चे 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा या अनौपचारिक माध्यम से इसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार, 1990 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों को स्कूलों में नामांकित करने का प्रयास किया जायेगा परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह मानकर चलती है कि सभी बस्तियों में प्राथमिक स्कूल सुलभ कराना संभव नहीं हो सकता। साथ ही अपने भाई-बहनों के काम में ही हाथ बँटाने वाले तथा अन्य घरेलू कामों में लगे काम-काजी लड़के-लड़कियों से पूरे दित स्कूल में उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए, यह विचार किया गया है कि इन बच्चों के लिये एक विस्तृत और सुव्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि जबकि अनौपचारिक शिक्षा की आयोजना और कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर होगी, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का अधिकांश कार्य स्वैच्छिक एजेंसियों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अतीत में स्वैच्छिक एजेंसियाँ यथोचित भूमिका निभाने में अक्षम रही हैं, रा० शि० नी० में कहा गया है कि उनकी सहभागिता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की कार्य योजना में अनौपचारिक शिक्षा के नये कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये अपनाई जाने वाली नीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कार्य योजना की संगत सामग्री अनुबन्ध-1 में दी गई है। कार्य योजना में सुविचारित अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

सुनम्यता	दाखिला सम्बन्धी आवश्यकताओं, अवधि तथा समय इत्यादि के सम्बन्ध में।
प्रासंगिकता	पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालियाँ।
विविधता	प्रदान किये जाने वाले विषयों की किस्में तथा उन्हें पूरा करने में व्यावसायिक शिक्षा का योगदान।
विकेन्द्रीकरण	प्रबन्ध ढाँचों तथा वित्तीय अधिकारों में।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में वर्णित, अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पहलुओं के दृष्टिकोण के फलितार्थों की पुनः जाँच की गई है। बच्चों के उपयोग के लिये प्रस्तावित पाठ्यक्रम तथा अध्यापन शिक्षण सामग्री की मुख्य विशेषता यह होंगी कि ये छात्रों की आवश्यकता, कार्यजीवन तथा वातावरण के अनुकूल होंगी। पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री, अपेक्षित शिक्षण परिणाम, खासतौर से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की एक विशिष्टता के रूप में सुविचारित आवश्यक शिक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। अपेक्षित अध्ययन परिणाम,, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित छात्रों के मूल्यांकन के लिए सन्दर्भ बिन्दु का काम करेंगे। यह सुनिश्चित किया

जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा-प्रणाली में भी छात्र अपनी उपलब्धियों के लिए उचित मान्यता प्राप्त करें तथा उचित अवसर पर नियमित पूर्णकालिक स्कूलों में अनेक प्रकार की दाखिला सुविधाओं का लाभ उठाएँ।

अनौपचारिक शिक्षा के नये कार्यक्रम के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न माडल विकसित करने के लिये प्रयास किए जाएँगे। कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को लक्ष्य समूहों की आवश्यकता, उन्हें उपलब्ध कुशलता, सहायता प्रणाली इत्यादि के आधार पर सर्वाधिक उचित माडल तैयार करने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी अनुबन्ध-2 में दिया गया कोई भी माडल स्वीकार कर सकती है या आवश्यकता के अनुकूल नया माडल बना सकती है। इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अनुबन्ध-2 में दिये गये माडल केवल निदर्शी माडल हैं और केवल उन्हें ही स्वीकार करने को बाध्यता नहीं है। तथापि, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जाने चाहिये कि वे अनौपचारिक शिक्षा और कार्य योजना के सम्पूर्ण उद्देश्यों के अनुरूप हों।

अनौपचारिक शिक्षा के पर्यवेक्षी और प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। शहरोन्मुख और नौकरशाही प्रकार के माडल पर निर्भर रहने की अपेक्षा, लगभग 100 अनौपचारिक केन्द्रों द्वारा सुनिर्मित ऐसी परियोजनाएं प्रारम्भ करने पर बल दिया जाना चाहिए जिन्हें सम्बद्ध और निकटवर्ती क्षेत्रों में शुरू किया जाना है। पर्यवेक्षक का चुनाव स्थानीय समुदाय में होना चाहिये और यदि संभव हो तो एक अनुभवी और प्रतिबद्ध अनौपचारिक शिक्षक को चुना जाना चाहिए। इन व्यक्तियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो, सतत शिक्षा कार्यक्रम वाले संगठन को इसमें शामिल किया जाना चाहिये। जैसा कि रा० शि० नी०/का० यो० में विचार किया गया है, ग्राम शिक्षा समितियाँ स्थापित की जानी चाहिये ताकि स्थानीय समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकें तथा अ० शि० केन्द्र प्रभारी इनके प्रति उत्तरदायी हो सके।

उद्देश्य :

योजना का मुख्य उद्देश्य, प्रारंभिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा के कार्यान्वयन कार्यक्रम में स्वैच्छिक एजेन्सियों, सार्वजनिक न्यासों, लाभ न कमाने वाली कम्पनियों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत् हैं—

(क) गैर-स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम विकसित करना।

(ख) पूर्ण दिवसीय स्कूलों में नामांकन कराने में असफल बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कार्य में एक ओर सरकार तथा दूसरी ओर स्वैच्छिक एजेंसियों, सार्वजनिक न्यासों, लाभ न कमाने वाली कम्पनियों, सामाजिक कार्यकर्त्ता, समूहों इत्यादि में परस्पर सहयोग स्थापित करना।

(ग) शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए स्वीकार करने योग्य विभिन्न वैकल्पिक माडलों को ग्रहण करके सम्बन्धित क्षेत्र में प्रदर्शन करना।

(घ) स्थानीय समुदाय से युवकों की पहचान करना तथा उन्हें अ० शि० केन्द्रों के आयोजक तथा सामुदायिक कार्यकर्त्ता के रूप में प्रशिक्षित करना।

(ङ) रा० शि० नी० में सुविचारित महिला विकास के लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए महिला अनौपचारिक शिक्षा के आयोजकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देना।

(च) छात्रों की आवश्यकताओं, वातावरण तथा कार्य जीवन के अनुकूल पाठ्यचर्या, शिक्षक सामग्री, शिक्षक प्रणाली, मूल्यांकन तकनीक इत्यादि विकसित करना।

पात्रता :

(क) पंजीकृत शैक्षिक सोसाइटियों, सार्वजनिक न्यास, लाभ में कमाने वाली एजेंसियां इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र समझी जाएंगी। साधारणतया वैध अस्तित्व में न रखने वाली एजेंसियां सहायता की पात्र नहीं समझी जाएंगी। तथापि, वैध अस्तित्व न रखने वाली एजेंसियों और सामाजिक कार्यदलों को भी सहायता देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि जिलाधीश/उपायुक्त इनके पंजीकरण में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों तथा इन संगठनों की यथार्थकता को अधिप्रमाणित करें। बाल मजदूरी के उन्मूलन या काम-काजी बच्चों की दशा में सुधार के लिये प्रारम्भ की गई योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय भी इस योजना के अन्तर्गत सहायता के हकदार होंगे।

(ख) कुछ मामलों में पात्रता की शर्तें पूरी करने वाली पंजीकृत सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास को भी सहायता दी जा सकती है ताकि वे सुदृढ़ीकरण, सहभागिता तथा अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों, सामाजिक कार्यदलों या व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें।

टिप्पणी—अनुदान-समिति को "प्रमुख संगठनों" के प्रत्ययपत्र की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए और उनकी विश्वसनीयता और क्षमता सुनिश्चित करनी चाहिए। "प्रमुख संगठनों" द्वारा अन्य एजेंसियों को सहायता देने, कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त निधि के सदुपयोग संबंधी इसकी जिम्मेदारी तथा इसके उत्तरदायित्व के स्वरूप के सम्बन्ध में आचार संहिता संस्वीकृत पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिये।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का पात्र होने के लिए एजेंसी में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए :

(i) संस्था का उचित विधान या अनुच्छेदों का होना।

(ii) विधान में स्पष्टतया परिभाषित इसके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों सहित उचित संस्थापित प्रबन्ध निकाय होना चाहिये।

(iii) संस्था, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिये प्रमुख व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने की स्थिति में होनी चाहिये।

(iv) संस्था, किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत निकाय के लाभ के लिये नहीं चलनी चाहिए।

(v) लिंग, धर्म, जाति या मत के आधार पर संस्था को किसी व्यक्ति का व्यक्तियों के वर्ग के प्रति भेद नहीं बरतना चाहिए।

(vi) संस्था किसी भी तरह साम्प्रदायिक भेद-भाव पैदा नहीं करेगी।

(vii) संस्था को किसी राजनीतिक दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करना चाहिए।

(viii) संस्था को कोई धर्म प्रचार नहीं करना चाहिए, तथा

(ix) संस्था के कार्य-कलापों में हिंसा की कोई बात नहीं होना चाहिए।

(घ) केवल 3 वर्षों से चल रही पात्र एजेन्सियों के आवेदन पत्र पर ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए विचार किया जाएगा। इस शर्त की छूट विशेष रूप से योग्य कार्य-कलापों वाली एजेन्सियों या जो एजेन्सियां विशेष रूप से विचार किए जाने का औचित्य प्रस्तुत कर सकें, को दी जा सकती है।

सहायता का स्वरूप व सीमा

(क) पात्र एजेन्सियों को प्राथमिक तथा मिडिल—दोनों स्तरों पर अनौपचारिक शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाएंगे। संस्था के विशिष्ट कार्य-कलापों में जिनके लिए अनुदान दिए जाएंगे, शामिल है—

(i) निरीक्षण तथा प्रबन्ध लागत सहित क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाना।

(ii) अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को अनौपचारिक रूप देना ।

(iii) अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा के बीच सम्बन्धों का पता लगाने सम्बन्धी कार्य-कलाप ।

(iv) शिक्षण अध्ययन सामग्री, पाठ्यचर्या के विकास सहित संसाधन विकास, शिक्षण सामग्रियों का विकास तथा निर्माण, मूल्यांकन तकनीकों का विकास इत्यादि ।

(v) पैराग्राफ 7 (ख) के अन्तर्गत कार्य के लिए अनिवार्य प्रबन्ध व्यय ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता प्रदान की जाएगी यदि उनका कार्य-क्षेत्र हो—

—पहाड़ी क्षेत्र

—शैक्षिक रूप से पिछड़े जन-जाति क्षेत्रों तथा

—शहरी गन्दी बस्तियाँ ।

देश के सभी भागों में काम-काजी बच्चों को सहायता देने के लिए उपरोक्त परियोजनाओं के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित पात्र एजेन्सियों एवं स्वायत्त विकाय सहायता के पात्र होंगे ।

(ग) प्रार्थी एजेन्सी को उचित अवधि के लिए ही सहायता दी जाएगी । साधारणतः इस प्रकार की सहायता दीर्घकालिक आधार पर प्रदान की जाएगी लेकिन सहायता राशि एक बार में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की शेष राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए । स्वीकृत अनुदान अवधि सामान्यतः संस्वीकृति पत्र में दी जाएगी ।

कार्य-विधि

(क) **प्रार्थना पत्र**—सहायता प्राप्त करने के योग्य पात्र कोई भी एजेन्सी संलग्न प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र दे सकती है । प्रार्थना-पत्र राज्य शिक्षा-विभाग (सीधे मंत्रालय को पृष्ठांकित एक प्रति के साथ) के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा-विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित होना चाहिए । राज्य सरकार को एजेन्सी की पात्रता, उपयुक्तता, प्रस्ताव की प्रासंगिकता तथा एजेन्सी की इसे लागू करने की क्षमता इत्यादि के सम्बन्ध में अपने विचार तीन माह की अवधि में दे देने चाहिए । यदि प्रस्ताव नहीं मंजूर किया गया हो, राज्य सरकार को कारण बनाते हुए लिखना चाहिए । परियोजना के विस्तार के लिए प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के माध्यम से भेजना आवश्यक नहीं है । तथापि, स्वैच्छिक एजेन्सी परियोजना के विस्तार के लिए अपना प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को रजिस्टर्ड ए० डी० कराकर डाक द्वारा भेजेगी । अखिल भारतीय संगठन, मंत्रालय को सीधे प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं ।

(ख) **सहायता अनुदान समिति**—सहायता अनुदान के प्रार्थना-पत्रों पर मंत्रालय द्वारा नियुक्त सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाएगा । साधारणतः समिति राज्य सरकार की सलाह मानेगी तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र पर कोई सिफारिश न किए जाने पर अथवा राज्य द्वारा दी गई सिफारिश से अलग हटकर विचार किए जाने की स्थिति में और यदि आवश्यक हुआ तो प्रार्थना-पत्र देने वाली एजेन्सी को समय बुलाया जाएगा ।

(ग) **अनुदान मुक्त करना**—परियोजना के अनुमोदन पर एजेन्सी को वार्षिक आधार पर दो किस्तों में अनुदान दिया जाएगा—पहली किस्त संस्वीकृति जारी करने के तुरन्त बाद मुक्त की जायेगी । सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा एक किस्त की 75 प्रतिशत राशि का उपयोग करने के बाद यह अनुवर्ती किस्त मुक्त कराने के लिये प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय विवरण के साथ अनुरोध कर सकती है । द्वितीय तथा अनुवर्ती वर्षों में अनुदान पहले की तरह मुक्त किये जायेंगे बशर्ते कि एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष (दूसरे वर्ष से शुरू होकर) में दूसरी

किस्त के मुक्त करने से पूर्व, पहले वर्ष की समाप्ति तक मुक्त की गई राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षा विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हों।

(ग) भुगतान—सरकारी संस्थानों द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों के लिए अनुदान सामान्य कार्य-विधि के अनुसार राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को प्रदान किये जायेंगे। स्वैच्छिक एजेन्सी सार्वजनिक न्यास, लाभ न प्राप्त करने वाली कम्पनी, इत्यादि को देय अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय संस्था के नाम द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक के रूप में सीधा भेजा जाएगा।

अनुदान की शर्तें

(i) अनुदान प्राप्त करने वाली एजेन्सी को निर्धारित प्रपत्र पर एक इकरारनामा (बांड) भरना होगा। (अनुबन्ध—4)। यदि एजेन्सी का वैध अस्तित्व नहीं है तो इकरारनामें पर जमानती हस्ताक्षर करेंगे।

(ii) अनुदान प्राप्त करने वाली एजेन्सी का मानव संसाधन विकास मंत्रालय/अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् अथवा राज्य शिक्षा विभाग का अधिकारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

(iii) परियोजना के लेखे सही ढंग से रखे जायेंगे और सही समय पर प्रस्तुत किये जायेंगे। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी उनका निरीक्षण कभी भी कर सकेंगे। भारत का महालेखा नियंत्रक तथा तथा परीक्षक भी इनका कभी भी निरीक्षण कर सकता है।

(iv) सनदी लेखाकारों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित लेखा परीक्षण लेखे पहले वर्ष अथवा उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये अनुदान स्वीकृत किया गया है, छः माह के भीतर अवश्य भेज देने चाहिए।

(v) एजेन्सी, सरकारी अनुदान से समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से प्राप्त सभी परिसम्पत्ति का रिकार्ड और निर्धारित प्रपत्र में ऐसी परिसम्पत्ति का एक रजिस्टर रखेगी। ऐसी परिसम्पत्ति को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिये अनुदान दिया गया था न तो समाप्त किया जाएगा और न ही अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि एजेन्सी किसी समय कार्य करना बन्द कर देती है तो उसकी ऐसी सम्पदा भारत सरकार के पास रहेगी।

(vi) जब राज्य सरकार/भारत सरकार को यह पता लग जाए कि स्वीकृत राशि का उपयोग अपेक्षित नहीं किया जा रहा है तो अनुदान का भुगतान रोक दिया जाय और पूर्व अनुदानों की वसूली कर ली जाए।

(vii) संस्था को अनुमोदित परियोजना के कार्य में यथा-संभव किफायत बरतनी चाहिए।

(viii) अनुदान-ग्राही एजेन्सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यथा-निर्धारित रिपोर्टें भेजेंगी।

(ix) स्वीकृति पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिव के निर्णय अनुदानग्राही पर अंतिम तथा मान्य होंगे।

NIEPA DC
D04083
... Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4083
Date 5/1/88

मुद्रक : कोहली आर्ट प्रिन्टर्स, इलाहाबाद
दूरभाष : ५६६१५, ५६४...